असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

08 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **मंगलवार,तिथि 08 मार्च,2016 ई०**

द्वितीय सत्र **18 फाल्गुन, 1937 (शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण,आज अंतराष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस के अवसर पर हम सदन की सभी महिला सदस्यों को सदन की ओर से शुभकामनायें देते हैं और साथ ही प्रदेश भर की महिलाओं को भी सम्पूर्ण सदन की ओर से हम शुभकामनायें देते हैं ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न संख्या : 157(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. प्रश्नाधीन विद्यालय में स्वीकृत सात पद के विरूद्ध तीन शिक्षक कार्यरत हैं।

3. वस्तुस्थिति है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकण के क्रम में प्रश्नाधीन विद्यालय को 26.00 लाख रूपये आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रदान की गयी थी । प्रश्नाधीन विद्यालय में 18 लाख अन्तर्गत निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है ।

कर्णांकित राशि का ससमय व्यय न किये जाने के कारण एसी0/डी0सी0 सामंजन के आलोक में विभागीय निर्देश के तहत उक्त राशि चालान द्वारा संगत शीर्ष में वापस की गयी ।

राज्य योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में प्रश्नाधीन विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य संतुष्ट हैं ।

श्री प्रेम कुमार : विषय यह है कि विद्यालय में सैंक्शन पोस्ट कितने हैं ? माननीय मंत्री ने स्वीकृत शिक्षकों का पद सात बताया और उसके विरूद्ध तीन शिक्षक कार्यरत बताया । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने स्वीकृत हैं, कितने विद्यार्थी हैं,कितने शिक्षकों की जरूरत है और सरकार उसको कबतक पूरा करेगी ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, हमने खंड 2 में स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन विद्यालय में स्वीकृत सात पद के विरूद्ध तीन शिक्षक कार्यरत हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 604 (श्री विजय शंकर दूबे)

(माननीय प्रश्कर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकत प्रश्न संख्या : 605 (श्री निरंजन राम)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या : 606 (श्री राम विशुन सिंह)

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. राज्य संसाधन अन्तर्गत राशि की उपलब्धता के उपरांत प्रश्नाधीन विद्यालय में उपस्कर आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी एवं यथाशीघ्र प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया जायेगा ।

शिक्षा विभाग अन्तर्गत चाहरदीवारी निर्माण की कोई विशिष्ट योजना नहीं है ।

श्री नतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आर्डर पेपर में मा0शि0, प्रा0शि0 अंकित है । ऐसा तो कोई विभाग नहीं है, सब मिलाकर शिक्षा विभाग हो गया है 2006 में ही । अगर 10 साल के बाद भी सभा-सचिवालय को यह मालूम नहीं है तो यह आश्चर्य का विषय है ।

अध्यक्ष : तदनुसार सुधार कर लिया जायेगा ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा सर शिव सागर राम गुलाम उच्च विद्यालय का स्थापना हरिगांव में हुआ था, उसमें 39 लाख रूपया फर्नीचर के लिए आया था, लेकिन फर्नीचर नहीं खरीदा गया, जिसके चलते वहां के जितने

बच्चे-बच्चियां हैं, वे नीचे बैठकर पढ़ते हैं । इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जल्द-से-जल्द फर्नीचर बनवा दिया जाय ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है । संपूर्ण राज्य में अनेक विद्यालयों की यह समस्या हैं । तो सरकार कबतक मानकों के अनुसार शिक्षक और इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी माध्यमिक विद्यालयों में दे पायेगी क्योंकि सरकार कहती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्या गंभीर है । सरकार ने शिक्षा में 10 परसेंट की कटौती की है और दूसरी तरफ हर पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं तो इन्फ्रास्टक्चर के बिना विद्यालयों को खोलने का क्या औचित्य है और कब तक ये मिलेगा ?

श्री अशोक चौधरी : पिछली सरकारों ने मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिये राज्य में बहुत प्रयास किया और सभी पंचायतों में और सभी जिलों में स्कूल का निर्माण हुआ है और भवनों का निर्माण कराया गया । अब व्यवस्था वहां पर बेंच डेस्क का है,व्यवस्था वहां पर शिक्षकों का है, नियोजन की भी प्रक्रिया काफी स्तर पर की गयी है और पिछले दो तीन वर्षों में नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी है, अभी भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है,नियोजन की प्रक्रिया चालू है, माध्यमिक के स्तर पर हमलोग फिर से नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी, हम समझते है कि नये वित्तीय वर्ष में शिक्षकों की उपलब्धता करायी जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 607 (श्री दिनेश चन्द्र यादव)</u>

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पढ़ाई बाधित नहीं है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रश्नगत विद्यालय को 7 लाख सुदृढ़ीकरण हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी ।

3. विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के उपरांत विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, यह विद्यालय प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक (प्लस 2) विद्यालय हमारे विधान सभा क्षेत्र का है और हमलोग प्रायः वहां जाते हैं, जहां प्रखंड मुख्यालय में यह विद्यालय है और देखते हैं कि भवन जो वहां बना हुआ था पहले, वह काफी जर्जर है । यदि थोड़ी-सी भी बारिश होती है तो सारा पानी कमरे में आ जाता है । इसीलिए हमने प्रश्न किया था कि वहां नया भवन बने । माननीय

मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 2010-11 में 60 लाख रूपया गया था, भवन बनाने के लिये लेकिन अगले साल राशि वापस कर ली गयी और यह सर्वविदित है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा और खास करके बालिकाओं की शिक्षा पर इनका ध्यान है और यदि प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर विद्यालय में भवन नहीं रहेगा तो बच्चियां पढ़ेगी कैसे ? इसीलिए उन्होंने जो कहा कि हम 60 लाख रूपया दिये थे तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वह राशि जो वापस हो गयी है, उस राशि को फिर से भेजकर भवन कबतक माननीय मंत्री जी बनवा देंगे ?

श्री अशोक चौधरी : नये वित्तीय वर्ष में इसको करा दिया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, हमको पूरक प्रश्न नहीं पूछना है । हम एक निवेदन आपके माध्यम से माननीय मंत्री से करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत हड़बड़ी में रहते हैं और पिछले सत्र में एक प्रश्न था तो कह दिये कि 2 महीने में हम भवन बनवा देंगे । उसी तरह से यह भी जवाब नही हो जाय इसको अगले वित्तीय वर्ष में करायेंगे, यह नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो सकता है कि माननीय मंत्री को आपका काम कराने में हड़बड़ी रहती हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 608 (श्री श्याम रजक)</u>

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 1.4.2010 से बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियिम,2009 को प्रभावी माना गया है । उक्त अधिनियम की धारा 38 के आलोक में बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली,2011 कीं अधिसूचित किया गया जो दिनांक 12.05.2011 से प्रभावी माना गया ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के आलोक में राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रारंभिक कक्षा से 25 प्रतिशत कोटा के अधीन कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन लेना है । उक्त कोटा के अन्तर्गत नामांकित छात्र-छात्राओं पर हुये व्यय की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार के द्वारा करने का प्रावधान है । विद्यालय को राशि का भुगतान प्रस्वीकृति के लिये जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से चेक के द्वारा किया जाना है ।

3. वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 को छोड़कर इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में पटना जिलान्तर्गत प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों द्वारा उक्त कोटि के छात्र-छात्राओं की उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर प्रति छात्र के लिए निर्धारित राशि के अनुसार निजी विद्यालयों को राशि की प्रतिपूर्त्ति नियमानुसार कराया गया है ।

4. वर्ष 2014-15 में नामंकित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्त्ति हेतु 14,97,74,850/- रूपये की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है । वर्ष 2015-16 में नामांकित बच्चों की सूचना प्रत्येक जिला से प्राप्त की जा रही है । तदनुसार अगले वित्तीय वर्ष में 2015-16 में नामांकित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्त्ति हेतु राशि की स्वीकृति दी जायेगी ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/8-3-16

श्री श्याम रजक: अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन हम जानना चाहता हैं कि जिन बच्चों का भुगतान नहीं हो पाया उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हुए और क्या जो लोग जिम्मेवार हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहेंगे?

श्री अशोक चौधरी: अध्यक्ष महोदय,हमने कहा कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 को छोड़कर इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में पटना जिलान्तर्गत प्रस्वीकृत निजी विद्यालय द्वारा उक्त कोटि के छात्र छात्राओं की संख्या उपलब्ध करायी गयी है। सूची के आधार पर प्रति छात्र के अनुसार निर्धारित राशि निजी विद्यालयों को राशि की प्रतिपूर्त्ति नियमानुसार कराया गया है। वित्तीय वर्ष का बैकलॉग चल रहा है। हमने 2014-15 2015-16 को छोड़कर पीछे का क्लियर कर दिया है और 2014-15 में नामांकित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्त्ति हेतु 14 करोड़ 97 लाख 74 हजार 850 रू0 राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 का हमलोग रिलीज करने जा रहे हैं।

श्री श्याम रजक: अध्यक्ष महोदय,61 ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चों का भुगतान नहीं होने के कारण वहां का जो मैनेजमेंट हैं वो बच्चों को और गार्जियन को और अभिभावक को काफी परेशानी का महसूस करा रहे हैं जिसके कारण उनको शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है तो उसको कबतक ये बैकलौग जो है उसको कबतक पूरा कर लेने का काम करेंगे?

श्री अशोक चौधरी: महोदय,अगर पहले के वित्तीय वर्ष का मामला है तो पार्टिकुलर स्कूल के बारे में अगर माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी जांच करायेंगे और जो लोग उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे लेकिन हम बता रहे हैं कि 2014-15 का और 2015-16 का,2014-15 का हमलोगों ने पैसा रिलीज किया है,लिस्ट मंगा रहे हैं जैसे ही लिस्ट आयेगा हम 2014-15 का रिलीज करेंगे और इसके पहले का कोई पार्टिकुलर पटना का स्कूल है जिसके बारे में माननीय सदस्य कहना चाहते हैं उसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे।

श्री प्रेम कुमार: महोदय,बहुत गंभीर मामला है और माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया है कि राजधानी में जहां सरकार बैठी हुई और महोदय 61 विद्यालयों की चर्चा उन्होंने किया है, सूची भी उनके पास जरूर होगा और 2010 से महोदय पूरे राज्य में सरकार के घोषणा के वाबजूद बजट प्रावधान में महोदय था। पैसे का भुगतान नहीं किया गया महोदय क्या सरकार इन सारे मामलों की जांच कराने के लिए विधान-सभा की समिति बनाकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है?

अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष,सरकार ने साफ साफ बताया है कि सरकार की घोषणा के अनुरूप भुगतान की प्रतिपूर्त्ति हो रही है। कुछ बैकलौग चल रहा है और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर माननीय सदस्य कोई किसी खास विद्यालय के बारे में सूचना देते हैं तो सरकार उसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करेगी। अब क्या बचता है?

श्री प्रेम कुमार: महोदय,बैकलौग क्यों चल रहा है? गरीब बच्चों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। राज्य की बड़ी आबादी महोदय जो गरीबी रेखा के नीच जीवन वसर करती है आखिर 10 से लेकर पांच साल महोदय हो रहा है और पांच सरकार से सरकार सोयी रही अब माननीय मंत्री कहते हैं कि करेंगे और बैकलौग की बात आ रही है। इस तरह राज्य के गरीब बच्चों के साथ सरकार खिलबाड़ करने का काम कर रही है। हम चाहेंगे कि महोदय जितना बकाया राशि है।

अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये न?

श्री प्रेम कुमार: महोदय,मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक इस राशि का भुगतान होगा नं0-1 और दूसरा कि जो दोषी लोग हैं जिनके द्वारा लापरवाही बरती गयी बजट में प्रोवीजन जब था तो क्यों नहीं भुगतान हुआ, वैसे पदाधिकारी के खिलाफ कबतक कार्रवाई आप करेंगे?

श्री अशोक कुमार: महोदय,माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमारे प्रश्न का जवाब ठीक से सुना नहीं। हमने कहा कि 2013-14 के पहले का कहीं बैकलौग नहीं है। 2014-15 जो यह फायनेंसियल ईयर है इसका हमलोग लिस्ट मंगा रहे हैं। 2014-15 का हम पूरे जिले से जो

प्राईवेट स्कूल में जो 25 प्रतिशत कमजोर और अंडर प्रीविलेज बच्चे हैं उसका हम लिस्ट मंगवा रहे हैं। हमने अपने उत्तर में कहा कि वर्ष 2014-15 में नामांकित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्त्ति हेतु 14 करोड़ 97 लाख 74 हजार 850 रू0 राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2015-16 में नामांकित बच्चों की सूचना प्रत्येक जिले से प्राप्त की जा रही है। तदनुसार अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में नामांकित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्त्ति हेतु राशि की स्वीकृति की जायेगी। 2014-15 का ऑलरेडी एलोकक्शन फंड का कर दिया गया है और उसको रिलीज किया जा रहा है। 2015-16 का लिस्ट मंगाया जा रहा है उसको भी हमलोग रिलीज करेंगे।

श्री प्रेम कुमार: आपने व्यव्स्था फंड का कर दिया फिर विद्यालयों को मिला क्यों नहीं,ये बतलाईए आप? किन कारणों से विद्यालय को राशि उपलब्ध नहीं हो पायी इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

श्री अशोक चौधरी: इसके लिए तो 2015-16 फायनेंसियल ईयर तो चल ही रहा है। 2014-15 का हम कह रहे हैं 2015-16 का हम करने जा रहे हैं। पीछे का सब क्लियर कर दिये हैं। पूरे प्रदेश से लिस्ट आता है उसके बाद कार्रवाई होती है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 609 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी: 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

2- वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय के पास रेल विभाग का 0.349 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध है। जिस पर विद्यालय का पुराना भवन अवस्थित है।

विद्यालय के नाम से भूमि उपलब्धता के उपरांत विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय,यह सवाल मैंने बिहार विधान-सभा के 15वीं विधान-सभा में भी किया था और उसमें भी सरकार का यही जवाब आया था। हम बार-बार कह रहे हैं कि वैरकनुमा सीमेंट का जो एसवेस्टस का होता है छत, उसका बना हुआ है वो जीर्णशीर्ण मकान है उसको तोड़कर उसी जगह पर विद्यालय भवन बनाना आवश्यक है और जिस अवधि तक वो भवन का निर्माण होगा उसमें बच्चों को बगल के गांधी उ0 वि0 में शिफ्ट किया जा सकता है। संयोग से दोनों विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के हम स्वयं अध्यक्ष भी है इसलिए आप माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि सरकार कबतक भवन निर्माण की राशि उपलब्ध करायेगी जिससे कि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके और विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में उसको तोड़ने का निर्णय हमलोग ले लेंगे अगर आपकी

राशि जैसे ही वहां पहुंचेगी वो निर्णय ले लेंगे और उसी पर वो भवन भी बन जायेगा और तबतक पठन पाठन भी बगल के विद्यालय में हो जायेगा।

श्री अशोक चौधरी: अध्यक्ष महोदय,रेलवे की जमीन का लीज पर है शिक्षा विभाग के पास लीज पर है। शिक्षा विभाग ओन नहीं करता है इसलिए अभी शिक्षा विभाग के पास कोई विचाराधीन नहीं है। ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर लीज लैंड है। लीज लैंड पर स्कूल चल रहे है जबतक अपनी जमीन की उपलब्धता नहीं होगी हमने कहा कि रेल विभाग का 0.349 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध है इस पर विद्यालय का पुराना भवन है। विद्यालय के नाम के भूमि उपलब्धता के बाद विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी को जानकारी लगता है कि नहीं है। रेल क्षेत्र में कटिहार क्षेत्र में दो विद्यालय है और दोनों सरकार द्वारा अंगीभूत है। गांधी उ0 वि0 भी रेल के जमीन पर है और वहां 10वीं कक्षा का भी भवन बना है और प्लस टू का भी भवन आप ही ने बनाया है इसीलिए रेल की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। एन0ओ0सी0 सामान्य रूप से उसका मिल जायेगा। आप राशि की उपलब्धता कबतक सुनिश्चित कर रहे हैं सिर्फ इतना आप बतला दें, शेष कार्य हम आपको सहयोग करेंगे और विद्यालय भवन बनेगा और यह विद्यालय अध्यक्ष महोदय 1963 से बना हुआ है इसमें 326 बच्चे अभी हैं।

श्री अशोक चौधरी: अगले वित्तीय वर्ष में इसको करा दिया जोयगा।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 610 (डा0 मो0 जावेद)</u>

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा: उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

जिला पदाधिकारी,किशनगंज के पत्रांक 212 डी0आर0डी0ए0 दिनांक 3-3-2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभीकरण, किशनगंज एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज के द्वारा दिनांक 3-3-16 को संयुक्त से विषयगत मामले की जांच करायी गयी। स्थलीय जांच के क्रम में कार्य स्थल पर फ्लोर पर बिछायी गयी ईट की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने तथा कार्य स्थल पर मौजूद गिट्टी कुछ मात्र ओवर साईज पायी गयी जिसे ढलाई में प्रयुक्त किया जाना उचित नहीं है। योजना में जे0पी0 सीमेंट का प्रयोग किया गया है एवं कार्य स्थल पर सैंटरिंग का कार्य किया जा रहा है जिसमें स्टील फ्रेम स्टील सेंटरिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। प्राक्कलन के अनुसार पिलिंथ एरिया की लम्बाई चौड़ाई सही पायी गयी। यह कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के माध्यम से कराया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी किशनगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को भेजते हुए संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने एवं बाल विकास परियोजना भवन का

निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप करने तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुधार लाने हेतु अनुरोध किया गया है।

मो0 आफाक आलमः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी तो सब बता ही दिये हैं कि काम गुणवतता के साथ नहीं हो रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि उस पर कबतक कार्रवाई होगा और उसकी जांच किया गया है वो जांच में सही पाया गया है और गुणवत्ता के अनुसार काम भी नहीं हो रहा है तो कबतक जांच करके उस पर कार्रवाई की जायेगी?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्माः जांच तो हो गयी है अध्यक्ष महोदय,और कार्रवाई के लिए अनुरोध भी किया गया है और आगे जो प्राक्कलन के अनुरूप काम करने का भी अनुरोध किया गया है।

मो0 आफाक आलमः अध्यक्ष महोदय, हम चाह रहे थे कि कार्रवाई कबतक उस पर होगा? यह एक ही नहीं है सर, पूरे बिहार का मामला है। हर जगह जहां भी आंगनबाड़ी भवन बन रहा है सब का पैसा उठा रहा है और बगैर गुणवत्ता का काम हो रहा है सभी जगह। जबतक कार्रवाई उस पर नहीं होगी उसको डर नहीं होगा।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्माः मैं दिखवा लेती हूं । जल्द ही कार्रवाई होगी।

टर्न–3/मधुप/08.03.2016

<u>तारांकित प्रश्न संख्या– 611 (श्री महबूब आलम)</u>

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2– विभागीय पत्रांक–175 दिनांक 29.01.2016 द्वारा ऐसे मामलों में अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु किये जाने वाले दावे के साथ आश्रित का आवेदन पत्र, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आश्रित का), आश्रित के पासबुक की छायाप्रति, आश्रित का फोटो अद्यतन (अंकित जन्म तिथि के साथ) एवं कार्यरत रसोईया का अंतिम पारिश्रमिक दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य है ।

आवेदक द्वारा अभी तक आवेदन के साथ वांछित कागजात प्राप्त नहीं हुआ है । आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

3- उत्तर कंडिका-2 में सन्निहित है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, रसोईयों की जो नियुक्ति होती है, उस प्रक्रिया में किसी भी किस्म का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, न ही उनके पहचान पत्र बनाने की कोई प्रक्रिया है और न कोई बाध्यता है । ऐसी हालत में पूरे प्रदेश के रसोईया के साथ जो यह अन्याय होता है, वंचना होता है, इस प्रक्रिया को किस तरह से माननीय मंत्री जी पूरा करना चाहेंगे ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, मैंने कहा कि नियम है, जब चार लाख रूपये का हम अनुदान देंगे तो निश्चित रूप से सरकार वेरिफाई करेगी कि जो रसोईया काम कर रहा है, उसका क्लेम जेनिउइन है या नहीं । नहीं तो बाद में ऑडिट का भी प्रोब्लेम आयेगा। हमने कहा है कि लास्ट जो पेमेंट वे ले रहे हैं, प्राथमिक दस्तावेज की छायाप्रति, उनके आइडेंटिफिकेशन प्रुफ के साथ वे लगायेंगे तो हम पेमेन्ट करा देंगे । अभी तक उन्होंने इसके साथ एप्लाई ही नहीं किया है । एप्लाई जैसे करेंगे, तुरंत भुगतान करा देंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, एप्लाई तो किया है और वेरिफकेशन भी हो गया है । प्रधानाध्यापक द्वारा अनुशंसा पत्र 17 अक्टूबर, 2015 को भेजा गया है । मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री अशोक चौधरी : अनुशंसा में वांछित जो क्राइटेरिया है, जिसके उपरांत सरकार उनको पेमेन्ट करेगी, उसका एप्लीकेशन सिर्फ फॉरवर्ड है । उसके साथ जो डॉकुमेंट चाहिए, वह डॉकुमेंट नहीं है । डॉकुमेंट के साथ जैसे ही आयेगा, पेमेन्ट करा देंगे ।

श्री महबूब आलम : वांछित प्रक्रिया के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जो अधिकारी हैं, उनको निदेश देना चाहिए कि उनका एप्लीकेशन मॉंगा जाय या जो हो उसको किया जाय ।

अध्यक्ष : निदेश दे दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी : ठीक है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण.....

अध्यक्ष : अब कहॉं से आप....

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला का भी रसोईया का आदेश आया है । पूर्वी चम्पारण जिला में भी रसोईया लोग का कई प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकला और इसी तरह वह लोग भी गरीब तबका का लोग है, उसको भी लाभ मिलना चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 612 (श्री रामसेवक सिंह)</u>

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3 - विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 05.07.2013 में निहित प्रावधानों के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाना है ।

उक्त संकल्प के आलोक में प्रश्नाधीन विद्यालय को निर्दिष्ट परिमाप में भूमि उपलब्ध नहीं है ।

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत में निर्दिष्ट मापदण्डयुक्त विद्यालय के उत्क्रमण पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामसेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का संकल्प है प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का । मैंने जिस विद्यालय का जिक्र किया है, उस विद्यालय में भूमि भी उपलब्ध है और भवन भी उपलब्ध है ।

प्रश्नगत जो विद्यालय है, उस गॉव से उच्च विद्यालय की दूरी काफी है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्त्तन कबतक करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सुना नहीं । माननीय मंत्री जी की जो सूचना है, उसके हिसाब से आपके द्वारा वर्णित विद्यालय में भूमि जितनी चाहिए या जिस प्रकार का चाहिए, वह नहीं है, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है । अगर वहॉ भूमि उपलब्ध है तो उसके कागजात के साथ माननीय मंत्री को उपलब्ध करा दें, उन्होंने तो कहा है कि भूमि उपलब्ध हो जायेगी तो सरकार करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 613 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3 - स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन विद्यालय में आगामी नियोजन अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के उपरांत +2 का अध्यापन प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, कटिहार की स्थिति काफी गड़बड़ है । जिसे जिला स्कूल कहते हैं और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालय की समिति होती है लेकिन उस समिति की बैठक होती ही नहीं है । यह विद्यालय काफी अल्पसंख्यक क्षेत्र में है और इसमें +2 की पढ़ाई नहीं हो रही है ।

इसमें 817 बच्चे हैं और मात्र 3 शिक्षक हैं, एक लिपिक भी नहीं है । कोई बैठक नहीं होती है जो इसका अनुश्रवण कर सके ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में +2 का भवन भी बना हुआ है 2011-12 में । आप कबतक +2 की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, कबतक शिक्षकों की नियुक्ति नवम्, दशम्, ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए करेंगे और विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठक कैसे होगी ? इस तरह के विद्यालयों पर सरकार की विशेष नजर रहती है, यह सीधे विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन एक भी बैठक नहीं होती है जिसमें इस तरह की समस्याओं पर विचार हो सके.

अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आप कबतक +2 पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, कबतक शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति जो सैंक्शन्ड पोस्ट है उसके विरूद्ध में करेंगे और कबतक लिपिक की नियुक्ति करेंगे ?

श्री अशोक चौधरी : पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है । नियोजन कार्य के विकेन्द्रीकरण के कारण नियोजन में अपेक्षित प्रगति नहीं है । समान अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न नियोजन इकाईयों में आवेदन दिया जाता है, एक ही व्यक्ति के विभिन्न नियोजन इकाईयों में चयनित होने के कारण रिक्तियॉ बरकरार रह जाती हैं ।

उपर्युक्त कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए आगामी नियोजन की प्रक्रिया में आवश्यक विचार कर विधिसम्मत निर्णय लेने की कार्रवाई की जा रही है।

महोदय, हमलोग भी चाहते हैं कि +2 के टीचर्स का एप्वायंटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाय ।

श्री तार किशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक और प्रश्न है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, अभी तक इन्होंने नीतिगत बात की, इस विद्यालय के लिए वे क्या करने वाले हैं, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं बताये हैं । अभी कम से कम क्लास-10 के लिए, वह जिला स्कूल है, वहॉ मात्र तीन शिक्षक हैं, उसमें भी एक शारीरिक प्रशिक्षक जो होता है, वह है, प्रधानाध्यापक नहीं है, उसी तीन में प्रधानाध्यापक भी है, उसी तीन में एक लिपिक का भी काम कर रहा है ।

इसलिये यह विशेष परिस्थिति है और जिला पदाधिकारी इस तरह के विद्यालयों की समिति की बैठक नहीं करते हैं । आप सीधे अगर उसको संज्ञान में नहीं

लेंगे तो उस विद्यालय में जो 850 बच्चे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी ? यह स्पष्ट करे सरकार ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान में लेगी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, आपका संरक्षण चाहिये । यह बहुत विशेष परिस्थिति है । बहुत मुश्किल से इस तरह के प्रश्न शलाका में आ पाते हैं, इसलिये इसपर आपका स्पष्ट निदेश होना चाहिये ।

अध्यक्ष : इस विद्यालय का मामला देखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 614 (श्रीमती आशा देवी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी ।

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या सदन से अनुपस्थित ।)

तारांकित प्रश्न संख्या- 615 (डॉ0 रंजु गीता)

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, उच्च विद्यालय राघोपुर बखरी में संचालित है जिसमें अनुसूचित जाति के सभी प्रखंडों के बच्चे प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर नामांकन करा सकते हैं ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डॉ0 रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रखण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है ? क्योंकि जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करती हूँ और विद्यालयों में जाती हूँ, मुख्यालय में जो विद्यालय होते हैं, उसमें बच्चे छात्र और छात्राएँ दोनों असहज महसूस करते हैं, यह देखा गया है। आज देश गवाह है कि कन्हैया जैसे छात्र को भी असहजता महसूस हो रही है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

डॉ0 रंजु गीता : अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए क्या वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रखंड मुख्यालय स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है? नहीं तो क्यों और अगर रखती है तो कबतक ?

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का अभी सरकार के स्तर पर कोई प्लानिंग नहीं है । भविष्य में हमलोग इसपर विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 616 (सुश्री पूनम पासवान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या सुश्री पूनम पासवान ।

(इस अवसर पर माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्या सदन से अनुपस्थित ।)

टर्न-4/आजाद/08.03.2016

तारांकित प्रश्न सं0-617(श्री मिथिलेश तिवारी,स0वि0स0)

श्री शिवचन्द्र राम : खंड -1 अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भी0एम0 हाईस्कूल के खेल मैदान को पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम का शिलान्यास तथा मुख्यमंत्री कोष से 58 लाख रू0 की राशि खर्च किये जाने का अभिलेख विभाग में उपलब्ध नहीं है । तत्संबंधी सूचना की मांग जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से की गई है ।

खंड-2 जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से तत्संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सरकार के तरफ से उत्तर दे रहे हैं और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि 2012 में इसका शिलान्यास तत्कालीन कला संस्कृति मंत्री जी ने किया था और मुख्यमंत्री विकास कोष से 58 लाख रू0 की राशि विमुक्त हुई थी । वह जो विद्यालय का फिल्ड है, वह खेल विभाग को ट्रांसफर हुआ था और उसमें आधा निर्माण भी हुआ । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी मांगा गया है और अभी तक जानकारी नहीं मिली है, इसलिए खंड-1 अस्वीकारात्मक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर विभाग के पास सही जानकारी नहीं होगी तो हमलोग माननीय सदस्य किसके पास प्रश्न लेकर जायेंगे और गोपालगंज जिला में जहां तीन-तीन मुख्यमंत्री हुए, आजादी के समय का एक स्टेडियम है, उसी में हर प्रकार का मेला लगता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री शिवचन्द्र राम : माननीय सदस्य से हमने कहा है, जिला पदाधिकारी,गोपालगंज से हमें जो सूचना प्राप्त होगी, इसके संबंध में हमने चिट्ठी लिखी है ज्ञापांक-180 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा और जिला पदाधिकारी,गोपालगंज से प्रतिवेदन की मांग की गई है, वहां से जिस तरीका का प्रतिवेदन आयेगा अध्यक्ष महोदय, उसपर हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, तब तक इसको स्थगित कर दिया जाय इस प्रश्न को । चूँकि इसका तो जवाब कुछ भी नहीं मिला ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, इसके संबंध में सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, जो अभिलेख हमारे पास है .....

अध्यक्ष : आप ऐसा करिए कि इसकी सूचना विभाग से और जो जिला पदाधिकारी से मांग रहे हैं, वो आने पर माननीय सदस्य से सम्पर्क करके इसको करायेंगे ।

श्री शिवचन्द्र राम : ठीक है, वो उपलब्ध करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-618(श्री विजय कुमार सिन्हा,स0वि0स0)

अध्यक्ष : यह स्थानान्तरित हुआ है परिवहन विभाग से । वैसे तो जो सूचना है, उसके हिसाब से नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित हुआ है लेकिन बस स्टैंड के संबंध में है, यह नगर विकास विभाग को स्थानान्तरित है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, यह बस स्टैंड नगर परिषद्.....

अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित हो गया है । यह नगर विकास विभाग को टांसफर हुआ है परिवहन विभाग से, इसलिए यह प्रश्न स्थगित हुआ है ।

तारांकित प्रश्न सं0-619(श्री प्रह्लाद यादव,स0वि0स0)

श्री अशोक चौधरी : खंड-1 स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 सचिव,बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2009 की परीक्षा के लिए 500 पूर्णांक के 5 विषयों का पाठ्यक्रम लागू किया गया । वर्ष 2008 के परीक्षा में अनुत्तीर्ण अर्थात् पूर्ववर्ती कोटि के छात्रों को यह सुविधा दी गयी थी कि वे पुराने पाठ्यक्रम जिसमें 900 अंकों की परीक्षा होती थी अथवा नये पाठ्यक्रम जिसमें 500 अंकों की परीक्षा होगी में से कोई एक विकल्प ले सकते हैं । प्रश्नगत छात्र वर्ष 2008 में अनुत्तीर्ण थे एवं वर्ष 2009 की परीक्षा में नये पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल हुए । परीक्षा प्रपत्र में छात्र द्वारा समुन्नत कोटि अंकित करने के कारण प्रवेश पत्र पर समुन्नत कोटि का क्रमांक अंकित कर निर्गत हुआ । समुन्नत कोटि उन छात्रों के लिए

लागू है जो पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण थे । वर्णित भूल के कारण छात्र का परीक्षाफल लंबित हो गया ।

छात्र द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोटि सुधार कर छात्र को क्रमांक 10001 आवंटित करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है । समिति के पत्रांक-BSEB/Post-Ex/5912/D-16 दिनांक 04.03.2016 द्वारा संबंधित महाविद्यालय को परीक्षाफल प्रेषित कर दिया गया है ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लम्बा-चौड़ा उत्तर दिया है । वर्ष 2009 में अब्दुल रहमान परीक्षा दिये हैं और 2009 से अभी तक वह दौड़ते रह गया । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके यहां भी गये, जहां परीक्षा दिया, उसके प्रिंसिपल से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह लड़का तो परीक्षा दे ही दिया। इनका रौल नम्बर जो था, उसपर रिजल्ट न देकर के दूसरे रौल नम्बर पर रिजल्ट देकर इनका नाम दिया गया तो इस तरह से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है और कोर्स भी बदल गया । भागलपुर यूनिवर्सिटी का महोदय यह स्थिति है कि अभी 2000 से ज्यादा रिजल्ट पेंडिंग है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह 2009 से जो लड़का हमेशा ऑफिस दौड़ता रहा और उस लड़के को रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण उसका लाईफ बर्बाद हुआ और इसी तरह से भागलपुर यूनिवर्सिटी में कितने ऐसे छात्र हैं जिनको आज तक रिजल्ट नहीं मिला है और ऑफिस का चक्कर लगा रहा है और उसका रिजल्ट पेंडिंग है तो उसको कितने दिनों में दे देंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अशोक चौधरी : माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है एक रौल कोड और एक रौल नम्बर का, क्योंकि इसमें ऑप्शनल था, छात्र के ऑप्शनल में कनफ्यूजन में यह डिले हुआ है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष का जो पत्र आया है, उसके मुताबिक ऑप्शनल था 500 मार्क्स और 900 मार्क्स, इसने 500 के जगह 900 का डाल दिया, जिसके चलते यह डिले हुआ है । लेकिन सर, इसको देखवाते हैं । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कुछ समस्यायें हैं, इसको कैसे रेगुलेट किया जाय, इसपर हमने ऑलरेडी एक नई कमिटी बनायी है, जिसमें माध्यमिक के डायरेक्टर को उसमें मेम्बर बनाया है, हमको कुछ समय दीजिए, हम इसको रेगुलराईज करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, इसको देखवा लीजिए 2009 से मामला है, एक विद्यार्थी का मामला है ।

श्री अशोक चौधरी : देखवा लेते हैं ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मेरा अभी कहां खतम हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसके चलते यह रिजल्ट पेंडिंग हुआ, भागलपुर यूनिवर्सिटी के हजारों लड़कों का रिजल्ट पेंडिंग हो रहा है, किसके चलते हो रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी, वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

श्री अशोक चौधरी : यह पार्टिकुलर जो क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें जो जवाब आया है, उसमें कनफ्यूजन है 500 और 900 में इसका नाम हो गया, फिर भी 2009 से विद्यार्थी परेशान है अपने रिजल्ट के लिए, यह सिरियस मैटर है, इसको सर, हम देखवाते हैं, जॉच करवाते है और जो दोषी होंगे, उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-620(श्री विनोद कुमार सिंह,स0वि0स0)

श्री शिवचन्द्र राम : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय मानक के अनुसार कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड के रोशना मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्रस्ताव की मांग की गई है । विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि मिलने पर निधि की उपलब्धतता के आधार पर स्टेडियम के निर्माण किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उत्तर अस्वीकारात्मक है और जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, वह पश्चिम बंगाल और बिहार के बोर्डर पर रोशना बाजार पड़ता है और बगल में झारखंड राज्य भी है और तीन-तीन राज्यों का खेल वहां पर होता है और कई बार हमने प्रश्न किया है और माननीय मंत्री जी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि इस स्टेडियम का निर्माण कब तक कराने का विचार रखते हैं या तो अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टेडियम निर्माण के दिशा में आवश्यक पहल की जायेगी ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम तो बताये हैं कि डी0एम0,कटिहार को लिखे हैं और वहां से आ जाने के बाद, जब आ जायेगा, माननीय सदस्य हम कहते हैं कि पैसा भेज देंगे, बन जायेगा ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा यह है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहते हैं कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ढ़ेराबगछला हमारे प्राणपुर

विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है और उसमें स्टेडियम निर्माण के लिए तारांकित प्रश्न किया था तो उसमें स्टेडियम का निर्माण हुआ । वहां इस तरह के स्टेडियम का निर्माण हुआ कि वहां 100 व्यक्ति बैठ करके देख नहीं सकते हैं खेल को, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी अगला वित्तीय वर्ष में स्टेडियम का जो प्राक्कलन बनाया जायेगा, वहां पर कम से कम 5हजार से 10हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था हो सके स्टेडियम में, न कि वही 100 आदमी वाला स्टेडियम बनकर तैयार होगा ?

श्री शिवचन्द राम : अध्यक्ष महोदय, जो मानक है हमारा, उस मानक के अनुसार से हम जो है, पूरे बिहार में स्टेडियम बनाते हैं । सरकार का है कि प्रत्येक प्रखंड को स्टेडियम देंगे, उसके लिए हमारा जो मानक है, उसके आधार पर हम पैसा देंगे और उसपर आप बनाईए ।

टर्न:5/अंजनी/दि0 8.3.16

तारांकित प्रश्न सं0-621(श्री अमित कुमार)

अध्यक्ष : उन्होंने माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह जी को अधिकृत किया है । श्री आनन्द शंकर सिंह ।

(माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह जी सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0 622 (डॉ0 विनोद प्रसाद यादव)

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है । विदित हो कि गया जिलान्तर्गत पहले से राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, गया शहर में कार्यरत है। नव स्वीकृत राजकीय पॉलटेकनिक संस्थान, टेकारी, गया में वर्ष 2016-17 से सत्रारंभ करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है । नव स्वीकृत राजकीय पॉलटेकनिक संस्थान, टेकारी, गया के वर्ष 2016-17 से राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान गया के परिसर में अपना भवन बनाने तक चलाया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त दो पोलिटेकनिक संस्थान के अतिरिक्त गया जिलान्तर्गत अन्यत्र कोई राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान प्रस्तावित नहीं है ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने गया जिले में दो पोलिटेकनिक संस्थान की बात स्वीकार की है । गया जिला की आबादी लगभग 45 लाख

से अधिक है तो क्या मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये दो पोलिटेकनिक संस्थानों में 45 लाख की आबादी के बच्चों की पढ़ाई वहां पर सुव्यवस्थित ढ़ंग से हो सकती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो शेरघाटी अनुमंडल है, उसकी आबादी लगभग 12 लाख से ज्यादे है और गया पोलिटेकनिक और टेकारी अनुमंडल में है । गया की दूरी डुमरिया से अगर जोड़ा जायेगा तो सवा किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है और टेकारी की भी उतनी ही दूरी पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो दोनों जगह पॉलटेकनिक है, वहां उनको पढ़ाई करने में जगह नहीं मिल पाती है तो क्या माननीय मंत्री महोदय, उक्त परिस्थितियों के आलोक में शेरघाटी अनुमंडल में पाोलिटेकनिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री जय कुमार सिंह : महोदय, सरकार के सात निश्चय में प्रत्येक जिला में एक पोलिटेकनिक कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना है, इसपर कार्य हो रहा है । अब गया में दो-दो है । चूंकि टेकनिकल इन्स्टीच्यूट है और टेकनिकल इन्स्टीच्यूट अभी एक जिला में दो है तो अत्यधिक कहा जा सकता है । ऐसे माननीय सदस्य बड़ी गंभीरता से बात को रखे हैं तो भविष्य में इसपर विचार किया जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, बड़ा गंभीर मामला है । माननीय मंत्री जी ने गया पोलिटेकनिक की चर्चा की है और हमारा कहना है कि वर्त्तमान में जो पोलिटेकनिक कॉलेज चल रहा है, वहां विद्यार्थियों की संख्या जो है, उसके अनुपात में शिक्षक नहीं है और भवन की स्थिति भी बहुत दुखद है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो पोलिटेकनिक कॉलेज चल रहा है और वहां पर शि।क्षकों की जो जरूरत है और जो बुनियादी आवश्यकतायें हैं, क्या उसको सरकार पूरा कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सूचना ग्रहण कर लिजिए और देखवा लिजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-623 (डॉ0 विनोद प्रसाद यादव)

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड के अंतर्गत रंगलाल उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण की योजना वर्ष 2008-2009 में स्वीकृत है। विभागीय योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण करने की योजना संचालित है ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी अनुमंडलीय मुख्यालय है और जहां के बारे में माननीय मंत्री महोदय बतला रहे हैं वहां पर स्टेडियम का निर्माण बिल्कुल अधूरा

है रंगलाल स्कूल के मैदान में लेकिन प्रश्न में जिस वर्णित स्थान का जिक्र ह वह गया चेरकी रोड पर अवस्थित है खण्डैल ग्राम और वहां बहुत बड़ा खेल का मैदान है । मैंने प्रश्न में कहा है कि बाउंड्री नहीं रहने से या स्टेडियम नहीं रहने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है । जिन अधिकारी के द्वारा जबाब भेजा गया है तो उसके अनुसार माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । उस मैदान में प्रत्येक वर्ष खेल का आयोजन होता है - फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबोल है, बराबर वहां पर खेल का आयोजन होता है तो वैसी परिस्थिति में जगह की उपलब्धता के आलोक में क्या मंत्री महोदय, उसका पुनः जांच कराकर स्टेडियम निर्माण का विचार रखते हैं ?

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि सरकार का प्रावधान है कि प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम बनाना है तो पहले से स्टेडियम वहां पर वर्ष 2008-09 में बन चुका है । इसके बाद माननीय सदस्य चहारदिवारी की बात की है तो विभाग के द्वारा ऐसे खेल मैदान में चहारदिवारी निर्माण कराने की योजना कार्यान्वित नहीं है, अगर ऐसी कोई योजना बनती है तो इसको करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-624 (श्री राज कुमार राय)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु कर्णांकित राशि उपलब्ध करायी गयी थी ।

प्रश्नाधीन उच्च विद्यालय विथान को छोड़कर ससमय निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण शेष प्रश्नाधीन विद्यालयों में ए0सी0/डी0सी0 के तहत सामंजन के आलोक में संबंधित विद्यालय की कर्णांकित राशि संबंधित शीर्ष से चालान से वापस की गयी ।

2 एवं 3 - माध्यमिक प्रक्षेत्र के बजटीय प्रावधान अन्तर्गत राज्य में सभी पंचायत में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करना प्राथमिकता है ।

राज्य संसाधन में राशि की उपलब्धता के उपरान्त प्रश्नाधीन विद्यालय में आवश्यकतानुसार भवन निर्माण का कार्य किया जायेगा ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ए0सी0/डी0सी0 बिल के वजह से पैसा वापस हो गया और अभी जो स्थिति है प्रत्येक उच्च विद्यालय में हजारों-हजार बच्चे हैं । प्रत्येक दिन एक दिन लड़का और एक दिन

लड़की किसी तरह उस विद्यालय में पढ़ते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि कबतक उस विद्यालय का निर्माण किया जायेगा ?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, ए0सी0/डी0सी0 के चलते सामंजस्य कर लिया गया था तो नये आने-वाले फाईनेसियल ईयर में उसको बना दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-625 (श्री मो0 आफाक आलम)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि कलानंद उच्च विद्यालय गढ़बनैली में 10+2 के लिए शिक्षक हेतु 11 इकाई स्वीकृत हैं । अभ्यार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में नियोजन हेतु सहमति नहीं देने के कारण उक्त विद्यालय में +2 के लिये शिक्षकों का नियोजन नियोजन इकाई द्वारा नहीं किया जा सका है ।

प्रश्नाधीन विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति के उपरान्त +2 का अध्यापन प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, खास करके वहां की बच्चियों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है । भवन बने हुए कई साल हो गये और भवन की भी स्थिति जर्जर है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कबतक वहां शिक्षक का नियोजन करेंगे?

श्री अशोक चौधरी : महोदय, माध्यमिक में नियोजन की प्रक्रिया मार्च के बाद बजट सेसन के बाद शुरू होगी । प्रायोरिटी पर हमलोग चाहते है, माध्यमिक में शिक्षकों की कमी है, प्रायोरिटी पर हम नियोजन कर रहे हैं और जैसे-ही नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होगी, हम आपके यहां टीचर एप्वाइंट कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-626(डॉ0 शकील अहमद खॉ)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2004 से पूर्व सरकार के नियमित नियुक्त माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को पेंशन देय है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय मदरसा इसलामिया शमसुल होदा, पटना जो राजकीय मदरसा है को छोड़कर किसी अराजकीय/प्रस्वीकृत मदरसा को पेंशन का लाभ अनुमान्य नहीं है ।

3- अस्वीकारात्मक है ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या 970 दिनांक 31.08. 2013 के अनुसार अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को वेतन एवं महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ जैसे पेंशन के लिए राज्य सरकार से अनुदान अनुमान्य नहीं होगा ।

टर्न-6/शंभु/08.03.16

डा0 शकील अहमद खॉ : महोदय, असल में इस बात पर थोड़ा गंभीर विचार करना चाहिए कि या तो ये डबल स्टैंडर्ड है या हिपोक्रेसी है। इस सेंस में कि मदरसा के टीचर क्या प्रायोरिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं और स्कूल के टीचर को आप कह रहे हैं कि मानदेय है तय और वह आप देंगे, वह भी मुझे लगता है कि आप दे नहीं पा रहे हैं। मदरसा के टीचर जो पठन पाठन का काम करते हैं, स्टूडेंट्स वहां रहते हैं बड़ी तादाद में और राइट टू एजुकेशन के आधार पर वे पढ़ाई का काम भी करते हैं तो क्या उनको पेंशन के लाभ से अलग रखेंगे यह गंभीर सवाल है। इसपर ध्यान देना चाहिए। आप अगर अलग रखते हैं तो वे पठन पाठन का काम ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा, उनकी वह रूचि नहीं बन पायेगी, सवाल यह है।

अध्यक्ष : ठीक है।

डा0 शकील अहमद खॉ : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-627(श्रीमती कुन्ती देवी)

(माननीया प्रश्नकर्त्ता सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-628/श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अशोक चौधरी : 1-स्वीकारात्मक है।

2- अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड भरगामा एवं रानीगंज प्रखंड के अन्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों में आइ0सी0टी0 स्कूल स्कीम अन्तर्गत कंप्यूटर की शिक्षा छात्र छात्राओं की दी जा रही है। प्रखंड भरगामा- श्री दरबारी राय उच्च विद्यालय, महथामा, भरगामा। दूसरा दीदार बक्श उच्च विद्यालय, वीरनगर बिसहरिया, भरगामा। तीन- जवाहर उच्च विद्यालय भरगामा। प्रखंड रानीगंज- लालजी उच्च विद्यालय, रानीगंज।

3-उत्तर खंड-2 में सन्निहित है।

तारांकित प्रश्न सं0-629 (श्री राजकिशोर सिंह)

श्री अशोक चौधरी : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की संख्या निम्नवत् है : - संस्कृत-2, समाज विज्ञान-1, हिन्दी-2, गणित-2, उर्दू-1, शारीरिक शिक्षक-2- इसके अतिरिक्त तत्काल प्रधानाघ्यापक द्वारा विज्ञान विषय का शैक्षणिक कार्य संपादित किया जाता है। प्रश्नाधीन विद्यालय में आगामी नियोजन अन्तर्गत शेष विषय में शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

श्री राजकिशोर सिंह : महोदय, वहां 2600 बच्चे हैं और कितने टीचर हैं मंत्री जी बतायेंगे ? कुल कितने टीचर हैं। 2600 विद्यार्थी हैं। एक तरफ जो सभी विद्यालय हैं उसमें पढ़ाई न के बराबर होती है शिक्षक के अभाव में और दूसरी तरफ हम चाहते हैं और यह सरकार चाहती है कि हर पंचायत में हाई स्कूल खोलेंगे तो गंभीर मामला है, जो है उसमें हो नहीं रहा है।

श्री अशोक चौधरी : हमने बताया सर कि पूरे संस्कृत- विषयवार हमने बताया है। 10 टीचर उस विद्यालय में अभी हैं। नियोजन की प्रक्रिया जो है वह पंचायती राज संस्थाओं के माघ्यम से माघ्यमिक, उच्च माघ्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया

जा रहा है। सामान्य विद्यार्थी द्वारा विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन दिया जाता है और एक ही विद्यार्थी का विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयनित होने के कारण रिक्तियां बरकरार रह जाती है। उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए आगामी नियोजन की प्रक्रिया में आवश्यक विचार कर विधिसम्मत निर्णय लेने की कार्रवाई की जा रही है। सरकार यह मानती है कि नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ व्यवस्था है जिसके चलते जो नियोजन हम करना चाहते हैं बार-बार लेकिन नहीं हो पाता है। अभी भी उर्दू के शिक्षकों के नियोजन के लिए हमने तीन बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमारा नियोजन पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हैं, इसको हमलोग विधिसम्मत रास्ता निकाल रहे हैं कि हम नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।

तारांकित प्रश्न सं0-630 (श्री प्रमोद कुमार)

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। 5 लाख तक के ऋण, कृषि ऋण एवं के0सी0सी0 पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं हैं एवं निबंधन शुल्क मात्र 50 रूपये देय होता है। 5 लाख से अधिक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क 1 परसेंट एवं निबंधन शुल्क 2 परसेंट देय होता है।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50 हजार रूपये तक के ऋण के लिए आवश्यक एकरारनामा में 1000 रूपये का स्टाम्प शुल्क देय है।

3- 50 हजार तक गैर कृषि योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की पी0एम0वाई0 के तहत शिशु फर्क पर लिये जाने वाले ऋण के लिए आवश्यक एकरारनामा में दिये स्टाम्प शुल्क की राशि 1000 को घटाकर 200 करने का सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 लाख रूपया तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं हैं और खंड-2 में प्रधानमंत्री मुद्रा कोष- इसके तहत जितना बेरोजगार नौजवान हैं उनको बिना गारंटी 50 हजार से 10 लाख रूपया तक का लोन बैंक से मुहैय्या होता है। इसमें 50 हजार रूपया भी ऋण लेने पर बैंकर 6 हजार रूपया स्टाम्प ड्यूटी की मांग करता है और जो गरीब, नौजवान, बेरोजगार राज्य के नौजवान है- वह 50 हजार रूपया का ऋण लेने से भी मुकर जाते हैं,

चूंकि उन्हें 6 हजार रूपया का स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। मैं मंत्री जी स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कृषि लोन जैसे किसान के हित के लिए है, उसी तरह से राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार से जोड़ने की जो नीति है और उस रोजगार से जोड़ने की नीति के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा कोष है, उसके माध्यम से जो लाभ उठाना है उस लाभ के लिए कृषि ऋण की तरह 50 हजार रूपये से 5 लाख तक का जो ऋण है उसपर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का विचार रखते हैं ? हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो बताया कि उसको घटाकर 200 रूपये करने का विचार रखती है। सरकार ने बताया सुने नहीं ? माननीय मंत्री फिर से बता दीजिए।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : 50 हजार तक गैर कृषि योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पी0एम0वाइ0 के तहत शिशु वर्ग पर लिये जाने वाले ऋण के लिए आवश्यक एकरारनामे के देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि मात्र 1000 को घटाकर 200 करने का सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री प्रमोद कुमार : मंत्री महोदय 1000 कह रहे हैं, लेकिन बैंकर के पास चिट्ठी है 6000 का, पूरे राज्य के बैंकर के पास 6000 रूपये स्टाम्प ड्यूटी की चिट्ठी है और इतनी कल्याणकारी योजना है हुजूर, राज्य के विकास के लिए और नौजवान के कल्याण के लिए और मंत्री महोदय, 1000 को घटाकर 200 करनेवाले हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक का ही उदाहरण लिया जाय, सेंट्रल बैंक का उदाहरण लिया जाय। राज्य के सभी बैंक में जो नौजवान जा रहे हैं खोमचा बेचनेवाले, पान वाले, छोटे-छोटे फुटकर दूकानवाले उनको ऋण लेने में भारी कठिनाई होती है। बैंकर कहता है कि 6000 का स्टाम्प ड्यूटी.....

अध्यक्ष : वह सब बात तो आप बता दिये हैं।

श्री प्रमोद कुमार : वह तो हुजूर कह रहे हैं 1000 का, लेकिन इसका कोई अध्यादेश- जो 200 रूपया करेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रमोद कुमार : 50 हजार से 5 लाख रूपया तक का क्या 200 रूपया करने का विचार रखते हैं ?

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, मैंने कहा कि 50 हजार तक गैर कृषि योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की पी0एम0वाई0 के तहत शिशु वर्ग पर दिये जानेवाले ऋण के लिए आवश्यक एकरारनामा में देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि 1000 को घटाकर 200 करने का सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री प्रमोद कुमार : प्रधनमंत्री मुद्रा कोष की चर्चा नहीं हो रही है। 50 हजार ही बोले रहे हैं, हम 5 लाख तक का कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष : असल में आपके प्रश्न में 50 हजार तक ही बात की गयी है।

श्री प्रमोद कुमार : 50 हजार तक 6 हजार लिया जा रहा है।

अध्यक्ष : वही माननीय मंत्री कह रहे हैं कि 1 हजार लिया जाता है जिसको घटाकर सरकार 200 रूपये.....

श्री प्रमोद कुमार : हुजूर, 6 हजार लिया जा रहा है।

अध्यक्ष : आप एक बार कह दिये, समझ गये न ! आप अगर इसकी सूचना दे रहे हैं तो सरकार इसको देख ले, इसकी जॉच करा ले । अगर 6 हजार रूपया लिया जा रहा है और सरकार का निर्णय 1 हजार का है तो यह गलत बात है, सरकार उसको देखवा लेगी।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : आप लिखकर दीजिए मैं इसकी जॉच करवा लेता हूॅ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, प्रश्न की गंभीरता का अहसास आपको भी है और पूरे सदन को भी है। हर पालिटीकल पार्टी और सभी सरकारें नौजवानों की बात करती है, नौजवानों को रोजगार का अवसर कैसे मिले इसके लिए प्रयास भी करती है। एक अच्छी योजना प्रारंभ हुई है गैर कृषि सेक्टर में, कृषि सेक्टर में तो बहुत प्रकार की सुविधाएं देते रहते हैं सबलोग, लेकिन गैर कृषि सेक्टर में एक बढ़िया और अच्छी योजना नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हुई है। इसको हमलोग मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा कोष के नाम से और इसके माध्यम से छोटे छोटे काम करनेवाले लोग, महोदय, आप जानते हैं कि रूपये की कीमत कितनी कम होती जा रही है और दो-चार-पांच लाख रूपये में रोजगार करने के लिए बहुत बड़े बिजनेश मैन की आवश्यकता नहीं है..... .क्रमशः।

टर्न–7/अशोक/08.03.2016

श्री नंद किशोर यादव : क्रमशः ... महोदय, जो गरीब आदमी है वह 2–4 लाख रूपया लोन लेकर छोटा–मोटा काम करना चाहता है, नाई का दुकान खोलना चाहता है, सब्जी का दुकान खोलना चाहता है । महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उन्होंने 50 हजार रूपया तक के लोन के बारे में चर्चा किया है, 51 हजार लेगा तो उसको लगेगा महोदय, ज्यादा लगेगा पैसा । महेादय, मेरा कहना यह है कि पूरी योजना छोटे दुकानदार के लिए, फुटकर रोजगार करने वालों के लिए है, ठेला वाले के लिए है । तो क्या सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना से जो भी लोन लेना चाहते हैं, बड़ी राशि नहीं है महोदय, छोटे काम के लिए है, बड़े बिजनेस मैन के लिए नहीं है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से जो भी लोन लेना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करना चाहते हैं क्या ? यह मैं जानना चाहता हूॅ ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, जो क्वेश्चन है ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने बतला दिया है अभी 50 हजार तक जो लगता है, उसमें एक हजार सरकार ले रही है, उसको दो सौ करने पर विचार कर रही है। आपने सुझाव दे दिया है, सरकार उस विचार करेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, हमने सप्लेमेंट्री पूछा है, सुझाव नहीं दिया है । सरकार बताये कि करना चाहती है या नहीं करना चाहती है ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो बतला दिया ।

श्री नंद किशोर यादव : मैंने कहा है महोदय, जिन नौजवानों को लोन लेना है, उन सब को शुल्क माफी का सरकार विचार रखती है या नहीं– यह मैं पूछना चाहूंगा । हां–ना में सरकार जवाब तो दे ।

(व्यवधान)

महोदय, प्रश्न का जवाब चाहिए

अध्यक्ष : सरकार ने तो बता दिया है न !

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैंने कोई भाषण नहीं दिया है, मैंने केवल प्रश्न किया है महोदय और आप संरक्षक हैं हमारे । सरकार को जो जवाब देना है दे, मैं कहां मना करता हूॅ, सरकार बताये तो क्या करने वाली है न ? सरकार का जवाब तो चाहिए ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान : महोदय, 50 हजार पर 200 रूपया फीस लेने का सरकार के पास विचार है, माफी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तो कहा है ।

श्री नंद किशोर यादव : उसके आगे का, उसके आगे का न बताइये । प्रधानमंत्री मुद्रा कोष के बारे में पूछ रहे हैं कि करियेगा या नहीं करियेगा ?

श्री अब्दुल जलील मस्तान : आपके प्रश्न में, इससे आगे का प्रश्न नहीं उठता है ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं उन्हें सदन पटल पर रख दिया जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 08 मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल तीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा

(2) माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह एवं

(3) माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद

आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँग जल संसाधन विभाग पर वाद-विवाद तथा मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, महोदय..

अध्यक्ष : अभी तो हमने पूरी बात कहां कही है ?

जिन विषयों की सूचना दी गयी है उन विषयों पर अन्य माध्यम से भी चर्चा की जा सकती है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99(1) के (ii) एवं (iii) के तहत् उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

शून्य- काल

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों की अनुशंसा पर राज्य के अन्दर विभिन्न योजनाओं को ली जाती रही है । अब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना अगले वित्तीय वर्ष में नहीं लिया जायेगा, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना- इन सारी योजनाओं को सरकार बंद कर रही है । महोदय, माननीय विधायकों का मामला है, सत्ता पक्ष के विधायक हों या प्रतिपक्ष के विधायक हों, सबका सवाल है महोदय, जिससे राज्य का विकास अवरूद्ध होगा और माननीय विधायकों के सामने महोदय, काफी कठिनाई होगी और सरकार नई योजनाओं को ला रही है तो हम सरकार को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इन मामलों में सरकार का वक्तव्य हो, आखिर अगले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री चापाकल योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के बारे में सरकार की क्या राय है महोदय और साथ-साथ बिहार में

योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होता है तो वहां पर देखा जाता है कि विधायकों को सूचना नहीं दी जाती है ।

अध्यक्ष : शून्य-काल । माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी शहर के मेनरोड स्थित दुकान मॉ तल्या मैचिंग सेंटर पर सरशाम बमबारी, फायरिंग करने वाले अपराधियों की गिरफतारी एवं मुख्य बाजार सहीत शहर में पुलिस गस्ती तेज करने की मॉग सरकार से करता हूॅ ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यगण हाथ में प्लेकार्ड लिये हुए कुछ कहते हुए सदन के वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय विधायकों का अधिकार छीना जा रहा है ।

(व्वयधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय विधायकों का अधिकार छीना जा रहा है । यह गंभीर मामला है, सत्ता एवं विपक्ष दोनों का यह मामला है । पूरे राज्य में लम्बे समय से महोदय, जो विकास की योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं को बाधित करने के लिए सरकार की साजिश चल रही है । सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर विधायकों को विकास योजनाओं से वंचित किया जा रहा है । सरकार इस पर वक्तव्य दे ।

(व्यधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : राज्य के +2 विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय, 1500 रू0 है जिससे उनका जीवन-यापन में कठिनाई होती है ।

रात्रि प्रहरी का मानदेया बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूॅ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनय बिहारी ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, योगापट्टी प्रखंड अन्तर्गत वर्ष 2010 में निर्मित चुनहवा पुल पर आज तक सही ढ़ंग से आवागमन नहीं हो सका है, दर्जनों घटनायें घट चुकी हैं ।

महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूॅ कि कोई बड़ी घटना घटे उससे पहले पुल की सम्पर्क सड़क को दुरूस्त करवाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत छींटाबाड़ी निवासी अर्जुन तांती की निमर्म हत्या कर एक वृक्ष के डाल पर लटका दिया गया, एक भी हत्यारा पकड़ा नहीं गया है । पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है तथा हत्यारा बेखौफ घूम रहा है । हत्यारे को अविलम्ब सजा मिले ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, गोपालगंज जिले के वैकुण्ठपुर, सिधवलिया प्रखण्डों सहित पूरे जिले एवं राज्य में डिजल अनुदान के मद में 3.81 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध अबतक मात्र 2.61 करोड़ की निकासी हुई है, जबकि जिले के 52 हजार किसान अनुदान से वंचित है । इस मामले में दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, 06 मार्च, 2016 को पूर्णयॉ में आये तेज आंधी, बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों का मक्का एवं गेंहूं की फसल की भारी क्षति हुई है । आम, लीची के मंजर एवं केला फसल को भारी नुकसान हुआ है ।

अतः किसानों को जल्द से जल्द फसल क्षति का मुआवजा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, राज्य सरकार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, मुख्यमंत्री चापाकल योजना तथा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य वापस लेने का निर्णय कर माननीय विधायकों के अधिकार हनन कर रही है। क्षेत्र के विकास में विधायकों की भूमिका अहम होती है ।

अतः सरकार अविलम्ब उक्त निर्णय को वापस ले ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पाटी के जो माननीय सदस्य हैं, महोदय, भारतीय जनता पाटी के माननीय सदस्य जो हैं वे शून्य काल पर सूचना पढ़ रहे हैं महोदय, इसका मतलब यह है कि नेता विरोधी दल पर क्या माननीय सदस्यों

का विश्वास उठ गया है ? नेता विरोधी दल पर माननीय सदस्यों का विश्वास उठ गया है- आधा वेल में है और आधा सूचना पढ़ रहे हैं महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी । महोदय, दरभंगा जिला के दरभगा सदर प्रखण्ड अन्तर्गत शावाजपुर पंचायत के जमलाचक गॉव के दास टोला में बिजली का तार टूट जाने के कारण उक्त टोल में पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है । अविलम्ब तार जोड़कर बिजली चालू करें ।

टर्न-8: 08-03-2016-ज्योति

(व्यवधान)

श्री अनिल सिंह : पैक्स चुनाव के लिए निर्धारित मापदंड है कि बूथ मुख्यालय में होगा परन्तु मापदंड का उल्लंघन कर नवादा जिलांतर्गत अकबरपुर प्रंखण्डांतर्गत कुलना पैक्स का बूथ पकड़ी नहीं किया गया है । चुनाव 9.03.2016 को है । अतः कुलना में बूथ बनाये रखने एवं दोषी पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, महान् स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सूरज नारायण सिंह के नाम पर पटना में बने स्मृति भवन में सामाजिक परिवर्तन अध्ययन संस्थान का गठन करते हुए इसे प्रतिदिन अध्ययन के लिए खुलवाया जाय ।

श्री प्रहलाद यादव : मैं सरकार से राहुल कुमार एवं चन्दन कुमार जो 5-03:2016 को लखीसराय जिला के एन0एच0 80 टोल टैक्स पर 5.47 बजे शाम में मेरे साथ अभद्र व्यवहार एवं अधिाक राशि वसूली के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय,मैं दिनॉक 5-3-2016 संधया 6 बजे अपने सुरक्षा गार्ड एवं दल के साथी राजू गुप्ता के साथ माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री मदन सहनी के जिला आगमन के संदर्भ में अपने जिला के बालगुदर गांव में स्वागत हेतु जा रहा था । एन0एच0 -80 टोल टैक्स पर जैसे ही पहुंचा वहॉ काफी भीड़ लगी हुई थी । जाम हटाने के लिए सुरक्षा गार्ड ज्यों ही पहुंचा और प्रयास करने लगा वहॉ पर उपस्थित चंदन कुमार एवं राहुल कुमार वगैरह मेरे अंगरक्षक से उलझ गया और कहने लगा कि तुम

लोग मेरे काम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं और गाली गलौज करने लगा। जब मेरे अंगरक्षक द्वारा मेरा नाम बताया गया और कहा गया कि विधायक जी मंत्री जी के स्वागत कार्यक्रम में बालगुदर जा रहे हैं तो उसने कहा कि हम कोई विधायक, मंत्री जी को नहीं जानते हैं जाओ टौल टैक्स का रुपया जमा करो तब जाना। मंत्री, विधायक का नाम लेता है इसके द्वारा कहने पर कि विधायक जी गाड़ी का टौल टैक्स बिहार सरकार नहीं लेती है तो उसके साथ लप्पड़- थप्पड़ हाथा-पाई करने लगा तथा लाठी डंडा से खदेड़ने लगा। ये सभी लोग बिना यूनिफौर्म के अपने साथ आस पास के गुंडो का जमावड़ा लगाये रहते हैं तथा बस,कार में सवार महिला यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं । इसपर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : प्रहलाद जी आप का हो गया । श्री विद्यासागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् के सुभाषचौक,फुलवरियादार एवं पटेलचौक क्रौसिंक के पास फ्लाईओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण नेपाल जाने-आने वाली भारी वाहनों से जाम की समस्या रहती है । जाम के कारण घंटों इंतजार से जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है । छात्र छात्राएं स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, संजय सरावगी एवं अन्य पंद्रह सभासदों की
सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, राज्य के निवासियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1982 में बिहार राज्य आवास बोर्ड का गठन किया गया । बोर्ड के द्वारा विभिन्न शहरों में लगभग 20 हजार आवास बनाये गये जिससे हजारों लोग लाभान्वित भी हुए, किन्तु पिछले 15 वर्षों से आवास बोर्ड के द्वारा आवासों का आवंटन बंद है , जिससे एक तरफ राजय के निवासी अवासीय सुविधाा से वंचित हो रहे हैं एवं दूसरी तरफ आवास बोर्ड को राजस्व की क्षति हो रही है ।

अत: राज्य के निवासियों को आवासीय सुविधा तथा आवास बोर्ड को राजस्व की प्राप्ति के लिए इस वर्ष से आवास आवंटन प्रारम्भ करने के लए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री महेश्वर हजारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ऐच्छिक कोटा समाप्त करने के कारण सम्पदाओं का आवंटन नहीं किया जा सकता है । बिहार राज्य आवास बोर्ड आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार नियमावली 1983 की धारा 10(2) में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । नीतिगत निर्णय के बाद अनावंटित सम्पदा के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर ई- लौट्री के माध्यम से आवंटित किया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 वर्षों से आवास का आवंटन बंद है । बिहार के विभिन्न शहरों में आवासीय भूखण्ड और आवास भी बनाए गए थे और उसमें से अधिकाधिक आवास और आवासीय भूखण्ड कहीं न कहीं से औकुपाई है और कोई न कोई कैप्चर किए हुए हैं । तत्काल उदाहरण पटना का ही ले लीजिये जहॉ एच0आई0जी का फ्लैट सब बना हुआ है । आपने 69 फ्लैट लिया विधान सभा के लिए और हमलोगों ने आग्रह किया था कि हमलोगों को उस फ्लैट को दिया जाय और हम उसमें रहते भी हैं । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ एच0आई0जी0 का उदाहरण ले लिया जाय तो उसमें अभी भी 40 प्रतिशत से ज्यादा आवास औकुपाई है जिसका न तो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है जिसका न तो मेंटीनेंस हो रहा है । यह तो हुई एक बात और दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं आवास बोर्ड की जो नियमावली बनी हुई 1983 में उसमें जो सुविधाएं विधायक को, विधानमंडल के सदस्यों को और सांसदों को दी गयी थी तथा सरकार को 5 प्रतिशत अनुकम्पा के आधार पर आवास आवंटित करने की जो सुविधाा दी गयी थी इसको 1999 में सरकार ने डिमोलिश कर दिया । ये 07 प्रतिशत की जो कोटि है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : वही प्रश्न पूछ रहे हैं । अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि जो आवास आप बनाए हैं जो बर्बाद हो रहा है और जो भू-खण्ड आपका पड़ा हुआ है उसको कबतक आप आवंटित करने का विचार रखते हैं , कोई समय सीमा निश्चित करें ?

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, हमने पहले ही कहा माननीय सदस्य को कि आरक्षण प्रावधान का नीतिगत निर्णय के बाद ई-लौट्री के सिस्टेम से सब को आवंटित करेंगे । हमलोग तो पहले ही माननीय सदस्य का जवाब दे दिये थे कि चूँकि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ऐच्छिक कोटा समाप्त कर दिया गया है इसलिए यह कार्य बीच में रुक गया था इसलिए ई - लौट्री के माध्यम से करने जा रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले भी आरक्षण का कोटि प्रावधानित है और उसके आधार पर कुछ लोगों को आवास भी आवंटित किए गए हैं तो इसमें नयी आरक्षण कोटि लागू करने का क्या औचित्य है ?

श्री महेश्वर हजारी : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1983 की धारा 10(2) में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है , जो पहले था वह कैन्सिल हो गया था अभी प्रक्रियाधीन है इसीलिए फिर से ई-लौट्री के माध्यम से जमीन का एलौटमेंट करेंगे और जो हमारा आवास है उसका एलौटमेंट करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : इसको कबतक आप करेंगे कोई समय सीमा तो बताईये और जो आवास अभी भी औकुपायड हैं क्या उसको खाली करायेंगे या जो जमीन दूसरा कोई हड़प लिया है बिहार राज्य के विभिन्न शहरों में जहॉ आपने जमीन ली है ,घर बनाया उसको दूसरे कोई औकुपाई कर लिए हैं कितने दिनों के अंदर उसको खाली करायेंगे, ये नीति जो आरक्षण वाली नीति बना रहे हैं उसको कितने दिनों के अंदर लागू कर देंगे , समय सीमा तो निर्धारित कीजिये । निश्चित बात तो बताईये ।

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, अभी हमलोग जॉच करवा रहे हैं कि कौन कहॉ भवन इनक्रोचमेंट किए हुए हैं , कौन कब्जा किए हुए हैं उसको जल्द से जल्द खाली करवा करके शीघ्र फसला लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया 3-4 सालों से चल रही है और कई बार सदन में यह मामला आया तो जॉच करा रहे हैं , जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त करायेंगे । दरभंगा में आवास बोर्ड के सैकड़ों करोड़े रुपये का भवन और जमीन है अध्यक्ष महोदय, और अवैध औकुपायड है इसलिए माननीय मंत्री एक तो समय सीमा तय कर दें कि कबतक अवैध कब्जा को मुक्त करायेंगे और नाजायज ढंग से इतना कब्जा किया हुआ है इससे अध्यक्ष महोदय, रोज न रोज वहॉ क्राईम होता है , क्रिमनल रहते हैं उसमें और अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व में नीति थी दो परसेंट माननीय विधान मंडल दल के सदस्यों की अनुशंसा से तो ई जो लौट्री करने वाले हैं और 5 परसेंट जो अनुकम्पा के आधार पर जो होता था आवंटन तो क्या उसमें ये 5 और 2 7 परसेंट ,एक तो अवैध कब्जा का मामला और दूसरा यह 7 परसेंट जो कोटा था तो उसमें इस कोटा को सम्मिलित करके आवंटन करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, हमने आदेश दिया है कि हमारा जितना भी आवास विभाग की जो जमीन है सबसे पहले जो जमीन इनक्रोचमेंट किया उसको खाली करावा करके चारदिवारी करावें । चारदिवारी कराके चूँकि हमारा जो नियम है उसका प्रक्रियाधीन है

नियम पूरा करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे । हमलोग माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहतें हैं कि तेज गति से कार्य कर रहे है और जल्द से जल्द हमलोग ई-लौट्री के माध्यम से सभी को आवास और जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे ।

टर्न-9/विजय: 08.03.16

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इसके लिए, तय प्रक्रिया के लिए माननीय मंत्री कोई कमिटी बनाये हैं क्या?

श्री महेश्वर हजारी: इसमें पहले से कमिटी बनी हुई है, कमिटी बनाने की क्या आवश्यकता है, इसमें पहले से कमिटी बनी हुई है । सब काम कर रहे हैं, बिना कमिटी के काम कर रही है क्या सरकार ? सरकार के सारे पदाधिकारी इसमें काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

<u>सर्वश्री राजेश कुमार, वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य चार सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष: श्री राजेश कुमार । ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, " औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा में पड़ने वाले देव एवं नवनीनगर के 40 परसेंट भाग पहाड़ी इलाका है। यह पूरा इलाका पथरीली होने के कारण पेयजल का सतह गर्मी के दिनों में काफी नीचे चला जाता है जिसके कारण चापाकल से पीने वाले पानी का सतह नीचे चला जाता है एवं आवासीत परिवार को पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है । अभी गर्मी का मौसम आया नहीं है लेकिन उक्त इलाका में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है ।

अत: जनहित में पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । "

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले देव प्रखंड के कुल 16 पंचायतों में 4 पंचायत तथा नवीनगर का 25 पंचायत में कुल 10 पंचायत कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है । कुटुम्बा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले देव प्रखंड के 4 पंचायत में कुल चालू चापाकल 525 एवं नवीनगर प्रखंड के 10 पंचायतों में कुल चालू चापाकल 1065 है जिससे जलापूर्त्ति की जा रही है । इसके अतिरिक्त देव प्रखंड में 4 अदद नवीनगर प्रखंड में 4 अदद तथा कुटुम्बा प्रखंड में 4 अदद सौर उर्जा आधारित मिनी जलापूर्त्ति योजना चालू है जिससे जलापूर्त्ति हो रही है । इसके साथ ही देव प्रखंड में 4 अदद नवीनगर प्रखंड में 3 अदद तथा कुटुम्बा प्रखंड में 1 अदद सौर उर्जा आधारित मिनी पाइप जलापूर्त्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य संवेदक को आवंटित है तथा कार्य प्रगति पर है ।

यह बात सत्य है कि देव प्रखंड एवं नवीनगर प्रखंड के क्षेत्र में गर्मी के दिनों में जल स्तर औसतन 45 से 50 फीसदी के आसपास रहता है तथा उक्त क्षेत्र में इंडिया मार्क ।। एवं ।।। प्रकार के चापाकल निर्मित है जिससे पानी 80 फीसदी खींचा जा सकता है । इंडिया मार्क ।। एवं इंडिया मार्क ।।। पाइप के पंप के साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा वर्तमान में कोई जल संकट नहीं है । गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए चापाकलों की मरम्मति कार्य हेतु मोबाइल की व्यवस्था की गई है एवं की जा रही है । साथ ही औरंगाबाद जिले में जल टैंकर की व्यवस्था भी रखी गई है ताकि कहीं भी पेयजल की समस्या होने पर तत्काल पानी पहुंचाया जा सके । इस प्रकार सरकार पेयजल की समस्या के निदान हेतु सतत् प्रयत्नशील है । औरंगाबाद जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष चालू है तथा मुख्यालय स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष टौल फ्री नं0-18001231121 आम जनता द्वारा पेयजल की शिकायत हेतु शुरू है एवं शिकायत प्राप्त होते ही इस पर तुरत कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी के द्वारा की जाती है ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से कराना चाहते हैं जैसा कि नवीनगर का पंचायत है मुगीरिया, खजूरी, पांडू, टंडवा, रामनगर और देव प्रखंड के दुलारे, बनुआखरा, बरंडारामपुर एवं अम्बा प्रखंड के पीपराबगाही, महराजगंज में अभी भी पानी का वही स्थिति है । मैं उदाहरण के तौर पर दुलारे पंचायत का छुछिया दुलारे ग्राम में आज भी वहां के चुआर का पानी पी रहे हैं यह तो जांच का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय इसको जांचा जाय चुआंर के पानी आज भी वहां के लोग पी रहे हैं तो मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से यह

आग्रह करूंगा आपके द्वारा कि यहां पर स्पेशल स्पेशल ड्राइव चलाने की आवश्यकता है । सरकार का जो जवाब आया है उसमें जो हमारा सवाल था पहाड़ी इलाके का कि 40 परसेंट हमारा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में आज भी क्राइसिस है । जो प्रतिवेदन सरकार का पेश किया गया वह प्रतिवेदन मैदानी भाग का हो सकता है, उसको मैं स्वीकारता हूं लेकिन मेरा सवाल था कि पहाड़ी इलाके का । आपके माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार इन पहाड़ी इलाकों में स्पेशल ड्राइव चलाकर पानी के अभाव से निजात दिलाना चाहेगी ?

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर है वह बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से महोदय, सरकार ने उसको पूरी तरह से बताया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं वह भी हमने बताया । और इससे आगे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पेयजल के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं 7 निश्चय में वह भी शामिल है । इसके अतिरिक्त भी जलापूर्त्ति की जायेगी । पानी के पीने का इंतजाम पूरे राज्य में पूरी तरह से उपलब्ध कराया जाएगा महोदय और माननीय सदस्य को मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र हो या बिहार का कोई क्षेत्र हो पानी पीने का पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाएगा । अगर कुछ स्पेसिफिक बात माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी जांच भी करायेंगे और उसका निदान भी करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि चापाकल की संख्या चालू चापाकल की जो है वह कितनी है और अभी भी बंद चापाकल बहुत सारे हैं । तो सदन के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि चापाकलों में जो बंद चापाकल है उसका अब तक हमको रिपोर्ट नहीं मिला है उसकी भी जांच करायी जाय उसको भी चालू कराया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । आपकी सूचना ग्रहण कर उपलब्ध करा देंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला में नवीनगर और कुटुम्बा भिन्न हैं । औरंगाबाद जिला के नवीनगर, कुटुम्बा, वारूण, औरंगाबाद जिला में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है । मैं गांवों का भ्रमण कर आ रहा हूं और कई एक गांव में गया हूं । अभी पानी जहां उस गांव में बोरिंग लगा है सिर्फ बोरिंग से पानी चल रहा है । बाकी सारे चापाकल बंद हो गए हैं खड़े हो गए हैं । स्पष्ट रूप से सब चापाकल टंग गए हैं और बोरिंग से पानी लोग ढो कर ला रहे हैं ।

अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय में एक निश्चय कि नल का जल हम देंगे लेकिन उसमें यह सवाल है कि नल का जल हम पहले प्रायोरिटी में वहां देंगे जहां अशुद्ध जल है । जहां नहीं है वहां प्रायोरिटी में क्या तय करने का सरकार विचार रखती है कि वहां पर नल का जल पहले उपलब्ध करायेंगे जहां नल का जल है ही नहीं, पानी पीने का है ही नहीं ।

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसके बारे में सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है महोदय कि जहां पेयजल की समस्या है जहां जलापूर्त्ति योजना हमारी नहीं है वहां पर हमलोग लगायेंगे । और माननीय सदस्य को भी अनुशंसा करने का अधिकार है महोदय। तो माननीय सदस्य अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करेंगे और सरकार भी अपने तरफ से उसको देख रही है महोदय । तो माननीय सदस्य की चिंता तो दूर हो जानी चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है । ध्यानाकर्षण सूचनाएं समाप्त हुई ।

टर्न-10/बिपिन/08.3.2016

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिल देव कामत: महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146(2) के तहत् बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं धारा 146 (3) के तहत् बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक-09.09.2009 से प्रवृत्त किए जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-11/राजेश/8.3.16

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः- सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय-कार्य

अध्यक्षः- जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः-

राष्ट्रीय जनता दलः-	59 मिनट
जनता दल (यूनाईटेड):-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टीः-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कॉग्रेसः-	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0):-	2 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टीः-	2 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाः-	1 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टीः-	2 मिनट
निर्दलीय :-	3 मिनट

कुलः- 180 मिनट ।

अध्यक्षः- प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः- महोदय, जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 22,79,06,13,000/-(बाइस अरब, उनासी करोड़, छः लाख, तेरह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः- इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अरुण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक है, जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक कुमार सिंहः- महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश बाइस अरब,उनासी करोड़ छः लाख, तेरह हजार रुपये का जो बजट पेश किया है और उसपर जो मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तथा अपने नेता का आभारी हूँ । महोदय, मैं पहली बार इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो तो आसन हमें माफ करने का काम करेंगे ।

अध्यक्षः- आपसे गलती नहीं होगी अशोक जी, सिर्फ आप अपने समय सीमा का ख्याल रखियेगा जो 15 मिनट है ।

श्री अशोक कुमार सिंहः- अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी वरीय माननीय सदस्यों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सब का अभिवादन करता हूँ । आप जानते हैं हमारा बिहार राज्य कृषि पर आधारित राज्य है । यहाँ आज भी 75 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है लेकिन महोदय हमें आश्चर्य हो रहा है कि सरकार ने जो 7 निश्चय लिया है, उसमें कृषि को छोड़ दिया गया है । महोदय, सब तरह का विकास कर दिया जाय और हमारा खेत सूखा रह जाय, हमारा खेत बंजर रह जाय, तो हम कितना भी विकास करेंगे, वह विकास कारगर नहीं होगा । महोदय, या तो सरकार ने सिंचाई को वरीयता नहीं दिया है, अपने एजेंडा में प्राथमिकता नहीं दिया है या नहीं, तो सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि हम बिहार के हर खेत को हर हाल में पानी देने का काम करेंगे, यह हिम्मत सरकार के पास नहीं है । इसलिए हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से कि सरकार ने जो निश्चय लिया है, उसमें सिंचाई को, जल संसाधन को, भी शामिल करें । महोदय,मैं शाहाबाद क्षेत्र से आता हूँ, मैंने अपनी दृष्टि से देखा है, घूमकर, चलकर जो देखा है, उसकी चर्चा करना चाहूंगा । महोदय, जो ऑकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उस ऑकड़े को देखने से पता चलता है कि बिहार के सभी खेतों को पानी मिल रहा

है लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है । महोदय, किसी भी सोन अंचल का जमीन हो, सभी किसानों की फसल जल गयी । महोदय, चाहे वह खरीफ की फसल हो या रब्बी की फसल हो, आज स्थिति यह है कि सोन सिस्टम से 14300 क्यूसेक पानी हम लेते हैं, पूरे शाहाबाद की जीविका का वही एकमात्र साधन है लेकिन आज 7-8 साल से सोन में कोई काम नहीं हो रहा है, नहरें गाद से भरी हैं, नहरें गाछ से भरी हैं, हमारे अभियंता कहते हैं कि हम पानी ले रहे हैं, 14000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं, 10000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं लेकिन जब हमारी नहरें गाद से भरी हैं, तो नहरों में 10000 क्यूसेक, 14000 क्यूसेक पानी कैसे जायेगा, इसलिए यह झूठा ऑकड़ा है, हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी नहरों की सफाई हो, क्योंकि सोन हमारी जीविका का साधन है पूरे शाहाबाद का, इसलिए पूरी सोन सिस्टम का लाइनिंग किया जाय, इसका पक्कीकरण किया जाय और शाहाबाद के किसानों को जिंदा रखने के लिए इन्द्रपुरी जलाशय का निर्माण हो । माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें कहा गया है कि 25.2 को बैठक हुई है, उसपर सहमति बनी है लेकिन यह प्रतिवेदन कागज पर न रहे, यह जमीन पर उतरना चाहिए, कदवन हमारा बनना चाहिए । महोदय, सोन में हमारी 11 नहरें चलती हैं, 11 नहरों की लंबाई 35 किलोमीटर है लेकिन आज 7-8 सालों से 8-9 किलोमीटर में भी एक बूंद पानी नहीं जाता है.....

(इस अवसर पर श्रीमती लेशी सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

महोदया, उसके बगल में कुदरा नदी प्रवाहित होती है मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हम एक-एक बूंद को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करेंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा । महोदय, हम चाहेंगे कि कुदरा नदी में तकसरिया के पास वीयर बनाकर नहरों में डाला जाय, इसीतरह करगहर बराज प्रवाह में अनधारी के पास धर्मावती नदी का प्रवाह होता है, जिसमें सालों भर पानी चलता है । महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि धर्मावती में वीयर बना करके राजवारा में डाला जाय । महोदय, हमारे यहाँ जैदपुरा पंप कैनाल है, जैदपुरा पंप कैनाल में 12-13 से काम लगा है, एक करोड़ 59 लाख रुपये का टेंडर हुआ लेकिन आज तक जैदपुरा पंप कैनाल पानी नहीं दिया, एक बार ही नहीं बल्कि कई बार उसका ट्रायल किया गया और ट्रायल में ही मोटर जल जाती है, आज तक वह पानी नहीं दे सका । सरकार इसके प्रति एक प्रतिशत भी संवेदनशील नहीं है, एक ही बार नहीं बल्कि कई बार हमलोग वहाँ पर गये

और सरकार की तरफ से ट्रायल भी हुआ लेकिन पानी नहीं निकल पाया । किसान लोग हाईकोर्ट चले गये उसको चलाने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि यह सरकार की मिलीभगत है और संवेदक द्वारा पैसे का खुल्लमखुल्ला लूट किया गया है, जिसके कारण किसानों को एक बूंद भी पानी नहीं मिला, सरकार की संवेदनहीनता का यह जीता-जागता उदाहरण है जैदपुरा पंप कैनाल,उसके बगल में पियरा पंप कैनाल है, जो 1992 से बंद हैं । जो सरकार एक पंप कैनाल को बंद नहीं कर सकती और प्रतिवेदन दिया जा रहा है कि हम इतना हेक्टेयर को सिंचित कर दिया है, यह झूठा पुलिंदा है, यह किसानों को ठगने का पुलिंदा है । अब मैं कर्मनाशा पंप की चर्चा करना चाहता हूँ, प्रतिवेदन में भी कर्मनाशा पंप की चर्चा है ।

क्रमशः

टर्नः12/कृष्ण/08.03.2016

श्री अशोक कुमार सिंह : क्रमश : कर्मनाशा नहर 990 क्यूसेक का हमारे यहां 3 कैनाल है, लरमा, बहुआरा और कर्मनाशा । उसको चलाने के लिये, एक पम्प को चलाने के लिये 18 कर्मचारियों की आवश्यकता है । लेकिन बहुआरा पम्प पर सिर्फ एक कर्मचारी है । वहां आवश्यकता है हमको तीन शिफ्ट में 18 कर्मचारियों का । जमानिया पम्प कैनाल जिसे अब कर्मनाशा पम्प कैनाल कहा जा रहा है, उस पर 2 कर्मचारी हैं । वहां जरूरत है 18 कर्मचारियों का । बहुआरा पम्प कैनाल, वहां 1 कर्मचारी है, जरूरत है 18 कर्मचारियों का । उसका हम बिल देते हैं किसान मजदूर की मेहनत की कमाई का उसका बिल आया है, 9 करोड़ 50 लाख 28 हजार 63 रूपया । पम्प कैनाल का हम बिल देते हैं साल में 9 करोड़ 50 लाख 28 हजार रूपया और चलाने के लिये कर्मचारी है हमारे पास 4 । हमको चाहिए 36 और कर्मचारी है 4 । कर्मनाशा पम्प नहर में अभी सरकार द्वारा 7 से 8 करोड़ का लाईनिंग का काम भी हो रहा है । उस पर ओवरसीयर है, एस0डी0ओ0 है, एक्जेक्यूटीव इन्जीनियर है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं । लेकिन जो कर्मचारी पम्प को चलायेगा, जिससे पम्प का पानी निकलेगा, कैनाल में पानी जायेगा, किसान को पानी मिलेगा, वह कर्मचारी पम्प चलाने वाला नहीं है, यह सरकार के संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है । यह जीता-जागता सरकार की उदासीनता का प्रमाण है । कर्मनाशा नहर जो लतीफसह से निकल कर आती है, उसका जितना पैसा पानी का होता है, सरकार ने उत्तर प्रदेश को जमा कर दिया । लेकिन चांद ब्लौक से दुर्गावती ब्लौक तक उसका पानी नहीं आया । एक भी हमारा कर्मचारी, अधिकारी लतीफसह बीयर जाने का हिम्मत नहीं करता है । एक-दो बार गया, वहां के लोग खदेड़

देते हैं । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां बीयर पर जहां हमारी हिस्सेदारी है 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत का हम पैसा देते हैं, हमारे क्षेत्र का पानी जाता है उनके बराज में, तो वहां कर्मचारी नियुक्त किया जाये, उसकी पोस्टिंग की जाय और हमारा जो हक है, वह हमें दिया जाय महोदय । बहुत दिनों से मांग है कि वहां धड़हर में पम्प कैनाल बैठाया जाय ।

सभापित महोदया, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कर्मनाशा नदी में धड़हर में पम्प कैनाल मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है । कर्मनाशा नहर में उसके पानी को अगर डाल दिया जाय तो इस इलााके के 6 पंचायतों को पानी मिल जायेगा और किसान खुशहाल हो जायेंगे । महोदय, नहीं तो परिणाम क्या है ? रोज हमारी राज्य की सीमा वहां घट रही है । बनारस से, इलाहाबाद से आकर सस्ते दाम पर जमीन खरीद रहे हैं । हमलोग मना कर रहे हैं किसानों से कि क्यों आपलोग जमीन बेच रहे हैं, किसान कहता है कि पानी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं ? यकीन नहीं होगा, सभापति जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र के आज भी 15 पंचायतों में पानी नहीं है । हमारे 15 पंचायतें असिंचित है तो सरकार क्या सिंचाई देगी ? जो प्रतिवेदन आ रहा है, प्रतिवेदन देखने से लगता है कि हमारे सारे खेतों को पानी मिल गया । लेकिन आज भी हमारे 15 पंचायतें असिंचित हैं । उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है । महोदया, हमलोगों को बड़ी खुशी हुई कि नदियों से नदियों को जोड़ का कार्यक्रम होगा । हमारी जो नदियां हमारे इलाके में बाढ़ लेकर आती हैं और बाढ़ समाप्त होगा और हमको पानी मिलेगा । लेकिन नदी जोड़ का एक भी काम बिहार में नहीं हुआ । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार में अगर वादा है तो आगे आये और जो हमारा पानी बहकर गंगा में चला जा रहा है, जो हमारे खेतों को नहीं मिल पा रहा है, नदियों को नदियों से जोड़ा जाय और नहीं तो नदियों को नहरों से जोड़कर किसानों के खेतों को पानी देने का सरकार काम करे और यहां गलत आंकड़ा पेश करने का काम सरकार नहीं करे ।

ठीक बोले रहे हैं आप । बिजली के विषय में मैं कहना चाहता हूं । बिजली की चर्चा माननीय मंत्री जी किये । बिजली मिल रही है, इसमें दो मत नहीं है और वही फार्मूला मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि वह लागू करे । बिजली कब, कहां और कौन चोरी कर लेगा, कोई पूछनेवाला नहीं था । लेकिन आज कोई बिजली चोरी नहीं कर रहा है । राजस्व बढ़ गया । सब को बिजली मिल रही है । लेकिन आपके नहर की क्या स्थिति है ? जिसको जो मन में आये, वह नहर के साथ छेड़छाड़ कर दे, जिसको जहां तोड़ना है, तोड़ दे, जिसको जहां बांधना है, बांध लें । जिसको जो चलाना है, चलावे । नहर सरकार के कंट्रोल में नहीं है । नहर इलाके के जबर्दस्त लोगों के कंट्रोल में है । जब चाहते, जहां चाहते, नहर को डिस्टर्ब कर देते हैं । हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है । महोदया, उत्तर प्रदेश में किसी का हिम्मत नहीं है कि नहर के साथ छेड़छाड़

कर दे । वह रोस्टर बनाता है कहता है कि 1 से 5 तारीख तक पानी इस इलाके में जायेगा तो 1 से 5 तक पानी जाता है और किसान के खेतों को पानी मिलता है । लेकिन हमारे बिहार में माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ने भी स्वीकार किया कि हम लाख व्यवस्था कर दें, लेकिन ऊपर के किसान नीचे के किसानों को पानी नहीं मिलने देंगे । जब सरकार कह रही है कि हम मजबूर हैं.....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) माननीय सदस्य,आपका समय समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव । आपका समय 10 मिनट है । आप अपनी बात रखें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदया, एक मिनट । सरकार को एक सलाह देना है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदया, विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत मांग के समर्थन में और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । महोदया, बिहार विभाजन के पश्चात् प्रकृति प्रदत्त सारी संपदा झारखंड को मिला और बिहार के हिस्से में मिला सिर्फ पानी और नदी । बिहार को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है - उत्तर बिहार जो गंगा के उत्तर है, नेपाल से निकलने वाली सारी नदियां, उस भाग को बाढ़ से, कटाव से हर वर्ष उत्पात मचा कर क्षति पहुंचाने का काम करती है । ठीक उसके विपरीत दक्षिण बिहार में पानी का संकट लगा रहता है और इस परिस्थिति में हमारी सरकार ने बिहार बंटवारा के बाद जो जल का संकट है और जल द्वारा उत्पन्न संकट से निदान पाने के लिये जो व्यवस्था और प्रबंधन की है, वह प्रशंसनीय है । आज राज्य में विभिन्न नदियों के द्वारा जो उत्पात मचाया जाता है, कटाव से, बाढ़ से, मानव जीवन को, जनजीवन को क्षति पहुंचाया जाता है, उस क्षति से बचाने में और बचाने के बाद भी सारे जीव-जन्तुओं की रक्षा के लिये हमारी सरकार पानी पहुंचाने का काम कर रही है । यह सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है । जिस तरह पानी का यहां संकट है और उस संकट के निदान में जो राशि व्यय होना चाहिए और सरकार की तरफ से जो मांग रखी गयी है, मेरी समझ से वह राशि बहुत कम है । जल के संकट के निदान के लिये चाहे वह पीने का पानी हो या सिंचाई का साधन हो और नदियों के जल से जो उत्पात होता है, उससे बचाने के लिये यह राशि कम है और यह बहुत सोचनीय विषय है । दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के साथी लोग इस योजना पर कटौती का प्रस्ताव लाने का काम करते हैं ।

टर्न-13/सत्येन्द्र/8-3-16

श्री यदुवंश कुमार यादव(क्रमशः) जो साबित करता है कि उनको यहां के विकास से, यहां के आम जन जीवन से, प्राण की रक्षा से कोई मतलब नहीं है । महोदया, हमारी सरकार ने सीमित संसाधन में जो प्रबंधन किया है 2015 में, 29.25 लाख हे0 में सिंचाई क्षमता सृजन करने का काम हमारी सरकार ने किया है । 2015-16 में सुखाड़ की स्थिति से निपटते हुए भी हमारी सरकार ने 17.17 लाख हे0 में सिंचाई सुविधा पहुंचाने का काम किया है । 22 हजार हे0 सिंचाई नाली का निर्माण और 1733 हे0 में पक्का नाला का निर्माण कराने का काम हमारी सरकार ने की है और वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 2 लाख 34 हजार 525 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन करने तथा 1 लाख 20 हजार 180 हे0 में जो क्षमता है उनको पुनर्स्थापित करने का हमारी सरकार का लक्ष्य है । सुखे से एवं बाढ़ से बचाने के लिए विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाकर उसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का काम किया है और चालू वित्तीय वर्ष में 285 अदद जो कटाव निरोधक कार्य है, उस कार्य को पूर्ण कर के तटबंध को सुरक्षित कर के जनजीवन को अस्तव्यस्त होने से बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है । आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2016-17 में 230 अदद कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य हमारी सरकार का है इसके अतिरिक्त जो सीमित संसाधन हमारे सरकार के पास है, एन0ए0डब्लू0बी0ए0, रिभर मैनेजमेंट ऐक्टिविटीज, बोर्डर एरिया के तहत नेपाल प्रभाग में 45 योजनाओं को पूर्ण कराने का काम किया है और आगामी वित्तीय वर्ष में 29 अदद योजना पूर्ण कराना है । हमारी सरकार ने 615 हे0 क्षेत्र से जल जमाव से मुक्ति दिलाने का काम किया है और आने वाले समय में इस वित्तीय वर्ष में 938 हे0 में पानी से जो क्षेत्र डूबा रहता है उस एरिया से जल निकासी का प्रस्ताव हमारी सरकार का है। अल्प साधन में जो हमारी सरकार कम सीमित संसाधन में जो हमारी सरकार ने काम किया है और आने वाले समय में जो इनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य पूर्त्ति करने के लिए चाहिए था विपक्ष के लोगों को कि आपस में मिलजुलकर हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेजने का काम किया था इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करते लेकिन आज ये कटौती का प्रस्ताव लाकर के अपनस परिचय देने का काम करते हैं। महोदया, जीवन में चाहे मानव हो, पशु हो, चाहे इस पृथ्वी पर जो सजीव प्राणी है उसके लिए पानी आवश्यक है और पानी का प्रबंधन कुशल प्रबंधन कर के हर जीव जन्तु तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है, चाहे वो जिस रूप में हो हमारी सरकार प्रतिवद्ध है कि हम हर खेत को पानी देंगे पेयजल की भी व्यवस्था करने का काम

करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है जल की रक्षा करना, मानव जीवन की रक्षा करना है और सही मायने में जल ही जीवन है इसीलिए रहीम ने कहा है- रहीमन पानी राखिये बिनु पानी सब सुन,पानी गये ने उबरे मोती मानव सुन। महोदया,मैं वहां से आता हूॅ जहां कभी कहावत था आम लोगों की बोल चाल में भाषा थी कि 'न जहर खाओ न महर खाओ,और मरे के मन हो तो पूर्णिया जाओ' लेकिन आज ये बात बदल गयी है अब ये बात यहां नहीं है और ये बात हो गया है कि 'न जहर खााओ न महर खाओ और मरे के मन हो तो बांध के भीतर जाओ।' हम वहां से आते हैं जहां सरकारी संसाधन से दोनों तटबंध के अन्दर लोगों को घेर कर के रखने का काम किया गया है और वहां के लोगों ने प्यार दिखलाकर के जनजीवन की सुविधा के लिए अपना त्याग दिखलाकर के अपने अपने बाजू पर सीने पर बांध बनवाने का काम किया है। उस क्षेत्र के लोगों की समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ। महोदया, आज कोशी नदी जो परिवर्त्तनशील नदी है और वो दुखदायनी नदी है। आज कोशी क्षेत्र में उसकी लीला से उसके प्रचंड प्रकोप से वहां के लोग त्रस्त हैं। एक बात मैं विशेष रूप से अलग होकर कहना चाहता हूं। कोशी बेड के लोगों के घर में मकरा भी जाल लगाने का काम नहीं करता है, कोशी बीच के लोगों के घर में मकरे का जाल भी नहीं लगता है जबतक मकरा जाल लगाने का काम करता है कोशी नदी उसको काटकर के दूसरे जगह बसाने के लिए विवश कर देती है। आज विगत वर्षों से, कोशी में जो महासेतु बना है, महासेतु के दोनों नीचे के तरफ गाईड बांध बना हुआ है। उस दोनों गाईड बांध के किनारे से लेकर के आगे तक गांव की मिट्टी कट रहा है जो पंचायत गांव वहां बसा है, कोशी नदी के कटाव से अधिकांश गांव कटकर नदी के धारा नदी के पेट में समा गया है । महोदया,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ कि उस गांव में बसे लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए तुरंत कटाव निरोधक कार्य शुरू करवाकर जो गांव में हजारों हजार लोग बसे हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। दूसरी समस्या जो वहां की है वो 12 से लेकर के 125 वें कि0मी0 तक लंबी कोशी तटबंध है उस तटबंध के किनारे किनारे की जो जमीन है वो कोशी के जल जमाव से सिपेज के पानी से सालों पर डूबा रहता है जिससे पैदावार की कमी होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस जल जमाव क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। महोदया,एक बात मैं जानकारी देना चाहता हूॅ कि पूर्वी और पश्चिमी कोशी तटबंध को चौड़ीकरण, ऊंचीकरण और कालीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था विगत वर्ष में, पूर्व तटबंध के माथे पर छिल कर के जहां तहां से अल्प मिट्टी लाकर के उसका

काम शुरू किया गया था जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम सदन से निवेदन करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री सत्यदेव सिंह: माननीय सभापति महोदय,सबसे पहले बिहार की महान जनता को बधाई दे रहा हूँ कि लालू यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिसे जुमला पार्टी कहते हैं उसको शिकस्त करने का काम किया है। महोदया भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम किया था लेकिन जनता ने सच्चाई को समझ लिया और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। (क्रमशः)

टर्न-14/मधुप/08.03.2016

श्री सत्यदेव सिंह : (क्रमशः)

''जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, मानव निर्मित दुःख सभी की,
जाति, धर्म का मिटे निशान, मानव-मानव एक समान ।''

इसी सिद्धांत पर माननीय नीतीश कुमार चल रहे हैं । दूसरे शब्दों में कहते हैं कि Poverty is man made, it is not a curse. गरीबी मनुष्य कृत है, जाति मनुष्य कृत है, मनुष्य ने धर्म बनाया, मनुष्य ने ही जातियाँ बनाई और मनुष्य ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई गरीब हो गया और कोई अमीर हो गया । नीतीश कुमार यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि गरीबी दैविक नहीं है, गरीबी दूर किया जा सकता है, अमीरी और गरीबी के खाई को पाटा जा सकता है । इसी सिद्धांत पर नीतीश कुमार चल रहे हैं, बिहार की जनता और देश की जनता को एक दिशा दे रहे हैं ।

महोदया, डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की थी । देश को समृद्ध बनाने के लिए, समाजवाद स्थापित करने के लिए, इंसानियत लाने के लिए, ऊँच-नीच और जाति-पाति के विभेद को मिटाने के लिए डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की थी । उसी को जयप्रकाश जी ने आगे बढ़ाया था, उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति की बात की । नीतीश कुमार ने क्या किया ? सात निश्चय लाया, सात निश्चय किया है । बिहार की गुरबत को मिटाने वाला निश्चय है, बिहार से गरीबी को दूर करने वाला निश्चय है, आम जनता के चेहरे पर खुशी लाने का निश्चय है । यह है नीतीश कुमार का सिद्धांत । सात निश्चय से बिहार बदल जायेगा। वह सात निश्चय क्या है - आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर में नल का जल, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की

गली नाली, अवसर बढ़े आगे पढ़े । यह नीतीश कुमार जी का सात निश्चय है । मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जैसा अद्‌भुत मुख्यमंत्री बिहार की जनता को मिला है । इसलिये मैं कहता हूँ कि विकास की आंधी आई है, खुशियाँ घर-घर छाई है, नीतीश कुमार के रूप में अद्‌भुत मुख्यमंत्री बिहार की जनता पाई है । मैं इसपर कहता हूँ - अद्‌भुत मुख्यमंत्री अद्‌भुत काम, सात निश्चय पाये मुकाम । यह हैं नीतीश कुमार ।

मैं एक दिन अंग्रेजी पत्रिका पढ़ रहा था । उसमें पढ़ा कि आर0एस0एस0 क्या है और भा0ज0पा0 क्या है । लिखा - BJP is just a political wing of RSS which is responsible for the killing of the Father of Nation Mahatma Gandhi. The whole country knows it. It is continuously working against the constitution of India. RSS must be banned. एक समय था जब देश आजाद हो गया था तो आर0एस0एस0 पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगा दिया था । आर0एस0एस0 वालों ने विरोध किया, पटेल साहब ने बुलाया कि आप बताओ कि आर0एस0एस0 का एजेन्डा क्या है, आर0एस0एस0 राजनीति करेगी कि देश सेवा करेगा। वहाँ बदलाव हुआ, आर0एस0एस0 ने संविधान में बदलाव किया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ देश की सेवा करेंगे । RSS carries the ideology of Golwarkar who never believed in the Indian constitution. Even RSS do not believe in Tiranga. BJP is carrying all the Agenda of RSS. आर0एस0एस0 ने देश के निर्माण में हिस्सा नहीं लिया । जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आर0एस0एस0 के लोगों ने, विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने देश की आजादी के खिलाफ काम किया था, क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से गोली मरवाता था, जेल में भेजवाता था । आर0एस0एस0 का एक आदमी बतावे, भा0ज0पा0 का एक आदमी बतावे कि वह देशभक्त है, जो देश की आजादी में हिस्सा लिया हो । देश की आजादी में आर0एस0एस0 के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, विश्व हिन्दू परिषद् ने हिस्सा नहीं लिया। जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं ले और वह कहता है कि हम देशभक्त हैं ! क्या देशभक्त हैं, कैसे देशभक्त हैं आप ! देश किसे कहते हैं ? वह भू-भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है, उसे देश कहा जाता है। देशभक्ति का मतलब होता है, उस देश में रहने वाले लोगों का उस देश से प्रेम करना, मोहब्बत करना, उस देश के लोगों का उत्थान करना । देश का उत्थान करने का मतलब होता है, देश में रहने वाले लोगों का

उत्थान । आप तो भू-भाग से प्यार की बात करते हो ! अंटार्कटिका देश नहीं है, वहाँ मनुष्य निवास नहीं करता है । भारत देश है । आप देशहित में काम करने वाले नहीं हो, आर0एस0एस0 के लोग देशभक्त नहीं हैं, भा0ज0पा0 आर0एस0एस0 का विंग है और भा0ज0पा0 आर0एस0एस0 के एजेन्डा को ढो रही है । ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बाँट रहे हैं ! कन्हैया के साथ क्या हुआ ? झूठा आरोप लगाया गया । रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ ? दलित छात्र को मजबूर किया गया आत्म-हत्या करने को ।

भारतीय जनता पार्टी देशहित में काम नहीं करती है । आर0एस0एस0 के लोग देशहित में काम नहीं करते हैं । इसलिये आर0एस0एस0 मस्ट बी बैन्ड । जबतक आर0एस0एस0 रहेगा, देश टुकड़ा-टुकड़ा हो जायेगा । आर0एस0एस0 को प्रतिबंधित होना चाहिये । आर0एस0एस0 ने कभी देशहित में काम नहीं किया । आज हमारे समाज में.....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें । सत्यदेव बाबू, आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री सत्यदेव सिंह : देश को गुलाम किसने बनाया ?

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, रामदेव राय जी । आप बोलिये ।

(व्यवधान)

सत्यदेव बाबू, आपका समय समाप्त हुआ । श्री रामदेव राय जी, आप अपनी बात बोलिये । 10 मिनट का समय है ।

टर्न–15/आजाद/08.03.2016

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, बैठ जाईए । आपका समय समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, आप अपनी बात रखें, आपका 10 मिनट का समय है।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदया, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं चन्द बातें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ । महोदया, सिंचाई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को बुनियादी अधिसंरचना उपलब्ध कराता है, जिसके कारण सिंचाई और कृषि का अन्योनाश्रय संबंध है । हमारी कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण सिंचाई पर आधारित है । लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था नितान्त अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है । 1009 मिली मीटर तक हमारे यहां वर्षा होती है । हमारे यहां जल का अभाव नहीं है लेकिन अनियमित वर्षा और जलाभाव के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है । सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य आधार भी हमारे यहां कृषि है और सिंचाई उसका मुख्य आधार होता है । परन्तु जिस निरन्तर गति से इसमें विकास होना चाहिए, पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है । वैसे आपका बजट काफी संतुलित है, प्रोग्रेसिव है, किसान की ओर आप ध्यान दिये हैं । लेकिन किसान की जो मूल समस्या है, जहां आपका ध्यान बिल्कुल केन्द्रित होना चाहिए, उस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी । मैं तो पूरा आपका बजट नहीं पढ़ पाया हूँ, मगर जो किताब से पढ़ा हूँ, उससे लगता है कि मुख्य आधार संरचना है सिंचाई, सिंचाई पर तो केन्द्रीय सरकार बिल्कुल निगेटिव ही है । यहां जो कुछ करना है, आपको करना है । आपने बड़ी–बड़ी योजनायें हासिल की है लेकिन उन बड़ी–बड़ी योजनाओं का क्या हश्र है । मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ । चाहे उत्तर कोयल हो, बटेश्वर स्थान हो, सोन कैनाल हो, डकरा नाला हो, सुल्तानगंज पम्प नहर हो, बरनार जलाशय हो, सूर्यगढ़ा हो, गंगा पम्प नहर हो, मैं इसके हश्र के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ । मगर आप बड़ी योजना के जरिए बिहार को जितना पानी देना चाहते हैं, वह लक्ष्य भी हमारा पूरा नहीं हो पाता है । कारण क्या है, उसपर आप गौर कीजिए । सिंचाई की क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जिसमें मेरा ख्याल है कि वृहत, मध्यम एवं लघु तीनों सिंचाई है और उसी में भूतल और भूजल भी शामिल है । वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना की चरम क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है, यह आपके किताब में भी है और सृजित क्षमता हुजूर 29.25 लाख हेक्टेयर है और उपलब्धि आपका 19.42 लाख हेक्टेयर है, यही पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । क्षमता आपकी बहुत ज्यादा है तो क्षमता आपको उपयोग करने में किसने रोक दिया । आपकी प्रतिभा में कमी नहीं है, आपकी योग्यता में कमी नहीं है, आपकी कार्य दक्षता में कमी नहीं है तो

क्या कारण है कि हमारी उपलब्धि बहुत कमजोर है । उसी तरह जो मुख्य आधार है कृषि का, वह सहज उपाय है, सरल उपाय है । इसी तरह लघु सिंचाई में आपका चरम क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है और उसमें 38.21 लाख हेक्टेयर आपकी सृजित क्षमता है और यही आप हासिल करते हैं । यह हासिल तो आप कर लेते हैं लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 50 प्रतिशत भी नहीं हो पाता है, क्योंकि भूतल में चरम क्षमता 15.44 में सृजित क्षमता 7.22 है। फिर भूजल में 45.57 है, जिसमें सृजित क्षमता 31.01 है और उपलब्धि भी यही है। इसलिए सबका 50 प्रतिशत से कम ही हो पाता है । यह दु:खद पहलू है, इसी दु:खद पहलू को आपको निराकरण करना है । अभी तक मात्र 67.46 लाख हेक्टेयर जमीन को सृजित करने की क्षमता का लक्ष्य था, जिसकी आप पूर्त्ति नहीं कर पाये हैं । इसलिए निवेदन है खासकर के लघु सिंचाई में आप बड़ी-बड़ी योजनायें लागू कर रहे हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है ।

महोदया, 1952-53 में जो नलकूप लगाये गये और 1972-73 में नलकूपों का जाल बिछा दिया गया । उसका क्या हश्र हुआ, श्रीमान् आप समझ सकते है । आपको केवल बेगूसराय जिला के बारे में बता दूं, बेगूसराय में 252 में मात्र 79 ट्यूबवेल चालू है, इसी तरह उद्वह सिंचाई योजना में 86 है, जिसमें 50 उर्जान्वित हुए और उसमें मात्र 9 चालू है। हमारा जो मुख्य श्रोत है, उसका पुअर कंडीशन है । इस पुअर कंडीशन को पाटने की जिम्मेवारी आपकी होती है और बाकी हम सारे लोग आपको मदद कर सकते हैं । सारे हाऊस की जवाबदेही बनती है कि सिंचाई के क्षेत्र में हम अपने किसानों को समुन्नत बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को सरजमीं पर उतारने के लिए एक-दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलें लेकिन दुर्भाग्य है कि नदी जोड़ने की योजना, नदी को गहराई करने की योजना, गंगा पम्प नहर को गंगा को सोन से, बागमती से जोड़ने की हमारी जो लिंक योजना थी, आज भी केन्द्र सरकार में, केन्द्रीय जल आयोग में लंबित है। जब तक ये लंबित योजना रहेगी, हमारी कोई योजना सरजमीं पर नहीं आ सकती है। हम समय सीमा के भीतर किसान को पटवन के लिए जल नहीं दे सकते हैं । हमें समय 10 मिनट है, इसलिए हम संक्षिप्त में अपनी बात कह रहा हूँ । 2011-12 से लेकर आज तक ह्रासित सिंचाई क्षमता का 1331. 86 हजार हेक्टेयर ही पुन: स्थापित की गई है, जहां क्षमता है लाखों की, लेकिन हम हजार हेक्टेयर क्षमता को भी सृजित नहीं कर पाये हैं । इसलिए आपसे निवेदन है कि कुल मिलाकर 117 लाख हेक्टेयर में 1372.92 हजार हेक्टेयर में केवल लक्ष्य की प्राप्ति हुई है । इसपर आपको ध्यान देने की जरूरत है । उसी तरह से आपको लघु सिंचाई में भूतल सिंचाई में 15.44 लाख हेक्टेयर है, भूजल सिंचाई से 48.57 लाख हेक्टेयर है, जिसमें चरम

क्षमता लगभग 64.01 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 38.21 लाख हेक्टेयर ही सृजित की जा सकी है । इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस दु:खद पहलू को आप निश्चित रूप से ध्यान से देखें । इसी तरह लघु सिंचाई में 2012-13 में 2.82 लाख हेक्टेयर, 2013-14 में 1.42 लाख हेक्टेयर, 2014-15 में मात्र 0.38 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध हुई है, यह कितना पुअर हुआ है । इसको आपको मेकअप करना है । इसी तरह से आप जो 2016-17 में बजट प्रस्तुत किये हैं .....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य रामदेव बाबू, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदया, दो-तीन मिनट दीजिए, कुछ मुख्य बात बाकी है । माननीय मंत्री जी, मैं कुछ व्यवहारिक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो वैज्ञानिक पहलू भी है । आपको दो-तीन कानून बहुत कठोर ढंग से बनाना है । खासकर के जल नीति 2015 में कारगर ढंग से बना है, जिसका उपयोग कारगर ढंग से किया जाय । दूसरा जल संचयन और तीसरा जल नि:स्सरण और पुर्नभरण के लिए आप कठोर होईए । इन तीनों चीजों पर आसन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ । यह बहुत ही सहज उपाय है । अगर सरकार के माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दिया जाय क्योंकि आज वर्षा का पानी बहकर के चला जाता है गड्ढ़े नाले में और वह पानी बर्बाद हो जाता है । इसलिए जल संचयन के लिए जो हमारे यहां बड़ी समस्या है, चाहे वह शहर हो या ग्रामीण स्तर पर हो, जल संचयन के लिए हमारे पास कोई कठोर नीति नहीं बन पायी है। इसके चलते किसान भी उदासीन हैं और हम सारे लोग उदासीन हैं .....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : महोदय, एक सेकेंड । बहुत सहज उपाय है, हम तीन उपाय बताते हैं, सिंचाई किस समय किस चीज का किया जाय, यही आप ट्रेनिंग दे दीजिए, उसका पानी उसके घर में रह जाय, यह आप ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ नहीं है । हुजूर, सिर्फ खेत के बीच में 3-4 जगह मुख्य फसल के साथ सूर्यमुखी उगवा दीजिए और सूर्यमुखी का पौंधा जब मुरझाने लगे तो समझ जाईए कि खेत में पानी की सख्त जरूरत है । यह बहुत सहज उपाय है । उसी तरह से और भी उपाय है, खेत के चारों कोने पर .....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए, लिखकर दे दीजिए माननीय मंत्री जी को । अब आप समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : एक सेकेंड । चारों कोने पर सघन बीज लगा दीजिए, इससे क्या होगा .....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी । आपका समय दो मिनट है।

टर्न–16/अंजनी/दि0 8.3.16

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, खेतों की पानी की चर्चा पर हम खड़े हैं लेकिन मेरे यहां तो पीने का भी पानी है । खेतों की पानी पर चर्चा करें तो पूरा इलाका सुखाड़–ही–सुखाड़ है । दुर्गावती जलाशय परियोजना, इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना, सरकार ने सिर्फ किताबों में जो दस्तावेज पेश की है, वह दस्तावेज तक ही आधारित है । मैं चुनौती देता हूँ, दुर्गावती जलाशय परियोजना पर सरकार असत्य बोल रही है । सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया । दक्षिणी, राइट कैनाल 28 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है, लेफ्ट कैनाल 22 हजार हेक्टेयर की, सब मिलाकर 42 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है, हो सकता है कि दो हजार इधर कम किया गया होगा । नहर का मेरे यहां तो पहले ही गलत किया गया, जो स्पीलवे का और उसके रिवर क्लॉजेज का बिना निविदा निकाले उसको आवंटित कर दिया गया, बना भी दिया गया और उसमें पूरी लूट हुई । अभी तक 109 वितरणी बनानी है, 109 वितरणी में कहीं भी भू–अर्जन का काम नहीं हुआ है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला और दुर्गावती पूरा करने का इसमें दस्तावेज है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य आप संक्षिप्त में बात रखें । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदया, अगर नहीं बोलने दीजियेगा तो क्या करें ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : आप संक्षिप्त में बात रखें ।

श्री ललन पासवान : महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा दुर्गावती का जो लक्ष्य था, उससे कोसों दूर है सरकार और अभी तक दुर्गावती अधूरा है, निर्माणाधीन है, लूट का यंत्र बना हुआ है, लूट का अखाड़ा बना हुआ है । मैं चुनौती देता हूँ इंजीनियरों को कि जब मन करे सरकार देख ले, मैं लगातार देखता हूँ और वहीं रहता हूँ, योजना सुप्रीम कोर्ट गयी थी और कई लोग मुकदमे में फंसाये गये थे लेकिन आज भी 109 वितरणी पूरी तरह, उसमें जिस तरह से काम होना चाहिए । 2007 से शुरू हुइआ है 2014 – 15 – 16 मुख्यमंत्री जी कहे, रामाश्रय बाबू कहे 2012 में, 2014 में और 2016 पहुंच गया और 2016 के बाद 2020 होगा, अभीतक कुल किसानों को पानी नहीं मिला । कैमूर और रोहतास के लोगों को, इन्द्रपुरी और रिहंद में पानी नहीं है । सरकार का मंत्री सदन में खुद कहे कि पानी नहीं मिल रहा है । हमारे यहां रब्बी के फसल में किसानों को पानी नहीं मिलेगा, वितरणी से लेकर सारा नहर समाप्त है और मेरा सोन कैनाल ....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट । सभापति महोदय, जो सत्य बात है, उसको सुनने का साहस करे सरकार और नहीं सुनना है तो आपकी सरकार है, लाठी चलाना है तो चलाइए, क्या दिक्कत है । माननीय सभापति महोदय, नोहट्टा, रोहतास उग्रवाद प्रभावित इलाका है, सोन उसी से बहती है, अखबार में सुने नहीं है कि सोन पर पुल नहीं बना । वहॉ लिफ्ट इरिगेशन नोहट्टा-रोहतास से लेकर तिलौथु से लेकर डेहरी तक कहीं नहर से सिंचाई नहीं है, सारा किसान बिजली पर आधारित है । एक जगह भी नहर है, लिफ्ट इरिगेशन जो था 30 साल-40 साल पहले,आज वह बंद पड़ा हुआ है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, हमारे यहां शाहाबाद, रोहतास में सिंचाई नहीं हो रहा है ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, 8 मिनट आपका समय है।

श्री जीवेश कुमार : महोदया, मैं जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश बाइस अरब उनासी करोड़ रूपया बजट के लिए दिये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तथा इस अवसर पर आपको एवं अपने नेता का अभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहां के 75 परसेंट लोग आज भी गांव में निवास करते है और खेती ही उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है । ऐसे में लगातार पिछले दो वर्षो से जल संसाधन में हो रही बजट की कमी सरकार का किसानों के प्रति उदासीनता दिखाती है । महोदया, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों को पुनः एक बार सदन में लिखा हुआ कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । इसकी विवेचना होनी चाहिए कि क्या इस वाक्य की प्रमाणिकता स्थापित करने में सत्ता पक्ष की बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए ? इस विधान सभा के पहले एवं दूसरे सत्र का मेरा अनुभव कहता है कि सत्ता पक्ष अपने संख्या बल को अक्सर जनता के विश्वास के रूप में नहीं बल्कि घमंड के रूप में बयां करती है । जैसा कि ये अक्सर कहते हैं कि आप कोने में चले गये । महोदया, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह कोना भी सदन का हिस्सा है और अच्छे घर के लिए आवश्यक है कि घर का हर कोना मजबूत हो । महोदया, मैं विषय पर भी आ रहा हूँ । अब रह गयी बात सात निश्चय का तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का नाम बदलकर अपने निश्चय में शामिल किया । जैसे आर्थिक हल, युवाओं को बल, ऑलरेडी केन्द्र सरकार स्कील डेभलपमेंट के माध्यम से कर रही है

महोदया । घर-घर नल का जल, इसके लिए भारत सरकार का पी0एच0ई0डी0 मंत्रालय कार्य कर रहा है महोदया । स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का कार्य काफी तेजी से भारत सरकार कर रही है वगैरह-वगैरह । परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निश्चय किसान की समस्या के लिए भी बना लेते तो अच्छा होता और एक निश्चय कम-से-कम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बना लिये होते तो अच्छा होता । महोदया, बिहार गांवों का राज्य है । आदर्श गांव बनाने की बात करते हैं लेकिन गांव में चलने वाला हेल्थ सेंटर खुद बीमार है । महोदया, मैं गांव से आता हूँ, वहां की हालत आज भी ऐसी है कि 75 परसेंट लोगों का बच्चा बीमार हो जाय तो पड़ोसी से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है । महोदया, समाज का हर 50 वर्ष से उपर उम्र का व्यक्ति बीमार है, किसी का बी0पी0 अप है तो किसी का बी0पी0 डाउन है । कोई सुगर से ग्रसित है तो कोई गठिया एवं दम्मे से परेशान है । पानी में बढ़ता हुआ आर्सेनिक गोल्डब्लाडर का कैंसर फैला रहा है। ऐसे में एक निश्चय एक स्वास्थ्य का भी होना चाहिए था । बड़े आदमी के लिए पारस और मेदांता है महोदया, गरीब आदमी के लिए कम-से-कम एक हेल्थ सेंटर उसके गांव में दे देते अपने निश्चय के माध्यम से महोदया । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार किसानों का राज्य है, बिहार गांवों का राज्य है लेकिन किसानों के लिए सरकार के पास कोई ठोस निश्चय नहीं है महोदया । महोदया, उनके खेत को पानी दे देने का निश्चय तो ले लेते महोदया । मुख्यमंत्री जी एवं सरकार किसानों के लिए गंभीर नहीं है और हर खेत को पानी देना तो दूर, जैसे-तैसे उनके द्वारा उपजाये गये धान पर कम से कम बोनस तो दे देते महोदया । अगर बोनस नहीं दिये तो कम से कम धान खरीद तो लेते महोदया । महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि एक-दो मंत्री को छोड़कर किसी भी माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में कोई ठोस समय-सीमा निर्धारित नहीं की बल्कि यह कहा कि जल्दी-से-जल्दी कर लेंगे तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय का क्या होगा ? महोदया, मुझे लगता है कि इनको किसी से पूछकर सदन में जवाब देना पड़ता है । अगर बंधे हुए हाथ से काम करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय पूरा हो पायेगा महोदया । महोदय, मैं बजट भाषण में एक लाईन पढ़ी कि घर से है मस्जिद बड़ी दूर, चलो यूं करे, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जा सके । महोदया, सरकार की स्थिति ऐसी है कि न वह मस्जिद जा रही है और न रोते हुए बच्चों को हंसा रही है, न पूरी होने वाली हर घर के नल के जल की आड़ में महोदया बच्चों का चापाकल भी बंद कर दिया गया । पीने का पानी देने से पहले पीने का पानी छीन लिया गया । मानवीय संवेदना होनी चाहिए सदन में बैठे हुए सारे लोगों को ।

महोदया, सदन में माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब पर अगर गौर करेंगे तो प्रश्न के जवाब में तिथि निर्धारित नहीं है, अपितु जल्द करेंगे, ऐसा कहा गया है, तो यह कार्य के प्रति गंभीरता नहीं दर्शाता है ।

.....क्रमशः.....

टर्न-17/शंभु/08.03.16

श्री जिवेश कुमार : क्रमशः.....ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय का क्या होगा ? जहां तक जल संसाधन विभाग की बात है तो लगता नहीं है कि यह मंत्रालय उत्तर बिहार का भी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं आपका बजट भाषण कह रहा है, माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण कह रहा है। सदन में होते तो हम उनसे कहते कि अहां तो मिथिलांचल के लाल छिये, केवल बजट से तो मिथिला गायब छै, कोनो साल पाइन पी-पी के मरै छै मिथिला के लोग, कोनो साल पाइन बिना मैर जाय छैत मिथला के लोग- तनियो तो मिथिला पर विचार कैले रहतियै ले अहां। माना कि बजट बनाते समय आपके उपर महागठबंधन का महाबोझ रहा होगा, लेकिन मिथिला के लोग भी बिहार में रहते हैं उनका भी जल संसाधन विभाग है।

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें।

श्री जिवेश कुमार : एक मिनट महोदया। कम से कम बजट बनाते समय इतना तो सोच लेते। महोदया, मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हर अंधेरे को मिशाल करते रहिये, हर आहटों से सवाल करते रहिये, आपकी बेरूखी से न मर जाये कोई कम से कम आदमी का तो ख्याल करते रहिये। महोदया, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं चूंकि समय सीमा हमारी निर्धारित है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं - सत्तापक्ष के लोगों से कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इतराते हैं अपनी संख्या बल पर, अब इतराना छोड़कर कुछ काम तो करिये और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि- यूँ न जा इतरा कर चोटी पर, उसके आगे हरलाखी का परिणाम है देखो, कुछ तो काम करो, कुछ तो काम करो। जयहिन्द महोदया, धन्यवाद।

डा0 अशोक कुमार : माननीय सभापति महोदया जी, जो सरकार के तरफ से मांग और बजट आया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। यह देश किसानों का देश है कृषि प्रधान देश है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा और गांवों की खुशहाली खेतों की पानी के गुजरती है। जब तक देश के और

बिहार के खेतों में पानी नहीं रहेगा, गांव खुशहाल नहीं होगा और जब गांव खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा, बिहार खुशहाल नहीं होगा। इसलिए आज सिंचाई के बजट पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार किसानों के खेतों में पानी देने के लिए संकल्पित है और उस दिशा में काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कि हमारा क्षेत्र शाहाबाद का इलाका है, धान का कटोरा कहा जाता है। अगर हम उसमें पानी दे रहे हैं इन इलाकों में, पूरी तरह से हम व्यवस्था कर दें तो सिर्फ शाहाबाद बिहार को ही नहीं, देश को भी खिलाने की क्षमता रखता है- जरूरत है खेतों में पानी देने की। हमारे यहां दो नहरें चलती है एक सोन कैनाल और दूसरा मुख्य पश्चिमी कैनाल और एक औरंगाबाद की तरफ नहरें चलती है। ये लाइफ लाइन है शाहाबाद की खेती का, जिन नहरों से खेतों में पानी दिया जाता है। हमारे माननीय मंत्री और सरकार बातें हो रही है। हमारा पानी इन्द्रपुरी बराज में रेहण्द और बाणसागर से आता है, जो दूसरे प्रदेश में पड़ता है। हमारा जो समझौता है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग पानी नहीं दे पाते हैं वाणसागर और रेहण्द से, इसलिए पटवन में कमी होने की चर्चाएं होती रहती है। हमारा डिमांड था हमें चाहिए था रब्बी में 1.4 बिलियन एकड़ फीट पानी लेकिन नहीं मिल पाया, .97 मिलियन पानी मिला और उसी में हमारी सरकार ने रब्बी में हर खेत को पानी देने का काम किया। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे रब्बी में कहीं पानी की कमी नहीं हुई। खरीफ में पानी की कमी नहीं हुई। रब्बी में हमको जितना पानी मिलना चाहिए था उसके विरोध में .56 एकड़ मिलियन फिर पानी मिला। उसमें भी हमारी सरकार लगी हुई है कि अधिक से अधिक टेल ऐन्ड में पानी को पहुंचाएं। आज पानी की जो कमी हो रही है इन्द्रपुरी बराज में, हमारे इलाके में बराबर अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन होता रहा- कदवन जलाशय बनाओ। चूंकि कदवन जलाशय नहीं बनने के कारण इन्द्रपुरी बराज में पानी नहीं आता है। हम सरकार के माध्यम से और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वर्षों से लंबित था, डूब क्षेत्र पड़ता था उत्तर प्रदेश का और आपसी समझौता हमसे नहीं हो रहा था, उत्तर प्रदेश एन0ओ0सी0 नहीं दे रहा था, यही अड़चन लगा हुआ था कदवन जलाशय में, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपनी बातें से झुकाकर के सहमति प्रदान कर लिया। इस सदन के माध्यम से हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी जरूरत है इन्द्रपुरी बराज जो पानी के लिए .6 मिलियन एकड़ पानी अगर हमें मिलता रहेगा तो टेल ऐन्ड तक हम पानी दे देंगे, कहीं सरकार कोताही नहीं बरतेगी और खेत से खलिहानों तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। कदवन

जलाशय जब बन जायेगा तो वहां पर 2.6 मिलियन एकड़ पानी बराबर जमा रहेगा और हमको तब जरूरत पड़ेगी इन्द्रपुरी बराज से हम पानी ले लेंगे। इस बड़े काम में हमारी सरकार के मदद से उत्तर प्रदेश ने इसको परमीशन दे दिया है। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी और उस समय के माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय जगदा बाबू ने डिहरी में एक पैरलल कैनाल का नींव डाला, उसमें आधे से अधिक काम हो चुके हैं। आज की जो व्यवस्था है सोन उच्च स्तरीय कैनाल में आज हम पानी छोड़ पाते हैं 1400 क्यूसेक और पश्चिमी मुख्य कैनाल में हम पानी छोड़ पाते हैं 2450 क्यूसेक और टेल लैंड तक पानी पहुंचने में दिक्कत होती थी इसीलिए उस बिन्दु को घ्यान में रखकर के माननीय मुख्यमंत्री उस थी राबड़ी देवी और जगदा बाबू जल संसाधन मंत्री ने इन्द्रपुरी में पैरलल कैनाल का नींव डाला। उसमें 80 फीसदी तक काम हो चुका और अब काम नहीं हो रहा है। जल संसाधन विभाग से दो-दो बार टेंडर हुआ, लेकिन उस अधूरे काम को पिछले महीने जनवरी में भी टेंडर हुआ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि टेंडर कैंसिल हो गया दो बार, इतनी महत्वपूर्ण योजना का टेंडर कैंसिल होना किसानों के हित में नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री जी से कि जो जनवरी में टेंडर हुआ है, मार्च तक टेंडर तक करा दिये हैं पेपर में चला गया है, मेरा अुनरोध होगा माननीय मंत्री से कि इस बार टेंडर कैंसिल नहीं होने पाये और किसी ठीकेदार को लेकर यह महत्वपूर्ण योजना पूरा कराने काम कीजिए। यह मैं आपसे आश्वासन चाहता हूॅ। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, सदन से मैं कहना चाहता हूं कि सोन उच्चस्तरीय कैनाल 1400 क्यूसेक पानी आज मिल रहा है, अगर पैरलल कैनाल बन जायेगा तो उसमें बढ़कर के 2450 क्यूसेक पानी जाने लगेगा। आज 950 क्यूसेक पानी सोन उच्चस्तरीय कैनाल में बढ़ जायेगा, अगर पैरलल कैनाल का निर्माण हो जाता है। मुख्य पश्चिमी कैनाल जो हमारा है जिससे शाहाबाद के बक्सर से लेकर आरा तक के सारे इलाके में पानी जाता है, लेकिन पैरलल कैनाल बन जाता है तो इसकी क्षमता बढ़कर के 11001 क्यूसेक पानी उसमें जाने लगेगा। उसमें पानी बढ़ जायेगा 4400 क्यूसेक। पानी जब इन दोनों नहरों में बढ़ जायेगा तो हमारे इलाके का जो टेल ऐन्ड का सवाल उठता है कि टेल ऐन्ड में पानी नहीं पहुंचता है, वहां पानी पहुंच जायेगा और हमारी सरकार इसपर कटिबद्ध है। दुर्गावती जलाशय के बारे में हमारे मित्रों ने चर्चा की, दुर्गावती जलाशय उस इलाके का बहुत परिलक्षित मांग था माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस योजना को पूरा कराकर के उस येाजना को शुरू कराने का काम किया.....क्रमशः।

टर्न-18: 08-03-2016 - ज्योति

क्रमश:

डा0 अशोक कुमार : और जो माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उनके क्षेत्र में पानी जा रहा है और आगे जाने की तैयारी है । अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ । उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ काव नदी है उसमें 4 फीट का चेक डैम है जो लोहे का बना हुआ है , उससे ऊपर पानी चढ़ जाने के कारण पानी रुक नहीं पाता है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो काव नदी है उसमें जो चेक डैम है चार फीट का उसको आठ फीट ऊंचा उठा दीजिये और ढलाईया करवा दीजिये तो पच्चास गांव के लोगों को पानी मिलने लगेगा । इसके लिए मैं आपसे व्यक्तिगत रुप से चैम्बर में मिला था ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

डा0 अशोक कुमार : इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बात पर आप कुछ न कुछ बोलिये कि काव नदी पर आप क्या करने जा रहे हैं । बहुत ज्यादा का खर्चा नहीं है , तीस , चालीस लाख रुपया , पचास लाख रुपया , एक करोड़ रुपया खर्चा कर दीजियेगा तो सैकड़ों गांवों में पानी मिलने लगेगा और सरकार की जय जय होने लगेगी । खण्डा में एक स्लुईस गेट लगाना था , जब नहर बन रहा था तो कागज में फंदा लिखा हुआ है और उसकी जगह दूसरी जगह बन गया है लेकिन खण्डा में स्लुईस गेट नहीं लगा और किसानों को मालगुजारी भी देना पड़ता हैै, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी खण्डा में स्लुईस गेट लगावें ताकि वहाँ के किसानों को पानी मिल सके ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : माननीय सदस्य, श्री रणधीर कुमार सोनी जी , 10 मिनट आपका समय है ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : सभापति महोदया, आपने हमें जल संसाधन विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ । आज जल संसाधन के बजट माननीय मंत्री जी ने 2279 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रस्ताव, सदन में रखा है इसके पक्ष में ओर विपक्ष ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हम तमाम लोग जानते हैं कि जल संसाधन विभाग जो हमारे हिन्दुस्तान के 75 परसेंट से ऊपर की आबादी जिस कार्य में है और जो हिन्दुस्तान के 75 परसेंट किसान हैं उस किसान की रीढ़ हैं जल संसाधन विभाग चूँकि बिना सिंचाई के , किसान के खेत में बिना पानी पहुंचे किसान खेती नहीं करा सकते हैं । लेकिन आज इतनी बड़ी चीज पर` विरोध में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा है । मार्च

2015 तक जल संसाधन विभाग ने 29 लाख 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कार्य किया जो कि अभी 2017 में इसे बढाकर उन्होंने 3 लाख 54 हजार 705 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । यह जल संसाधन विभाग का और हमारी सरकार का जो किसानों के प्रति जो उनकी सकारात्मक सोच है उसका नतीजा है । आज जो केन्द्र में सरकार बैठी है हम तमाम लोग पिछले दो साल से बराबर सुनते आ रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान में दूसरी हरित क्रान्ति लायेंगे और इस हरित क्रान्ति की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्यों से की जायेगी । बराबर ये सुनते जा रहे हैं लेकिन आज तक दो साल बीत गया लेकिन कुछ भी धरातल पर नजर नहीं आया । पूर्वोत्तर राज्यों से क्या शुरुआत होगी हिन्दुस्तान के किसी भी कोने से इसकी शुरुआत नहीं हुई , कहीं भी पता नहीं चल रहा है । आज हमारे भारत की सरकार के कृषि मेंत्री आते हैं हमको लगता है कि शायद ही ऐसा कोई महीना होगा जिसमें वे टेलीवीजन पर दिखायी नहीं देते हैं । वे आते हैं अपने क्षेत्र में और कभी पटना एयरपोर्ट पर, कभी अपने पार्टी के मुख्यालय में, कभी अपने क्षेत्र में वे इतने खोखले वादे जो पिछले दो साल से करते आ रहे हैं । वही खोखले वादे करते हैं हमारे किसान भाईयों को और फिर झांसे में लेने के लिए तरह तरह की बात करते हैं और निकल जाते हैं । हम अपने खास करके सदन में बैठे हुए जो यहॉ के हमारे सम्मानित एन0डी0ए0 के साथी हैं हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम बिहार के किसानों के प्रति बिहार के आम आवाम के प्रति हम सारे लोगों का दायित्व है । हम तमाम लोग आज जो बिहार की सरकार ने जो योजना बनाकर किसानों के लिए भारत सरकार के यहॉ , भारत सरकार में स्वीकृति के लिए भेजा है । वह सालों से पड़ी हुई है चाहे वह बुढ़ी गण्डक - नूनूभाया बाढ़ लिंक नहर हो, चाहे वह सकरी नदी में नाका और सकरी को जोड़ने की स्कीम हो, चाहे वह नवादा-नालन्दा-शेखपुरा तीन जिलों की सिंचाई की रीढ़ सकरी नदी के बरसौती में बराज निर्माण की बात हो ऐसी ढेर सारी योजनायें हैं जिसपर केन्द्र की सरकार में स्वीकृति की प्रत्याशा में योजनाएं पड़ी हुई हैं । हम तमाम अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप दिल्ली बराबर जाते हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रम से और अपने भी कार्यक्रम के लिए और निश्चित रुप से आप जा करके जो हमारे जल संसाधन विभाग की फाईल है लम्बित है उनके मंत्री से मीलिये ताकि किसानों की समस्या को दूर करने का काम कीजिये । जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था बिहार में , जबतक बिहार का कल्याण चूँकि बिहार उस समय दो हिस्सा में बिहार बंटा हुआ था । उत्तर बिहार में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से बिहार में भयंकर

समस्या आती है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ के कारण किसानों को सुखाड़ की समस्या आती है तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बिहार के किसानों का कल्याण तब ही होगा जब सारी नदियां जोड़ी जायेंगी । उन्होंने तो देश के लेवेल पर बोला था । लेकिन यह जो कोट , पैंट ,सूट वाली सरकार है केन्द्र में बैठी हुई है यह नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव तो छोड़िये, हमारा जो प्रस्ताव छोटी छोटी नदियों को जोड़ने का बनकर गया है उसपर भी कुण्डली मार कर बैठी हुई है । आज जो केन्द्र की सरकार है यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है । आये दिन अखबार में पढ़ते हैं, टेलीवीजन में सुनते हैं कि फलाने बिजनेसमैन का लोन माफ हो गया, फलाने बिजनेसमैन को लोन माफ करने के बाद दुबारा लोन मिल गया लेकिन आज किसानों की समस्या जो किसान आज 10 हजार, 5 हजार, 2.0 हजार, पचास हजार, एक लाख रुपया लोन के चलते आत्म हत्या कर रहे हैं उनके बारे में केन्द्र में बैठी सरकार कोई चर्चा करनी नहीं चाहती है । जिस एक व्यक्ति का कर्ज 10 हजार और 20 हजार करोड़ आप माफ करते हैं उससे 10 हजार करोड़ में बिहार हिन्दुस्तान के एक लाख किसानों का कल्याण होगा । लेकिन उसके प्रति आज कोट, पैंट ,सूट वाली सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी जब सांसद थे तो उन्होंने हमारे शेखपुरा में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया था चाहे वह कोढ़ियारी नदी में, कोढ़ियारी नदी बराज सिस्टम हो चाहे कोढ़ियारी नहर प्रणाली हो उन्होंने अपने स्तर पर जब हमारे सांसद थे तो उन्होंने आज से 10 साल पहले जीर्णोद्धार कराने का काम किया था । लेकिन 10 साल बीत गया उसमें कुछ मामूली मरम्मती की आवश्यकता है और सिल्ट भी जमा हो गया है नहर में उसकी सफाई की भी आवश्यकता है । दूसरा है अरियरी प्रखण्ड का एक हुसैनाबाद महाल है वहाँ पर कोढ़ियारी नदी में ही एक चेक डैम बनाने की आवश्यकता है । यदि वह चेक डैम बन जायेगा तो कम से कम वहाँ 10 से 15 गांवों को पटवन के लिए किसी भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा इसलिए वहाँ हुसैनाबाद में सतविघी खण्डा के सामने कोढ़ियारी नदी पर चेक डैम बनाया जाय ।

सभापति (श्रीमती लेसी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रणधीर कुमार सोनी : एक मिनट मैडम । टाटी नदी शेखापुरा में ही सड़क से चढ़ियारी सिमाना तक टाटी नदी के दोनों किनारे पर बैंक का निर्माण किया गया था हमको लगता है कि यह तीस, चालीस, पचास साल पहले निर्माण किया गया था लेकिन अब

उसमें पूरी मरम्मती की आवश्यकता है इसलिए मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि टाटी नदी शेखपुरा में ही सड़क से चढ़ियारी सिमानी तक दोनों तरफ बैंक का फिर से मरम्मती जिर्णोद्धार किया जाय । आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

टर्न–19/विजय: 08.03.16

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): मा0 सदस्य, श्री विनय वर्मा ।

(मा0 सदस्य अनुपस्थित)

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह): मा0 सदस्य, श्री राम विलास पासवान ।

(मा0 सदस्य अनुपस्थित)

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) माननीय सदस्य प्रभुनाथ प्रसाद । 10 मिनट का समय है ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: माननीय सभापति महोदया, हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित है किंतु दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश बिहार एक तरफ सूखे से ग्रसित रहता है और दूसरी तरफ बाढ़ से और इनको झेलने के लिए हमारे पास संसाधन की बहुत कमी रहती है । अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमारी सरकार बाढ़ और सूखे से निपटने में पूर्णत: समर्थ होती । लेकिन सरकार अपने संसाधन से जो भी सुविधायें हैं हमारे प्रदेश की जनता को सिंचाई के लिए मुहैया करा रही है । सिंचाई के लिए हमारे प्रदेश में परंपरागत सिंचाई होती थी । छोटे छोटे जलाशयों से खेतों में हमलोग पटवन करवाते थे । लेकिन परिवर्तित जलवायु के कारण जो प्राकृतिक परिवर्त्तन हो रहा है जिसके कारण बरसात का मौसम या सुखाड़ का मौसम होता है उससे प्रदेश हमारा पूरा प्रभावित होता है । इसका मुख्य कारण जलवायु प्रदूषण है । हमारी सरकार ने भी वृक्षारोपण का काम किया था । यदि वृक्षारोपण होगा तो हमारा जलवायु करीब करीब समय पर होगा जिससे किसानों का पटवन पूरा हो सकेगा । सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश खासकर शाहाबाद धान का कटोरा है लेकिन सरकार का जो वाणसागर को लेकर कदवन को लेकर समझौता उत्तर प्रदेश सरकार से हुआ था उससे हमको पानी का हिस्सा बहुत कम मिलता है इसके बावजूद हमारे माननीय मंत्री जी ने जाकर कुछ समझौता कराकर पानी को लाकर हमारे शाहाबाद के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराया । इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भारत सरकार से पानी का पूरा हक हमको दिलवाये जिससे कि बिहार को पूरा पटवन मिल सके । अभी जो समय है

जिसको धान का कटोरा कहा जाता है दक्षिण क्षेत्र में खासकर रोहतास और कई जिलों के 17 जिलों के पहाड़ियों पर रहने वाले लोग पलायन कर जाते हैं । प्राकृतिक जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण पहाड़ छोड़कर भाग रहे हैं पानी का जल स्तर 30 फीट तक करीब भाग रहा है । महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि गांव में जो पइन है बनास नदी है उसमें बांध बनवाकर लिफ्ट इरीगेशन कराया जाय जिससे हमारे किसानों को पूरा लाभ मिले ।

मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं मेरे क्षेत्र में कुछ पइन और आहर है जिससे पानी बेकार होकर बरसात के मौसम में बगल के बनास नदी में चला जाता है उसमें अगर बांध बनवाकर रोक देते हैं तो करीब करीब 50-60 गांव को सिंचाई का लाभ मिल सकेगा । इस तरह से हमारे क्षेत्र में सहनीमदुरा के बनास नदी में बांध बनाकर लिफ्ट इरीगेशन कराते हैं तो कम से कम 50 गांवों का कल्याण हो सकेगा । इसके बाद अइसे गांव में वहां पर हमलोग अगर फाल का निर्माण कराते हैं तो वहां पर भी जो पानी बरबाद होता है पानी को रोककर हमारे क्षेत्र में पटवन में बहुत लाभ होगा और किसान इससे खुशहाल होंगें । अभी हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे गांवों में औसतन 75 एकड़ और बड़े गांवों में करीब करीब अधिकतम 200 एकड़ आहर और पाइन अवस्थित हैं उसको फिर से जीर्णोद्धार करके हमलोग संचालित करेंगे तो पटवन में सुधार हो सकेगा इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार फिर सभी लोग एकजुट होकर हम बिहार के विशेष दर्जा की मांग करें जिससे कि अधिक से अधिक संसाधन हमारे बिहार के हिस्से में मिले और जो संसाधन की कमी हो उसे पूरा किया जा सके । जैसे पटवन के लिए राजकीय नलकूप हैं प्राइवेट नलकूप हैं उससे भी संचालित होता है। जहां तक राजकीय नलकूप हैं बहुत से बंद पड़े हुए हैं । उसको चालू किया जाएगा तो हमारे को बहुत सिंचाई में सहुलियत मिलेगी । हमा बिहार को जबतक सिंचाई उपलब्ध नहीं करायेंगे तबतक फसल का उपज पूरा हम नहीं ले पायेंगे और जबतक उपज नहीं मिलेगा तबतक बिहार खुशहाल नहीं होगा हमलोग विकसित बिहार नहीं बन पायेंगे । इसलिए दलगत भावना से उठकर बिहार के विकास के लिए हमलोग भारत सरकार से मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और अधिक से अधिक हमारे बिहारियों को लाभ मिले और किसान भाई मजदूर जो भी हैं उनके जीवन यापन में सुधार हो सके उनका स्टैण्र्ड आगे बढ़ सके । महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं बिहार में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर हमलोग गंभीरता से सोचते हुए, वन एवं पर्यावरण पर ध्यान देते हुए अधिक वृक्षारोपण किया जाय ताकि जो

प्रकृति का डिसबैलेंस हो रहा है उसको कुछ हद तक हमलोग रोकें । हमारा बिहार प्रदेश अधिकांशतः प्रकृति पर आधारित है । अगर वर्षा होती है तो किसानों के खेत में पटवन होता है और दूसरी ओर बिहार के उत्तर तरफ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है । इसलिए हमलोग लोग राजनीति छोड़कर अपने अपने कर्त्तव्य को निभाते हुए सच्चे मन से बिहार के विकास की बात करें । सिंचाई कैसे सुलभ हो एक बहुत बड़ी समस्या सिंचाई है इससे हमलोग इंकार नहीं कर सकते हैं । हमारी सरकार भी लगी हुई है कि बिहार में अधिक से अधिक संसाधन आयें । मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्रीमती लेसी सिंह): माननीय सदस्या, श्रीमती सावित्री देवी जी । पांच मिनट का समय है आपका ।

श्रीमती सावित्री देवी: सभापति महोदया, बरनार सिंचाई बांध योजना की कल्पना अंग्रेजों के शासन काल में की गयी थी तब के अंग्रेज कलक्टर मुंगेर जिनके हवाई सर्वेक्षण में पाया था कि अगर पहाड़ो के बीच से निकली बरनार नदी को बांध दिया जाय तो जिले का बड़ा भू-भाग जो अब जमुई जिला का रूप ले चुका है खेती के मामले में सदाबहार से लहलहा उठेगा । सभापति महोदया, बरनार बांध जमुई जिला का जीवन रेखा है। इसके निर्माण से जिले के 6 प्रखंडों के किसानों का सदाबहार जिंदगी मिल जाएगी । इस कल्पना को साकार करने में तत्कालीन मुंगेर सांसद स्व0 डी0पी0 यादव का सफल प्रयास काम आया । 1975 में इसका शिलान्यास पं0 जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में हुआ और जोरशोर से काम प्रारंभ हुआ । उक्त कार्य में कार्य एजेंसी गैमन इंडिया रहा है । उक्त वर्णित योजना केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत है तथा 8 बार प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया गया जिसमें लगभग आठ अरब से अधिक राशि की गयी है । बरनाल जलाशय योजना हेतु 24 मुख्य कैनाल का भी निर्माण किया गया था जो अभी तक परिलक्षित है। इन दिनों जमुई जिला में प्रत्येक साल सुखाड़ की स्थिति बनी हुई रहती है ।

क्रमशः

टर्न-20/बिपिन/08.3.2016

श्रीमती सावित्री देवी: क्रमशः इन दिनों जमुई जिला में प्रत्येक साल सुखाड़ की स्थिति बनी हुई रहती है । यह बात अत्यन्त ही सोचनीय है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद किसानों को आज तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है । यह योजना वन विभाग के एन.ओ.सी. के अभाव में भी अँटकी रही । इधर पता चला है कि इन दोनों रूकावटों को दूर कर दिया गया है । इसलिए अब इस लंबित पड़े काम को जितनी जल्दी हो सके, शुरू कर देने का प्रयत्न किया जाए ।

सभापति महोदया जी, इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन से न केवल जमुई जिला की सिंचाई का संकट दूर हो जाएगा बल्कि इससे प्रस्तावित जल विद्युत उत्पादन से पनबिजली पैदा होने से चार मेगावाट बिजली का निर्माण होगा जो जमुई जिला के साथ-साथ निकटवर्त्ती जिलों की भी बिजली की समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा । इसलिए सभापति महोदया जी, इस योजना को जितनी जल्दी हो सके, पूरा किया जाए जिससे जमुई जिला के साथ-साथ कई समस्याओं का समाधान होगा । इस प्रकार, जमुई जिला के अंतर्गत चारो विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत झाझा विधान सभा के गिद्धौर प्रखंड, जमुई विधान सभा क्षेत्र के गरही, झाझा विधान सभा क्षेत्र के नागी नकटी डैम से जिसकी स्थिति 25वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण जलाशय एवं डैम से किसानों को कृषि कार्य के लिए सिंचाई की, सुखाड़ की समस्या बनी रहती है एवं प्रतिवर्ष सुखाड़ रहने के कारण वहां के लोग प्रतिवर्ष पलायन होने के लिए मजबूर हैं । जमुई जिला के अधिकतर बेरोजगार गुजरात के सूरत, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली अपने-अपने परिवार के कारण, उनके भरण-पोषण हेतु पलायन कर रहे हैं । बिहार राज्य में 38 जिला है जिसमें जमुई जिले की स्थिति सुखाड़ में पहला स्थान है । सभापति महोदया जी, आप पूरी तरह से अवगत हैं कि जमुई जिला के बरनार जलाशय योजना वहां के जनता के हित में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और विगत् 38 से 40 वर्षों से जमुई की जनता बरनार जलाशय योजना की सफल ढंग से पूरा होने की बाट जोह रही है । जमुई की जनता और बरनार जलाशय योजना जो केन्द्रीय योजना से प्राक्कलित राशि पुनरीक्षित हो रहा है परन्तु आज तक पुनरीक्षित राशि का क्या व्यय हुआ, जमुई की आम जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है। माननीया सभापति महोदया जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां एक तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है तो दूसरी तरफ सुखाड़ की स्थिति रहती है जिसमें जमुई जिला सुखाड़ से सबसे अधिक प्रभावित रहता है । मैं अनुरोध करती हूं कि जमुई जिला के बरनार जलाशय योजना को आम जनता के हित में जल्द-से-जल्द सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करे

ताकि वहां सुखाड़ की स्थिति से निजात मिल सके, किसानों के चेहरों पर खुशहाली हो, चूंकि भारत देश किसानों की आत्मा में बसती है और भारत कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य भी कृषि प्रधान है । धन्यवाद । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार ।

श्री विजय कुमार खेमका: सभापति महोदया, बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, आभारी हूं, नेता का भी आभारी हूं ।

सभापति महोदया, जल ही जीवन है । केवल जीव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि चर-निशाचर सभी के लिए, सृष्टि मात्र के लिए पर्यावरण के मूल में वायु और जल ही है और सभापति महोदया, बल्कि वायु और जल नहीं, जलवायु है, अर्थात् जल और वायु का अन्योन्याश्रय संबंध है । आज दूरगामी परिवर्त्तन की सर्वत्र चर्चा हो रही है । बड़े-बड़े रिसर्च हो रहे हैं । सभी ने इसकी चिंता की है और सिंचाई विभाग को जल संसाधान बना दिया गया है । अच्छी सोच के साथ काम शुरू करना था । सौभाग्य से बिहार आज भी जल का धनी है । सभापति महोदया, कई प्रदेशों में जल के लिए त्राहि-त्राहि है परन्तु हमारे यहां जल से त्राहि-त्राहि है इसलिए कि जल का प्रबंधन नहीं हो सका । महोदया, अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, बड़े-बड़े आंकड़े पेश किए जाते हैं । बांध बनते है कम और टूटते ज्यादा हैं । नहरों की बातें होती हैं । मुख्य शाखा नहर, शाखा नहर, उप शाखा नहर और वितरणी, महोदया, परिणाम क्या निकला ? यहां के नीति निर्धारकों ने, अभियंताओं ने नहर बनाया, बैरेज बनाया, बांध बनाया, जनता की तकलीफों को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उपर वाले के लिए अलाउद्दीन का चिराग और नागमणि बना दिया । महोदया, बिहार राज्य में बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो निरंतर जन-धन की अपार क्षति का कारण बनती रही है । इससे कृषि का नुकसान तो होता ही है, साथ ही, प्रकृति के अन्य कार्यों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है । महोदया, गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ का कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जिसमें घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानन्दा आदि प्रमुख नदियां हैं । पिछले छः दशकों में बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए । पानी के लिए धन को पानी की तरह बहाया गया । फिर भी यहां सर्वाधिक बाढ़ पवन क्षेत्र में सुमार बिहार का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68लाख हेक्टेयर है जबकि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94लाख हेक्टेयर है। यदि हम कुछ क्षेत्रफल में बाढ़ वाले इलाके को अलग कर दें तो 25लाख हेक्टेयर जमीन मात्र बचता है जो कुल का लगभग 27प्रतिशत् होता है । महोदया, बिहार आज भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है । हमारे हिस्से में किसानी ही रह गई है । हम चाहते तो

इस बाढ़ रूपि दुर्भाग्य को अपनी नियति के बल पर, मेहनत के बल पर, ईमानदारी के बल पर सब भेदभाव से उपर उठकर इस विपदा को सौभाग्य में बदल सकते थे । राष्ट्रकवि दिनकर की वह पंक्ति याद आती है –

जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं,
सौभग्य न सब दिन सोता है,
देखें आगे क्या होता है ?

महोदया, मैं कोसी क्षेत्र से आता हूं । वैसे तो 1975 और 1987की बाढ़ विभिषिका भयंकर थी, बल्कि हाल की 2008 की विनाशकारी बाढ़ का स्मरण आते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । महोदया, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लम्बी और जल्दी मार्ग बदलने वाली नदी कोसी कहलाती है क्योंकि सरकार की गलत और अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण आज भी कोसी नदी बिहार की शोक बनी हुई है । शोक इसलिए भी क्योंकि यही कोसी मिथिला को मिथिला से अंग–वंग से बांध कर रखी हुई है। महोदया, आदरणीय अटली जी के भगीरथ प्रयास से आज भी सभी निर्मली महासेतु के बन जाने से फिर से मिल सके हैं । महोदया, आज पुनः पूर्णिया, मधेपूरा, सुपौल, सहरसा का नया–नया संबंध मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर से प्रारभ्भ हो गया है । अब राह चलते मिथिला परी कोकिल, विद्यापति की वटगामिनी हर जगह हम सुनने लगे हैं ।

सभापति महोदया, मैं पहली बार चुन कर आया हूं । लोगों ने अपार जन–समर्थन दिया है । लोगों को हमसे कई उम्मीदें हैं । जब मुझे ज्ञात हुआ कि कटौती प्रस्ताव पर मुझे अपनी बातें रखनी है, जनता की तकलीफों को आप तक पहुंचाना है, समस्याओं को उजागर कर उसका निदान आपके माध्यम से करवाना है ...क्रमशः ..

टर्न–21/राजेश/08.03.2016

श्री विजय कुमार खेमका, क्रमशः– महोदया, संसदीय व्यवस्था नियमों और उससे भी आगे परम्पराओं से चलती है, यह मैं समझा, जब मुझे लगा कि जनता के प्रति भी, जनता की समस्याओं को, जनता की आवाज में रखनी चाहिए और ऑकड़ों की बाजीगरी तो सरकार करती है, जिसे जी0डी0पी0 दिखाना है और ऑकड़े तो कागज पर बनाये जाते हैं महोदया, दुःखी जनता नदी के मोहाने पर रहती है, वहॉ कागज नहीं पहुंच पाता महोदया, 2008 की कोशी की विभिषिका को आपने भी नजदीक से देखा है, महसूस किया है, इस सदन में आदरणीय विजेन्द्र बाबू भी वहीं के हैं, विजेन्द्र बाबू ने बाढ़ को जितना झेला होगा, महसूस किया होगा, उसका क्या कहना, मंत्री जी बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों का ऑसू पोछने कई बार बल्कि मैं तो कहूंगा कि बार–बार बड़ी अच्छे–अच्छे सपने दिखाये लोगों को, हमलोगों को भी लगा कि आदरणीय नीतीश जी अक्सर कहते रहते हैं कि हम तो काम करते रहते हैं, हमें तो काम करने में विश्वास है। सभापति महोदया, ऐसा लग रहा था कि आदरणीय नीतीश जी बाढ़ से पीड़ित लोगों की, कोशी त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए दर्द को सहने की व्यवस्था होगी, परन्तु क्या हुआ, महोदया, 2008 के बाढ़ के बाद बड़े–बड़े जो वायदे किये गये थे पुनर्वास का, कोशी की समस्याओं का समाधान का क्या हुआ, उन वादों का बाढ़ का क्षतिग्रस्त सड़कों का अभी तक पुर्ननिर्माण नहीं हो सका.....

सभापति(श्रीमती लेशी सिंह):– माननीय सदस्य अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका:– सभापति महोदया, दो, तीन मिनट आपसे आग्रह करके, निवेदन करके, चूंकि मैं विधान सभा में नया हूं और एक प्रयास है मेरा कि दो, तीन मिनट और मुझे दें। महोदया, आज सबसे बड़ी समस्या है नदियों की सफाई की, गाद के कारण सिर्फ कोशी ही नहीं बल्कि बागमती, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान जैसी नदियों के अलावा अधवारा समूह की दर्जनों नदियों के साथ गंगा नदी का भी स्वरुप बदल गया है। महोदया, जब सरकार गंगा में जाती है, खासकरके बिहार के लोगों का आस्था का पर्व छठ में इसकी प्रेरणा से तरह–तरह की बातें मन में आती हैं और सरकार बोलती भी है कि पटना में गंगा नदी का उद्धार किया जायेगा, गंगा में जल परिवहन विकसित किया जायेगा, गंगा के बगल में रिंग रोड बनाया जायेगा, अब शीघ्र ही छठ आने वाला है, सरकार गंगा में जायगी, गंगा में स्टीमर से जायगी.....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):– अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका:– महोदया, एक बात कहकर समाप्त करुंगा। सभापति महोदया, मैं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर में आपने उन पैसों का क्या

किया, जो पहले आपको दिया गया था, क्या उसका सदुपयोग हो पाया, महोदया, प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण लोकतंत्र का कवच है, परन्तु अफसोस है कि अब तो कवच, कुंडल सब एक ही हो गया है, महोदया इतनी बड़ी मांग पर हम अपनी सहमति कैसे दे दें, आप कहॉ खर्च करियेगा, मार्च भी खत्म होने को है, स्थिति यह है कि सूबे में तटबंध के निर्माण का कार्य कच्छप गति से चल रहा है, विभाग द्वारा स्वीकृत 407 योजनाओं में अब तक 228 योजनाओं का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, बाढ़ से पूर्व योजनाओं का काम पूर्ण होता नहीं दिखता, 407 योजनाओं के विरुद्ध 985 करोड़ रुपये खर्च होना था, जनवरी से काम भी शुरु होना था लेकिन हर काम की गति इतनी धीमी है, सरकार को इसको गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि फंड का बंदरबॉट न हो जाय, सूबे के बाढ़ प्रभावित 28 जिले आने वाले मई महीने के मुहाने पर खड़े हैं। सभापति महोदया, अगर सरकार संवेदनशील होती, तो पूर्णिया में 73, गया मे 17, सीवान में 44 .....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका:- समस्तीपुर में 87, मुजफ्फरपुर में 33, बालमिकीनगर में 48, डेहरी में 19, वीरपुर में 86, भागलपुर में 12 तथा पटना मुख्य अभियंता के यहॉ 18 योजनाओं पर काम चल रहा है, इन योजनाओं को मई के अंदर पूरा करना है,जबकि सरकार ही सुस्त है। महोदया, मैं अपनी बात आशा और उम्मीद के साथ करते हुए समाप्त करुंगा:

'' कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सारी कोशिश है कि सिंचाई की सूरत बदलनी चाहिए।'' बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- माननीय सदस्य श्री महबूब आलम। आपका समय है दो मिनट ।

श्री महबूब आलम:- माननीय सभापति महोदया, जल संसाधन विभाग द्वारा पेश 2016-17 के बजट पर वाद-विवाद पर मुझे बोलने का सदन ने जो मौका दिया है,उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो इस बजट के किताब में छापी गयी है, वह यह है कि बड़ी-बड़ी बिहार की नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी जो सोन नदी है,उस सोन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। महोदया, इस बजट पर 8 जिलों के कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जिस राज्य के महत्वपूर्ण नहर सोन नहर,उस सोन नहर का कोई जिक्र नहीं है और इसके जीर्णोद्धार की कोई बात नहीं है। महोदया, महानंदा नदी के बारे में जो जानकारी दी गयी है,उसके संबंध में कुछ भ्रामक जानकारी है, महानंदा नदी के किनारे कुर्सेला नहीं पड़ता है, कुर्सेला गंगा नदी के मुहाने पर है, किशनगंज की बात तो ठीक है लेकिन इसके

साथ-साथ मैं सीमांचल के उस क्षेत्र से आता हूं जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है,उस क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई का कोई कारगर योजना नहीं है। महोदया, महानंदा नदी के बारे में जो जानकारी दी गयी है,उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि महानंदा नदी जो सालों भर जल प्रवाहित होती है,बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश करती है,तो इस नदी का एक धार रधुनाथपुर, मोलापुर, सुलतानपुर, एकसेला, महेशपुर, भवानीपुर, लुगवा पंचायत से होता हुआ सीवानपुर पंचायत के पास महानंदा में मिल जाती है, इस धार को अगर नहर के रुप में तबदील कर दिया जाय, तो हजारों किसानों की हजारों-हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है, फिर एक धार इसी नदी का जापार से निकलकर शीवानंदपुर, धर्मपुर, हरनईल, चापाखोर पंचायत से होकर मालदा जिला में मिल जाती है, महोदया, इसका कोई जिक्र नहीं है, इस क्षेत्र के प्रति इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और यह बिल्कुल उपेक्षित है। सत्तापक्ष के लोग चाहे विपक्ष के लोग, जब ये लोग बोलते हैं, बहुत जोर-जोर से दिलचस्प अंदाज में इनक्लाबी लहजों के साथ बोलते हैं लेकिन जब अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ये लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों की सूरत रोनी जैसी हो जाती है, यह सच है महानंदा नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए गॉव रघुनाथपुर, मोलापुर, बालूपाड़ा, गाजनशिरा, गांजन, महेशपुर, मालापुरा, शिकारपुर, पुरिया, सेतुआ, लगुआ, जबलपुर, तारापुर जैसे बीसो गॉव महानंदा के कटाव से प्रभावित हैं, महोदया और उसमें से गांजन महानंदा के किनारे बसे हुए गॉव है और उसमें बहुत बड़ी मस्जिद है, जो कटाव के मुहाने पर है,उस मस्जिद को बचाया जाना चाहिए और महेशपुर पंचायत के पोसराघाट से भी एक धार निकलती है.....

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- अब आप समाप्त करें।

श्री महबूब आलम:- इस धार के मुहाने पर एक स्लुईस गेट लगाया जाय और इन धारों को जीर्णोद्धार किया जाय, जो कभी छः महीना प्रभावित होती है और उसकी गहराई को बढ़ाया जाय, खोदा जाय, तो हजारों किसानों की खेती इस प्राकृतिक जल संसाधन से होती रहेगी और सीमांचल क्षेत्र की उपेक्षित बदहाल किसान बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक हैं, को लाभ मिलता रहेगा, तभी क्षेत्र का विकास संभव है और तभी इस क्षेत्र की उन्नति हो सकती है, तभी सरकार की दिलचस्पी से पता चल सकता है कि लोगों के प्रति सरकार का नजरिया और इच्छा क्या है, नहीं तो यह सब बेईमानी बात है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह):- माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव ।

टर्न–22/कृष्ण/08.03.2016

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदया, जब वर्ष 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो बिहार में खेत के आलवे कुछ भी नहीं बचा । उस समय बिहार की जो स्थिति थी, बहुत ही खराब थी । ये लोग ही बोलना शुरू कर दिये थे कि जितने भी आर्थिक मजबूती थी, सब के सब झारखंड चला गया । बिहार का क्या होगा ? लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई । उन्होंने इस बिहार को धीरे–धीरे जो स्थिति थी, उससे बेहत्तर किये । उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आये और अपनी सूझ–बूझ से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो आंतरिक संसाधन थे, उसके बल पर आज सिंचाई के क्षेत्र में हमलोग कम नहीं है, हमलोग तेजी से बढ़ रहे हैं । लेकिन जितना बढ़ना चाहिए, उसमें प्रकृति भी अवरोधक होता है, चूंकि कई सालों से जितना बारिश प्रदेश में होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी, जिसके कारण सिंचाई की व्यवस्था बेहत्तर होने के बावदूर हम जितना कामयाम हो सकते हैं, जितना किसानों को पानी दे सकते हैं, उसमें हमलोग पीछे रह गये । तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजना है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार की जो मंशा है, निश्चित रूप से हम समझते हैं आनेवाले समय में सिंचाई विभाग में बेहत्तर व्यवस्था होगी । यह मेरी उम्मीद है । चूंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इस सरकार में एक मजबूती आयी और उसी मजबूती का परिणाम है कि सरकार बेहिचक, बिना अवरोध के, बिना किसी रोक–टोक के, सरकार हमेशा किसी भी काम को करने के लिये निर्णय लेने में कहीं भी कंफ्यूज नहीं करती है । बिलकुल सीधे–सीधे निर्णय लेने का काम करती है । तो यह कोई मामूली बात नहीं है । चूंकि संसाधन में, आपको मालूम होगा, लोक सभा चुनाव की बात छोड़ दीजिये, विधान सभा चुनाव में पूरा बिहार देश की राजधानी बना हुआ था । इस माने में बना हुआ था कि जितने भी सेंट्रल के मिनिस्टर्स थे, जितने भी बड़े–बड़े नेता थे, सारे के सारे 2–3 महीना यहीं समय व्यतीत किये और बड़ी–बड़ी घोषणायें किये थे कि बिहार को हम देश में जितना भी प्रदेश है, हम उससे भी बेहत्तर बनाने का काम करेंगे । झूठा आश्वासन, झूठा आश्वासन और जब चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद यहां से जो गछ कर गये, जो कह कर गये, उसको देने के लिये इनको याद ही नहीं रहा । सारे के सारे वादे

भूल गये । तो यह स्थिति है महोदया । तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि माननीय विभागीय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, इनको काफी अनुभव है, बड़ी तजुर्वा है । इन्होंने जिस हिसाब से सिंचाई विभाग को बांटने का काम किये हैं, पहले तो बाढ़ और सिंचाई दोनों सम्मिलित था, इनको अलग करके आगे बढ़ाने के लिये जो तरीका अपनाये है, हम समझते हैं कि आनेवाले दिनों में इस विभाग में अच्छा परिणाम आयेगा । महोदया, सरकार का जो उद्देश्य है, जो अनुमान है, जिस हिसाब से इन्होंने वार्षिक बजट तैयार किया है, जितने हेक्टेअर में हमको पानी देना है, उस हिसाब से बनाया गया है । हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे । इसमें कहीं कोई संसय की बात नहीं है । तो महोदया, इस तरह से जो स्थिति बनी है, विपक्ष के जो लोग हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि अगर आपको सरकार की आलोचना ही करनी है तो जहां पर सरकार की कमजोरी होती है, जहां सरकार के कार्यों को देख कर कुछ अगर आप महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी-अच्छी बातों को बताने का काम कीजिये । लेकिन अपने फायदा के लिए प्रश्नकाल में अपना प्रश्न करवा लेते हैं और उसके बाद जब प्रश्नकाल खत्म हो रहा होता है तो वेल में जा कर खड़ा हो जाते हैं । इससे हमलोगों को नुकसान हो जाता है । इस तरह से नहीं होना चाहिए । बोलने को तो बोल देते हैं । लेकिन बाद में इस तरह का काम करते हैं तो हमलोगों की उम्मीद ही तोड़ देते हैं । एक बार विश्वास करते हैं कि आप अच्छी-अच्छी बातें करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद इस तरह आपका हवा बदल जाता है कि जिसके कारण हम लोगों को कभी विश्वास होता भी है और कभी विश्वास नहीं भी होता है । महोदया, यही स्थिति बनी हुई है। महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि विपक्ष भी सरकार के साथ मिलकर चले और इनकी तो केन्द्र में सरकार है । बिहार की क्या स्थिति है, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, निश्चित रूप से इनको तो सरकार को इस मामले में सहयोग करना चाहिए लेकिन कभी भी ये सहयोग नहीं करते हैं

व्यवधान

बाहर तो रहेगा ही । चूंकि महागठबंधन के जो श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेतृत्व करनेवाले हैं, इतना मजबूत हैं और इच्छा-शक्ति से इतना सबल हैं कि आप नहीं भी चाहियेगा तो भी ये हमेशा करने के लिये तैयार हैं और करके छोड़ेंगे । इसलिये निश्चित रूप से धैर्य रखिये और देखते जाईये । सरकार का जो उद्देश्य है, निश्चित रूप से, आप चिन्ता नहीं कीजिये।

हल्ला नहीं कीजिये । थोड़ा मदद कीजिये । आप भी बिहार की मिट्टी के हैं और हम भी बिहार की मिट्टी के हैं, कोई अलग नहीं हैं ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदया, एक मिनट । हम अपने क्षेत्र के बारे में बोल कर समाप्त कर दंगा ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) :आप माननीय मंत्री जी को लिखकर अपना सुझाव दे दें ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदया, आप से आग्रह है कि मुझे एक मिनट का समय दिया जाय । हमारे क्षेत्र में एक बांध है, उसके बाद अमरासनी है ।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदया, इतने महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा हो रही है और सदन में न विपक्ष के नेता है और न विपक्ष के नेता के बगल में बैठनेवाले आदरणीय नन्द किशोर जी हैं । इनको इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो चर्चा हो रही है, मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय से कि उनको विषय-वस्तु से अवगत करा दीजिये ताकि सदन में वे जल्दी आ जाय ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदया, विषय तो बहुत गंभीर है । माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को जरूर सदन में रहना चाहिए । जल संसाधन नीति पर बहस हो रही है ।

सभापति श्रीमती लेशी सिंह : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, आपका समय है दो मिनट ।

टर्न–23/सत्येन्द्र/8–3–16

श्री राजू तिवारी: आदरणीय सभापति महोदया,दो मिनट टाईम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल संसाधन विभाग पर मैं अपने विधान–सभा गोबिन्दगंज से संबंधित चूंकि दो मिनट में मैं अपनी ही विधान–सभा का बात रख लूं तब भी बहुत बड़ी बात है। यहां पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और बहुत बड़े पदाधिकारी लोग भी यहां उपस्थित है मैं उनके तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब 2003–04 में नगदाहा हमारे यहां एक बहुत बड़ा तटबंध टूट गया था उस समय आदरणीय राबड़ी देवी जी शायद मुख्यमंत्री हुआ करती थीं। वहां पे बांध टूटने के बाद उसके बगल में एक नहर थी जिससे करीब चार–पांच पंचायत को करीब 20–25 गांव में नहर का पानी से पटवन होता था लेकिन बांध टूटने के बाद उसी के पीछे आकर के नहर पर ही बांध बन गया और आज तक उस नहर की वैकल्पिक व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गयी जिससे करीब हमारे यहां के एक दर्जन गांव, हम आपको बता दे रहा हूँ टिकुलिया,सरेया,पीपरा,मिश्रवलिया,नारापर,सिकटिया आदि सैंकड़ों गांव,उन गांव में नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि बीच में ही नहर पर ही बांध बना दिया गया। आगे नहर है और उसी नहर पर बांध बना दिया गया है जिसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी। अभी तक मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अभी नहर पे जो नहर के जीर्णोद्धार हुआ है नार्गाजुन कोई कम्पनी है उसके माध्यम से, हम ये आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि उसकी जांच करावें चूंकि वहां पर इतना न गहरा खुदाई हो गयी है कि जो सरकार द्वारा पहले से बनाया गया है नाला जहां निकलता है खेतों के पटवन के लिए पानी आने के बावजूद एक तो टाईम पर पानी नहीं आता है,पानी आता भी है तो वह खेत तक नहीं पहुंचता है तो मैं आपके माध्यम से इन दो बातों पर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा और मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इन दोनों बातों पर ध्यान देकर के उचित कार्रवाई कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रविन्द्र यादव: सभापति महोदया,जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने और अपने दल के नेता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सदन का बहुमूल्य समय मुझे आपने दिया है, साथ–साथ मैं अपने क्षेत्र की उस महान जनता को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी बातों को यहां तक पहुंचा सकूं। सभापति महोदया,रहीम की वह पंक्ति आज जो हमारे पूर्व के साथी बोल रहे थे–'रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सुन,पानी बिना न उबरे मोती मानस चुन।' पानी नहीं तो जिन्दगानी किस काम की। सिर्फ पानी का अर्थ बड़ा ही बृहत है और जिस विभाग पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आज हमलोग बात कर रहे

हैं वह कोई साधारण सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल एक साधारण विषय नहीं है यदि हम सब लोग मिलकर के सामुहिक प्रयास करते तो आज बिहार का स्वरूप दूसरा होता और आज बिहार विशेष पैकेज के लिए नहीं मांग करता। आज बिहार के मजदूर बिहार राज्य से बाहर पलायन नहीं करते। हमारे यहां गरीबों की जो स्थिति है,महोदया, हमारा क्षेत्र झारखंड से सटा है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है उग्रवाद से ग्रसित है। रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है, उर्वरक भूमि नहीं है, पहाड़ी भूमि है। माननीय मंत्री जी भी उसी कमिश्नरी से आते हैं और सैंकड़ों डैम हैं हमारे यहां लेकिन उसकी स्थिति क्या है, अभी मैं विस्तार से उसका बयां करूंगा। सभापति महोदया,बिहार की जो सिंचाई के संसाधन है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है वृहत सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। वृहत में बड़े बड़े डैम है और लघु सिंचाई विभाग में भी डैम है लेकिन छोटे स्वरूप में है,आहर पईन है तो सर,मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय चौधरी जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने ने कहा था उनका एक वक्तव्य मेरे पास है पूरानी अधिकांश वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में गाद जमा होने से उसकी संरचना एवं नहर प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के कारण सृजन क्षमता का निरंतर ह्रास हो रहा है। रिजवायर का सिल्ट्रेशन हो रहा है और कैनाल की स्थिति इतनी जर्जर है कि हम जहां तक पानी पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहा है। माननीय महोदया,आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक महत्वपूर्ण विभाग के मिनिष्टर है। एक ऐसा विभाग जो बिहार में समृद्धि ला सकता है, एक ऐसा विभाग जो बिहार के लाईफ लाईन को चेंज कर सकता है। गरीबों के यहां एक कहावत है–गरीब के धिया पूता मत कर पर्व जहिये दाल भात तहिये पर्व। उस बिहार में रहते हैं हमलोग जहां से सैंकड़ों हजारों मजदूर दूसरे प्रदेशों में पालयन हो रहे हैं और उनके वोट से हमलोग यहां विधान–सभा में बैठे हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं हेलीकॉप्टर से तो वहां खेत में,खलिहान में पगडंडियों में काम करने वाले लोग सोचते हैं हमारा नेता आ गया लगता है मेरी स्थिति परिवर्त्तित होने वाली है लेकिन आजादी के कई दशक के बाद भी हमारे मतदाता उसी स्थिति में हैं। इसके लिए दुख है और ललन बाबू मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आपके साथ रहने का मौका मुझे मिला है मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपने अभी हाल में हमारे यहां एक वाजन योजना है, वाजन में आपने उसका प्रशासनिक स्वीकृति दिया है और काम लगने वाला है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ लेकिन आपसे साथ–साथ आग्रह करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण काम नहीं है इसको पुनर्जीवित करना यह कठिन टास्क है, हरक्लुनियन टास्क है और आपसे मैं यही कहना चाहूंगा– है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर के मन में, मानव जब जोड़ लगता है पत्थर पानी बन जाता है।'

इतनी शक्ति एक से एक हैं, बड़े प्रखर छिपे मानव के भीतर, दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है सर, कोशिश कीजियेगा, प्रयास कीजियेगा तो आप में शक्ति है, आपके साथ रहा हूँ मैं। आपसे अच्छा संबंध रहा है, आप चाहेंगे तो उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। आपसे मेरा आग्रह है(व्यवधान)मेरे भाई शांत,शांत,बताता हूँ,सुनियेगा,आपलोग शांत रहिये न सुनने की आदत डालिये। मैं वहीं था जहां आप हैं और हल्ला नहीं करियेगा, सुन लीजिये।(व्यवधान)वो तो बाद की न बात है प्रहल्लाद बाबू मैं वहीं था जहां आप हैं लेकिन जब आपने नारा दिया सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले, कागज चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखों तो हमको भी लगा था कि कोई रहनुमा आ गया है लेकिन कहां है पहलवान विद्यालय,कहां है आपका चारवाहा विद्यालय? आप कपूर्री जी का नाम लेते हैं। उस सदन का भी मैं सदस्य रहा हूँ जहां कपूर्री जी बैठते थे और आप लोग, अशोक बाबू जहां हैं वहां हम थे।(क्रमशः)

टर्न–24/मधुप/08.03.2016

श्री रविन्द्र यादव : ..क्रमशः... कर्पूरी जी क्या चिन्तित थे कि अपने सुपुत्र को मंत्री बना देंगे! मेरी बात का बुरा मत मानियेगा आपलोग, मेरा सबके प्रति आदर है । क्या कर्पूरी जी का यही चरित्र था ? रामनाथ ठाकुर को उन्होंने मंच पर नहीं चढ़ने दिया। मेरे पिताजी विधायक थे, त्रिपुरारी चाचा विधायक थे, इस सदन के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने बेटे शांतनु को मंच पर चढ़ने नहीं दिया । बाद में बात होगी, मैं किसी की निंदा नहीं करता। आप मेरी बात को गौर से सुनें । महोदया, सिंचाई पर बात हो रही थी और मेरे मित्रों ने मुझे विषय से विषयांतर कर दिया ।

मेरे हाथ में जो कागजात है, जमुई के बारे में मैं कहना चाहूँगा चूँकि हमारा जिला है । The percentage of irrigated area varries greatly across different region and district come a low to 16 percent in the Jamui, around 86 percent in Shekhpura. बगल में शेखपुरा है, उसकी अच्छी स्थिति है लेकिन हम 16 परसेंट पर जमुई में हैं । आपको जमुई पर ध्यान देना होगा । हमारे क्षेत्र में नागी है, नकटी है, शारदा है...

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रविन्द्र यादव : दो मिनट में समाप्त करते हैं, मैडम । बहुत सी योजनाएँ हैं । अंत में.... (व्यवधान) प्रह्लाद बाबू हमारे भाई हैं, साथ घूमते थे । सुनिये न ! केन्द्रीय बजट हमारे हाथ में है... (व्यवधान) वीरेन्द्र बाबू, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी साथ थे ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप बैठ जायं । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रविन्द्र यादव : केन्द्रीय बजट में 20 हजार करोड़ का प्रावधान माननीय नरेन्द्र मोदी ने रखा है, चन्द्रमा की शीतलता, सूर्य का तेज और सागर की गहराई के व्यक्ति हैं नरेन्द्र मोदी ।

सभापति (श्रीमती लेशी सिंह) : अब आप बैठ जायं ।

माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह जी, आपका समय 10 मिनट है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदया, आज जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदया, बिहार कृषि प्रधान राज्य रहा है और मैं यूँ कहूँ कि जो हमारा देश हिन्दुस्तान है, वह कृषि प्रधान देश रहा है । हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए दिन-रात काम करते रहे हैं । आज जो जल संसाधन विभाग पर बजट आया है, वह बजट सराहनीय है । महोदया, बँटने के बाद बिहार में एक तरफ बाढ़ और दूसरे तरफ सुखाड़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है । एक तरफ बिहार के लोग बाढ़ को झेलते हैं तो दूसरी तरफ बारिश कम होने के चलते दक्षिण बिहार के लोग अकाल को झेलने का काम करते हैं । हम बधाई देना चाहते हैं अपने माननीय मंत्री जी को कि सदन के शुरू होने के दो दिन पहले दक्षिण बिहार के सिंचाई के लिए 24 तारीख को इन्होंने जाकर इन्द्रपुरी का निरीक्षण किया और वहाँ के तमाम पदाधिकारी के साथ बैठक किया कि दक्षिण बिहार को सूखा से हम कैसे निजात दिलायें । इस साल 2015-16 में थोड़ा बारिश कम होने के कारण कहीं-कहीं थोड़ा कष्ट हुआ था लेकिन खरीफ फसलों को पानी मिल गया था । रब्बी फसल को भी पानी देने के लिए सरकार दिन-रात प्रयास कर रही है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद कोसी में काफी बाढ़ आई और उस इलाके को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए, उस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार ने अपना दिल और दिमाग उस इलाके में केन्द्रित करके उधर के लोगों को सुरक्षित करने का काम किया । अब मैं समझता हूँ कि कोसी और पूर्णिया वाला इलाका पहले की अपेक्षा आज काफी सुन्दर और सुसज्जित हो चुका है । लेकिन उसका असली निदान तभी हो सकता है जब नेपाल से पानी आना बंद हो जाय । नेपाल बिहार का हिस्सा नहीं है, नेपाल एक देश है और मैं समझता हूँ कि देश

के साथ अगर किसी तरह का समझौता करना पड़े तो हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री समझौता कर सकते हैं, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं । इसलिये हम विपक्ष में बैठे लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आंधी-पानी की तरह आप लोक सभा के चुनाव में आये तो आज जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, आप अगर कोसी को बचाना चाहते हैं, कोसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो नेपाल से जो पानी आ रहा है, उस समस्या का समाधान देश स्तर पर करा दीजिये । मैं समझता हूँ कि उससे कोसी खुशहाल हो जायेगा ।

रही बात हमारे इलाके की, हम शाहाबाद से आते हैं, रोहतास जिला से आते हैं । हमारे इलाके में सोन नदी से सिंचाई का, पटवन का काम होता है और उसके ऊपर रिहन्द बांध और मध्य प्रदेश में वाणसागर है । जब हमारे यहॉ रोहतास जिला और शाहाबाद में पानी की किल्लत होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो मध्य प्रदेश की सरकार वाणसागर से पानी देना बंद कर देती है । बार-बार अनुरोध बिहार सरकार के पदाधिकारी और सरकार के करने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी देते हैं, उसके बाद फिर उसको बंद कर देते हैं । मध्य प्रदेश की भी सरकार आपकी सरकार है, वहॉ हमलोगों की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में आपके लोग बैठे हुये हैं और उसके ऊपर नेतृत्व आपके माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनलोगों को कहकर हमें पानी दिलवाने का काम करेंगे ।

हमारी सरकार जो कहती है उसको करने में विश्वास रखती है । मिथिलांचल की तरफ से विपक्ष के एक साथी बोल रहे थे कि जो सात निश्चय लाये उसमें कृषि और स्वास्थ्य को क्यों नहीं लाये । यह काम आपके नेता का है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं । हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो कहते हैं उसको करके दिखाने का काम करते हैं । दोनों में फर्क यही है, यही फर्क है दोनों में । हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो सात निश्चय किया है, पॉच साल में पूरा करके दिखायेंगे लेकिन आपके नेता 2014 में जो घूम-घूमकर पूरे हिन्दुस्तान में भाषण कर रहे थे अच्छा दिन लाने का, काला धन 90 दिन में वापस लाने का, युवाओं को रोजगार देने का, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं । बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए आपलोग विवश किये हैं क्योंकि बिहार का जो हक है, जो विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं, उसके कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

आपने कहा था कि एक करोड़ छात्रों और युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन आप रोजगार दे नहीं रहे हैं । जब छात्र लोग आवाज उठाते हैं तो आप उसपर देशद्रोह का मुकदमा करके फँसाने का काम करते हैं । कितने दिन तक आपका दमन चलेगा ? जिन युवाओं और छात्रों ने आपकी सरकार को, प्रधानमंत्री को बनाया है, उसका पनीशमेंट देने का अगले चुनाव में काम करेंगे, घबराइये नहीं । एक साथी बोल रहे थे कि विपक्ष के लोग संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं । हम भी इस बात को मानते हैं लेकिन हम देखते क्या हैं, नये सदस्य आये हैं, छोटी-छोटी बात पर विपक्ष के लोग वेल में आकर हंगामा करने लगते हैं । यह कौन संविधान में है ! यह सब नहीं होना चाहिये । (व्यवधान)

जल संसाधन पर ही बोल रहा हूँ, जल संसाधन से बाहर नहीं हैं लेकिन जो आप बोलियेगा, उसका जवाब भी सुनते जाइये । मैं जल संसाधन पर कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के कथनी और करनी में मेल है, आपके जैसा मामला नहीं है । हमारी सरकार ने जो भी पानी देने की बात कही है, पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है । पानी मिलेगा बशर्ते कि जो ऊपर की व्यवस्था है, उसको आपको ठीक करने की जरूरत है । आप ऊपर से ठीक रहिये, नीचे से हम ठीक रहेंगे । आपकी सरकार हमारे बिहार की सरकार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, हर मायने में डिस्टर्ब करने का काम कर रही है । हमारा जो हक और हकूक है बिहार का, अगर केन्द्र की सरकार दे दे तो हमें किसी से भीख माँगने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आप अपने कथनी और करनी में मेल करने का प्रयास करिये । हमारे नेता के कथनी और करनी में मेल है । इसीलिये हमारे नेता जो सात निश्चय किये हैं, उसपर काम करने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और वह सब पूरा हो जायेगा ।

....क्रमशः...

टर्न-25/आजाद/08.03.2016

श्री वशिष्ठ सिंह : (क्रमशः) हमारे क्षेत्र में जो नहर है, उस नहर में पानी जा रहा है । लेकिन हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, हम आपसे एक बार मिलकर भी निवेदन किया था कि कोसी समस्या के बाद हमारे इलाके पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है । इसलिए जरूरत है कि कहीं-कहीं नहर में कुछ हल्का-फुल्का कटाव हो गया है, उस

कटाव को भी देखने की जरूरत है और उसके बाद सरकार ने जो पानी की व्यवस्था की है, दुर्गावती जलाशय की बात थी, एक लोजपा के नेता बोलकर चले गये.....

अध्यक्ष : अब समाप्त करें माननीय सदस्य । अंतिम बात कह लीजिए ।

श्री वशिष्ठ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे क्षेत्र में एक कोचस रजवाहा है, जिसकी लम्बाई 32 कि0मी0 है । उसमें 4 सुलिस है, जिसमें 3 सुलिस चलता है और एक सुलिस 8-9 वर्षों से बन्द है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको खोलवा करके अंतिम छोड़ तक पानी पहुँचाने का काम किया जाय । हमलोगों के इलाके में करगहर वितरणी है, रघुनाथपुर है, तमाम जो वितरणी है, इसमें जीर्णोद्धार का काम कराया जाय ताकि किसानों को पटवन में सुविधा हो और हम तमाम रोहतास और शाहाबाद के लोग आपके आभारी रहेंगे । जयहिन्द ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव, आपका 9 मिनट समय है, 4.30 बजे सरकार का उत्तर होगा ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, जलसंसाधन विभाग का जो मांग माननीय मंत्री महोदय द्वारा रखा गया है, मैं उसके समर्थन में एवं विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, इस बिहार की महान जनता ने महान निर्णय पिछले नवम्बर में लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में बिहार में जो हमलोगों की सरकार को स्थापित किया, उस महान जनता को आपके मार्फत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ ।

महोदय, हमारे विपक्ष में जो भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सब्र करियेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ .....

अध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखते हुए अपनी बात कह डालिए, नहीं तो समय नहीं बचेगा।

श्री सीताराम यादव : महोदय, एक चीज ये बार-बार सरकार के तरफ सवाल उठाते हैं । महोदय, मैं पुरानी बात इनको याद कराना चाहता हूँ, आप बिहार के विकास की बात करते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप सबलोग गये थे दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने कि हमको बिहार राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए । वह दिन भूल गये क्या ? आज जब पावर में है, तो आपकी कथनी और करनी में अन्तर हो गया ? आप सिर्फ बोली और वाणी में भरोसा करते हैं । यदि आपको बिहार के प्रति दर्द रहता तो आप स्वतः अपने प्रधानमंत्री जी से कहते और वहां से लड़ाई

लड़कर लाते बिहार राज्य को स्पेशल कैटेगरीज स्टेट बनाते, विशेष पैकेज दिलाते । 1 लाख 25 हजार करोड़ जो बात बिहार में हवा में उड़ रहा है, जिसकी निन्दा करके विरोध करते और बिहार को बनाते । अब सीमित संसाधन में बिहार को बनाने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए कुशल मंत्री श्री ललन सिंह के नेतृत्व में जो बिहार का बजट जल संसाधन का रखा गया है, मैं इसके काबिले तारीफ करता हूँ और बहुत-बहुत इसकी प्रशंसा करता हूँ । आपके पेट में मरोड़ उठता होगा लेकिन इलाज कहां है ? आप सब्र से बैठिए विपक्ष के भाईयों, 5 वर्षों के बाद जनता के बीच जाईए और अपने किये हुए भूल और गलत वायदे को जाकर के महान जनता से माफी मांगिए ।

महोदय, समय हमको कम रह गया है, थोड़ा बोलते ज्यादा लेकिन हमारे ललित बाबू हमहीं को पीछे कर दिये हैं, इसलिए हम अपने इलाके के ही सवाल को उठाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पीछे जरूर दिये हैं लेकिन आपको बराबर देते हैं ।

श्री सीताराम यादव : जी, जी । हमारे यहां कमला इरीगेशन है, कमला बराज जयनगर में । वहां से किंग्स नहर है, उसकी सफाई 1952 में हमारे ही गांव में जो नरकटिया गांव है मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना के नरकटिया, वहां पर जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिट्टी काट करके किंग्स कैनल का शिलान्यास किये थे जो कमला नदी से जयनगर से निकलता है । इसकी सफाई की मांग करता ह ूँ। उसमें मनमोहन वितरणी है, जो जीर्ण-शीर्ण है, उसकी सफाई और उसका जो पैरलर चैनल है, माननीय मंत्री महोदय उसकी सफाई की हम मांग करते हैं । एक मलमल वितरणी है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है मलमल, जो शिल्ट कर गया है, उसकी सफाई का मुख्य पश्चिमी नहर है मेन कैनाल, उसमें धमियापट्टी और उसराही के बीच में एक फाटक का निर्माण होना चाहिए। चूँकि महोदय प्रत्येक वर्ष उसमें किसान के द्वारा क्रौस बांध लगा दिया जाता है एवं नहर की कटाई करके जो पटौनी किया जाता है फाटक के अभाव में, प्रत्येक वर्ष किसान और वहां के पदाधिकारियों के बीच में तनातनी होता है, कई बार केस-मुकदमा भी हुआ है और किसान लोग उसमें फंसते हैं । लेकिन किसान को बिना बांधे खेत पटता नहीं, सामने से पानी जा रहा है और लोगों को नहीं रहा जाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके मार्फत अनुरोध करता हूँ कि मेन कैनाल जो जयनगर से शहरघाट की ओर जाती है, उसमें धनियापट्टी गांव और उसराही गांव के बीच में एक फाटक लगाया जाय । खिरहर शाखा नहर है महोदय, उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकला है, जो जीर्ण-शीर्ण हो गया है । उसका जीर्णोद्धार और मरम्मत चाहिए, जो हथापुर गांव के समीप से मानापट्टी परसा, मनमोहन एवं भेज गांव जाने वाली जो वितरणी है, उसका यदि सफाई हो जाता है तो इससे

हजारों एकड़ की सिंचाई होगी और किसान खुशहाल होंगे । एक खिरहर शाखा नहर से निकलने वाली जो वितरणी है महोदय, ये जो चिलबिलिया एवं भागीरथपट्टी गांव को जाने वाली है, जो सिंचाई होती है हजारों-हजार एकड़ महोदय, वह सिंचाई करेगा । इसमें से एक तीसरी नहर कोरहिया नहर है, जो सिर्फ कोरहिया गांव के उत्तर तक ही रह जाता है, पानी दक्षिण नहीं जाता है । उसमें से एक शाखा पैरलर चैनल निकला है नराह गांव के लिए जो कभी सिंचाई नहीं कर पाता है, नहर है लेकिन सिंचाई नहीं कर पाता है । माननीय मंत्री महोदय से हम यह मांग करते हैं कि हम जो वायदा करके आये हैं कि उस नराह, बाली वितरणी को हमलोग इस बार चालू करेंगे । मेरा अनुरोध होगा, मेरा आग्रह होगा, मेरा विनती होगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस नराह वितरणी को महोदय चालू कराया जाय । इससे 10-20 साल पहले सिंचाई होता था, अब बिल्कुल जाम हो गया है । वह नहर है, इसको बढ़िया से जीर्णोद्धार करके मैं मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूँ, एक बार जयनगर चला जाय और वहां जो कमला बराज है, मैं सिर्फ एक दिन का समय लूँगा, सारे नहर को मंत्री महोदय आप अपनी ऑंख से देख लीजिए । किसानों के हित में, बिहार के हित में उस नहर का जीर्णोद्धार एक बार आपके कुशल नेतृत्व में होना चाहिए, चूँकि आप बहुत ही तेज, कर्मठ एवं कार्यशील हैं । मुझे विश्वास है कि आप बढ़िया से काम करवा देंगे । कमला पूर्वी कैनाल है महोदय, कमला बराज से कमला पूर्वी नहर निकला है, वह भी जीर्ण-शीर्ण है, कई जगह उसका बांध टूटा हुआ है, बांध का मरम्मत, आऊटलेट का निर्माण इन तमाम जगहों पर होना चाहिए, इसको आप देखवा लीजिए । एक आग्रह होगा कि कमला तटबंध है बायां और दायां, जिसपर ईट ब्रीकसोलिंग बनाया गया है लेकिन जहां-तहां उखड़ कर जीर्ण-शीर्ण हो गया है । यदि उसको कालीकरण करवा दिया जाता है तो बहुत ही इलाके का भलाई होगा या तो आप चेंज कर दीजिए अपने विभाग से और नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सार्टिफिकेट देकर के प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना से भी हमलोग करवा ले सकते हैं । ..... क्रमशः .....

टर्न:26/अंजनी/दि0 8.3.16

क्रमशः....

श्री सीताराम यादव : एक किंग्स चेनल है, जिसपर पंडित जवाहर लाल नेहरू आये थे, किंग्स नहर का भी जो सर्विस रोड है, उसको पक्कीरकण करना है या तो आप स्वयं कर दीजिए

अपने विभाग से या नहीं तो नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिला दीजिए, हम मुख्यमंत्री योजना से निर्माण करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए, साढ़े चार बज रहा है । अब समाप्त करें ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, मेरा तो बहुत बात रह गया ।

अध्यक्ष : एक अंतिम बात कहकर समाप्त करिए ।

श्री सीताराम यादव : एक अंतिम बात बोल देते हैं, महोदय, किसान का हालात, गांव का हालात और मजदूरों के हालात को देखते हुए एक बात रखता हूँ कि –

संभले को अगर संभालोगे हे नाथ बड़ाई क्या होगी,
कांटों में मरता है कोई तारीफ है उसे बचा लेना ।
जय जवान, जय किसान ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

<u>सरकार का जवाब</u>

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग की मांग पर कई माननीय सदस्यों ने, हम समझते हैं कि 17–18 माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है और कई माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है, वह काफी महत्वपूर्ण है विभाग के लिए। माननीय सदस्य रामदेव राय जी ने जो बातें रखी, अशोक जी ने जो बातें रखी, सीताराम बाबू जी ने बातें रखी, रवीन्द्र जी ने बातें रखी, कई सुझाव आये हैं, जो सकारात्मक सुझाव हैं और विभाग को आगे काम करने में उन सुझावों का बहुत अच्छा फल मिलेगा, यह मैं मानता हूँ । महोदय, सभी माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने जो भी सवाल उठाये हैं, उन सभी सवालों को नोट किये गये हैं और उन सब पर जो भी संभव होगा, हम आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं । महोदय, यह बात सही है और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो जल संसाधन विभाग है, उसका मूल उद्देश्य था सिंचाई क्षमता को सृजित करना । माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू जब बोल रहे थे तो उन्होंने आंकड़ा भी दिया और वह सही है, सत्य है । उन्होंने अध्ययन किया है प्रतिवेदन का, वह आंकड़ा बताता है कि जो जल संसाधन विभाग का मूल उद्देश्य है सिंचाई क्षमता को सृजित करना, वह उसके बजाय पूरा विभाग 365 दिन बाढ़ के काम में लगा रहता है और किसी की एकाउंटेब्लिटी नहीं थी । एक ही पदाधिकारी बाढ़ का काम देख रहा था और वही एक पदाधिकारी सिंचाई का भी काम देख रहा है । जब पकड़ियेगा तो कहेगा कि हम बाढ़ में फंसे हुए थे और बाढ़ में पकड़िए तो कहेगा कि

सिंचाई विभाग में पड़े हुए थे । इस नयी सरकार के गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की समीक्षा की और उस समीक्षा के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि सिंचाई विभाग को दो खंडों में विभक्त कर दिया जाय । एक खंड पूरा बाढ़ का काम देखेगा, ड्रेनेज का काम देखेगा और दूसरा खंड पूरा 365 दिन सिंचाई क्षमता को सृजित करने का काम देखेगा और यह विभक्त करने की कार्रवाई अब अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र हमलोग इसपर निर्णय लेंगे लेकिन उसको हमलोग लागू 1 जुलाई, 2016 से हर हालत में करेंगे । सभी पदाधिकारी अपने-अपने काम के प्रति उत्तरदायी होंगे । इसके अलावे अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई योजनायें हैं जो सिंचाई विभाग में चल रही हैं, वर्षों से चल रही है और वह पूरी नहीं हो पा रहा है । कई योजनाओं में कई तरह की समस्यायें हैं, जो वृहत् योजनायें हैं, उसमें भूमि अधिग्रहण की समस्या है । हमलोगों ने यह फैसला किया है, विभाग ने यह निर्णय किया है कि अब हम प्रत्येक वर्ष कार्य योजना बनाकर और उसका लक्ष्य निर्धारित करके हमलोग काम को करेंगे और उसके लक्ष्य के अनुसार उसको पूरा करने का काम करेंगे । वित्तीय 2016-17 से हमलोग शुरू कर रहे हैं। रामदेव बाबू ने कहा कि 53.53 लाख हेक्टेयर हमारी जो पोटेंसियलिटी है, जहां हम क्षमता सृजित कर सकते हैं 29 लाख 25 हेक्टेयर में, अबतक हमलोगों ने क्षमता सृजित की है लेकिन हम मात्र 21 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई कर पा रहे हैं, यह हमलोगों का दुर्भाग्य है, ह्रास हो रहा है । पिछले साल के बजट भाषण को कई माननीय सदस्यों ने कोट किया है, ह्रास हो रहा है और ह्रास जो हो रहा है, वह जो डिफिसियेंसी है, पुराने स्ट्रक्चरों का, जो उनके रख-रखाव में डिफिसियेंसी है और दूसरा जो सिल्टेशन हो रहा है और सिल्टेशन से हमारा सीपेज भी होता है और सीपेज होने के कारण हमारे टेल इंड तक कैनाल का पानी जो पहुंचा सकते थे, वह टेल इंड तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं चूंकि पानी हमारा सीपेज में बर्बाद हो रहा है तो यह है कई समस्यायें । इसलिए हमलोगों ने इस साल का जो लक्ष्य कार्य योजना का निर्धारित किया है, उसमें हमलोगों ने 12 योजनायें, 12 मध्यम और लघु उन योजनाओं को चिंहित किये हैं और जो नयी योजनायें हैं, वह 2016-17 में उन योजनाओं को हर हालत में 2017 मार्च के पहले उसको पूरा करने का काम करेंगे । उससे 118.3 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हम सृजित कर पायेंगे । इसके साथ-साथ हमलोगों ने 13 उन योजनाओं को भी चिंहित किया है, जिन योजनाओं में स्ट्रक्चर डिफियेंसी है, उन योजनाओं को भी हम चिंहित करके उसके जो डिफिसियेंसीज हैं स्ट्रक्चर के , उसको रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करने के बाद उसमें भी हमलोग 151.71 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता वर्ष 2016-17 में सृजित कर पायेंगे ।

इसलिए हमारा यह मानना है, इस विभाग का यह मानना है कि हमलोग कार्य योजना बनाकर प्रति वर्ष काम करेंगे और वैसी योजनाओं को माननीय सदस्यों को हम बताना चाहते हैं कि कई योजनायें हैं जो भूमि अधिग्रहण के कारण पिछले पांच साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल से चली आ रही है, आगे भी उसकी समस्या का निदान करना होगा, इसका भी कोई निर्णय नहीं है । तो आज जो हम राशि आपसे जो मांग कर रहे हैं और जो राशि आप हमको देने जा रहे हैं, विभाग को जो खर्च करने के लिए देने जा रहे हैं, उस राशि का हम सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह हर जगह बांटने का काम नहीं करेंगे । वैसी योजनायें जो पूरी होनेवाली अभी नहीं है, उन योजनाओं को हम होल्ड पर डालने का काम करेंगे, उसको अभी हम स्थगित रखेंगे । जब उसकी समस्याओं का निदान हो जायेगा, तब हम उन योजनाओं पर खर्च करने का काम करेंगे । इसके अलावे हमलोग नालन्दा जिला में और पटना जिला में देखा है कि जो हमारे जमींदारी बांध हैं, जो हमारे पुराने पईन हैं, उनको भी ठीक करके, जमींदारी बांध को ठीक करके हम कई गुणा सिंचाई क्षमता सृजित कर सकते हैं । तो हम उन जमींदारी बांध पर जो बन गये हैं जमींदारी बांध और उसमें जो स्लूईस गेट है, कहीं स्ट्रक्चर है, उन सभी योजनाओं को हमलोगों ने चिंहित कर लिया है और चिंहित हमलोगों ने ऐसे नहीं किया है कागज पर, अध्यक्ष महोदय, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पूरे विभाग में पांच जगह बांटकर भागलपुर, बेतिया, वीरपुर, सासाराम और पटना, यह पांच जगह बांटकर हर जोन के एक-एक छोटी से लेकर बड़ी योजनाओं की समीक्षा हमलोगों ने की है और उस समीक्षा के आधार पर हमलोगों ने कार्य योजना बनाया है ताकि हमलोग हर हालत में उस कार्य योजना को पूरा कर सकें । यह हम माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं । कई सदस्यों ने बताया और नदी जोड़ की चर्चा की है । नदी जोड़ की योजना 15 योजनायें बिहार सरकार ने चिंहित की है और उसमें 9 योजनायें हैं जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, उसको दिया है डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए । 6 योजनायें हैं, जिनका डी0पी0आर0 राज्य सरकार ने अपने स्तर से तैयार कराया है । हमलोग 15 योजनाओं पर, जिसमें अभी तक जो National Water Development Agency है, उसने मात्र दो योजनाओं का डी0पी0आर0 हमलोगों को सबमिट किया है । एक योजना है कोसी मैची लिंक नदी और दूसरा है बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा नदी, यह दो का डी0पी0आर0 नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने हमलोगों को सुपुर्द किया है और एक योजना जो बिहार सरकार ने समर्पित किया था.....

...क्रमशः....

टर्न–27/शंभु/08.03.16

श्री राजीव रंजन सिंह : क्रमश:.....सकरी नाटा लिंक योजना उसका भी डी0पी0आर0 तैयार है और सी0डब्लू0सी0 का जो पटना मुख्यालय कार्यालय है उसने उसको जॉच करने के बाद दिल्ली भेज दिया है और दिल्ली भेजने के बाद अब वहां पर पेंडिंग है। हमलोगों ने विभाग में तय किया है कि जो हमारी योजनाएं दिल्ली में, सेंट्रल वाटर कमीशन में पेंडिंग है, उन योजनाओं की मोनेटरिंग करने के लिए 5 अभियंताओं को हमलोगों ने पदस्थापित कर दिया है, योजना चिन्हित करके और हमने उनको कहा है कि दिल्ली कैंप औफिस में आप तब तक बैठेंगे, जब तक सेंट्रल वाटर कमीशन के एक–एक क्वेरी और एक–एक पृच्छा का जवाब आप नहीं सुपुर्द कर देंगे, तब तक आपको वहां बैठना है और वह योजना पूरी करके– चूंकि भारत सरकार में सी0डब्लू0सी0 में योजनाएं नहीं होती हैं, योजनाएं वहां से निकलती नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सकरी नाटा जो हमलोगों ने सबमिट किया है। वह 572.38 करोड़ की योजना होगी और उससे नालन्दा, नवादा, जमुई और शेखपुरा ये चार जिला है उससे इरीगेटेड होगा। 68 हजार 808 लाख हेक्टेयर में इससे अतिरिक्त हमलोग क्षमता सृजित कर पायेंगे। कोशी मिर्ची लिंक में 2903 करोड़ की योजना होगी और 2 लाख 10 हजार 516 लाख हेक्टेयर में सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया और पूर्णियां इलाके को हम इसमें अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर पायेंगे। तीसरा है बूढ़ी गंडक, नून–भाया–गंगा लिंक– इसपर हम 4213.80 करोड़ रूपये का डी0पी0आर0 है। जो 1 लाख 26 हजार 34 हेक्टेयर में हम इससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर पायेंगे। इससे सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय जिला ये तीन जिला उससे लाभान्वित होंगे और इससे हम अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर पायेंगे। हमलोग विभाग में कन्सनट्रेट करके और प्रतिवर्ष के लिए हम एक्शन प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि बिहार के लिए पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में और दक्षिण बिहार सुखाड़ की चपेट में ये बिहार का अभिशाप है। कई माननीय सदस्य कह रहे थे जब चर्चा कर रहे थे तो विपक्ष के लोग काफी हल्ला कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा– वह राज्य के हित में है, लेकिन खैर उसपर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि हम उसपर राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में फ्लड फोर कास्टिंग मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वह सिस्टम आज की तारीख में हमारे पास बागमती में है।

वह सूचना जो हमें 24 घंटे पहले हमको फ्लड फोर कास्टिंग और बाढ़ का जो पूर्वानुमान है उसको हमलोगों को उपलब्ध कराता है। लेकिन पूरी दुनिया में यह टेक्नोलॉजी बढ़ी है। बांग्लादेश में आज यह टेक्नोलॉजी है कि बाढ़ से 7 दिन पहले वह टेक्नोलॉजी उनको एलर्ट करता है कि आपके यहां बाढ़ आने का खतरा है। हमलोगों ने विभाग को कहा है कि बांग्लादेश का जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का स्टडी कीजिए और उसका स्टडी करके बिहार में भी हमलोग 7 दिन पहले जो हमारा टेक्नोलॉजी हो इसको करने का काम करिये, लेकिन तत्काल हमलोग कोशी और गंडक ये दो नदियों पर 72 घंटा कम से कम तीन दिन पहले हमलोग काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर वह सब ठीकठाक रहा तो हमलोग अगले कुछ दिनों में उसमें सफलता पा लेंगे और कोशी और गंडक नदी में हमलोग 72 घंटा पहले फ्लड फोर कास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर पायेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, स्काडा सिस्टम है हमारे यहां। स्काडा सिस्टम में जो कोशी और गंडक है- कोशी में और गंडक का जो बराज है, उस बराज में जो पानी का जल स्तर रहता है और उस जल स्तर को कितना किस कैनाल को पानी छोड़ा जा रहा है, यह सिस्टम आज हम पटना से बैठकर भी यहां से मोनिटर कर सकते हैं। अभी उस सिस्टम के साथ हमलोगों ने इन्द्रपुरी जो हमारा बराज है उसको भी जोड़ने का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब हमलोग बहुत जल्दी उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो स्काडा सिस्टम है इससे हमको पता चल जाता है कि आपके बराज में क्या पानी है या नहीं है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति में हम रिवर के बिहैवियर के फिजिकल मॉडल को जानते हैं। उसके फिजिकल मॉडलिंग को हमलोग देखते है। अभी जो सेंट्रल एक्सीलेंस हैं वह हमारा सी0डब्लू0पी0आर0एस0 पूना में हमको सुविधा है और यहां से हम जब पूना भेजते हैं और वहां से आने में जो समय लगता है, जो विलंब होता है उसको दूर करने के लिए अभी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फिजिकल मॉडलिंग हम वीरपुर में स्थापित करेंगे और मैथेमेटिकल मॉडलिंग हम पटना के अनीसाबाद में स्थापित करेंगे। सेंट्रल ऑफ ऐक्सीलेंस फिजिकल मॉडलिंग का कन्सलटेंट एप्वाइंटेड है। उसको हमलोगों ने कहा है कि 6 महीना के अंदर हर हालत में आपको डी0पी0आर0 समर्पित करना है। मैथेमेटिकल मॉडलिंग का डी0पी0आर0 कन्सलटेंट ने जमा कर दिया है और 3 महीना के अंदर हमलोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मैथेमेटिकल मॉडलिंग पटना के अनीसाबाद में प्रारंभ कर देंगे, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इससे विभाग को काम करने में बहुत ही सहूलियत होगी। कई सवाल उठे हैं, आज भी कई

साथियों ने अशोक जी ने, वशिष्ठ जी ने कई साथियों ने चर्चा की कदवन जलाशय की और इन्द्रपुरी जलाशय की- जब झारखण्ड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तो कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन झारखण्ड और बिहार के बंटवारे के बाद वह इन्द्रपुरी जलाशय योजना के नाम जाना जाता है। 1986-87 से यह योजना सेंट्रल वाटर कमीशन में भारत सरकार में पेंडिंग था। इसमें उत्तर प्रदेश और झारखण्ड की कुछ आपत्तियां थी उन आपत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा था। यह बात भी सही है कई माननीय सदस्यों ने कहा और यह बात सही है अशोक जी ने भी कहा, कई माननीय सदस्यों ने कहा यह बात सही है, यह अशोक जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा और जो पूरे भोजपुर के क्षेत्र से, औरंगाबाद और गया के क्षेत्र से आते हैं वे इस समस्या से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार भी इस समस्या से वाकिफ है। सोन नहर प्रणाली में खरीफ में हमारे पास पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है और खरीफ के पैदावार में हम पूरे क्षेत्र में जो सिंचाई क्षमता को सिंचाई करने के बाद जो अतिरिक्त जल बचता है उसमें चूंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हम उसको गंगा में विलीन कर देने का काम करते हैं। लेकिन यह इन्द्रपुरी जलाशय योजना जिस दिन बन जायेगा उस दिन हम- अब वह इन्द्रपुरी हो गया। वह कदवन के नाम से नहीं जाना जाता है, अब कदवन हो गया झारखण्ड में और इन्द्रपुरी हो गया बिहार में। इन्द्रपुरी जलाशय जिस दिन बन जायेगा उस दिन खरीफ का जो हमारा अतिरिक्त पानी बचेगा उसको हम उस जलाशय में रोककर रखेंगे और रब्बी के समय में जो हमको सिंचाई के लिए पानी की कमी होती है, उस जलाशय के पानी से अंतिम छोड़ तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय सदस्यों को मुझे बताने में खुशी है कि इस 5 फरवरी को दिल्ली में एक बैठक हुई उस बैठक में झारखण्ड और उत्तर प्रदेश के भी अधिकारी शामिल हुए। हमारे राज्य सरकार के तरफ से हमारे विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अभियंता उसमें शामिल हुए और काफी तर्क वितर्क होने के बाद इन्द्रपुरी जलाशय योजना पर सहमति बन गयी। सहमति का कागज हमलोगों को प्राप्त हो गया है, उस सहमति के मुताबिक 169 मीटर जलाशय का, इन्द्रपुरी जलाशय होगा उसका 169 मीटर फुल वाटर लेवेल होगा और 171 मीटर मैक्सिमम वाटर लेवेल होगा। अब हमलोगों ने विभाग को कहा है कि अब उसके आधार पर जो आगे की प्रक्रिया है उसको तत्काल पूरे द्रुत गति से उसको प्रारंभ कीजिए ताकि इन्द्रपुरी जलाशय योजना के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ सकें और उसका भी हमलोग लक्ष्य निर्धारित कर सकें कि कब हमको बाढ़ योजना में शामिल करके कब पूरा करना है। इसीलिए मुझे ये है और विभाग उसपर काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन इन्द्रपुरी जलाशय योजना बनकर तैयार हो जायेगा उस दिन

सोन कैनाल सिस्टम, पूरा सोन कैनाल सिस्टम में टेल ऐंड तक एक-एक गांव को सिंचाई रब्बी के मौसम में भी उपलब्ध कराने के साथ-साथ हमारे पास अतिरिक्ति जल बचा रहेगा, यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं ।

टर्न-28/अशोक/ दिनांक 08.03.2016

श्री अरूण कुमार सिन्हा : माननीय मंत्री जी सुन लीजिए लेकिन आपकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है । (व्यवधान)

कहीं बाढ़ से तो कहीं सूखा से लोग ग्रस्त हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय एक बात और बड़हिया-मोकामा जो योजना टाल है आज तक पांच वर्षो से उसका डी.पी.आर. पड़ा हुआ है । इसका कोई समुचित जवाब नहीं हो रहा है.....

अध्यक्ष: प्रेम बाबू आ गये हैं ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : कोई समुचित जवाब नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप भाषण जारी रखें ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय इतना बड़ा त्रासदी आया, कोई इंतजाम नहीं किया गया महोदय, पूरे बिहार में किसानों का फसल जल रहा है, कहीं पानी का इंतजाम नहीं है....

(इस अवसर पर भारतीय जनता पाटी के माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : महोदय, ऐसा तो पहली बार देखा जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता आये और कोई बात न समझे और न किसी की बात सुने, एकाएक आये और कुछ बोलकर चले गये, यह अच्छी परम्परा नहीं है ।

अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि वे माननीय सदस्यों को लेने आये थे ।

श्री राजीव रंजन सिंह : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाह रहे थे कि बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाढ़ के लिए भी- यह तो हमने सिंचाई क्षमता सृजित करने और सिंचाई के क्षेत्र में जो हम काम करने वाले हैं उसका लेखाजोखा और उसकी जानकारी हमने माननीय सदस्यों को दी ।

बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाढ़ के समय में एक काम होता है एन्टि इरोजन वर्क का और एक काम होता है फ्लड फाईटिंग का जब अंतिम

समय में आता है । हम आपको बतलाना चाहते हैं कि फ्लड फाईटिंग के लिए जगह-जगह चिन्हित करके, कहां-कहां, हमने सम्भावनाओं को विजुलाईज किया और उसको विजुलाईज करके फ्लड फाईटिंग के लिए जितने मटेरियल्स की आवश्यकता है, सारे मटेरियल्स को वहां स्टोर करा देने का काम किया है । हमारे अभियंता सदैव तैयार हैं और एन्टी इरोजन का काम 302, 302 एन्टी इरोजन का काम, जो इसकी एक प्रक्रिया है, जी.एफ.सी.सी., टी.एस.सी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद 302 नम्बर्स जो इन्टी इरोजन का काम है उसकी लगभग 636 करोड़ की योजना है, 634.34 करोड़, इसको हमने स्वीकृत कर दिया है । एन्टी इरोजन का जो काम होता है उसको 15 मई तक पूरा होना है, हमने जो समीक्षा बैठक की, हमने पहले बतलाया जो हमने क्षेत्रवार समीक्षा बैठक किया, उस समीक्षा में हमने सभी अभियंतओं को स्पष्ट कर दिया कि एन्टी इरोजन का काम का मतलब होता है 15 मई तो 16 मई नहीं होता है और 25 मई तक सभी कार्यपालक अभियंता, जिनके यहां एन्टी इरोजन का काम स्वीकृत है उनको मुख्यालय को रिपोर्ट भेज देना है कि मेरे यहां जो कटाव निरोधक कार्य था, उसको हमने पूरा कर लिया और वह सम्पन्न हो गया । हम बरसात के बाद एन्टी इरोजन काम का अनुमति हम नहीं देने जा रहे हैं, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं । इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा है कि पूर्व से राज्य सरकार का, जल संसाधन विभाग का पत्र था जो कटाव निरोधक काम चलेगा उसका हरएक 15 दिन पर, प्रत्येक 15 दिन पर फार्म है 6,7,8 है या 5,6,7 है, हम स्मरण से भूल रहे हैं, लेकिन उस फार्म में फिजिकत एवं फाइनेनसियल- वित्तीय और भौतिकी उपलब्धि 15 दिन के अन्दर आपकी क्या है वह रिपोर्ट भी हर 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को भेजते रहना है, उसको हम कम्पाईल करेंगे, और उसको कम्पाईल करके समीक्षा करने का काम करेंगे । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 8 उड़नदस्ता, आठ प्रमण्डल, 8 परिक्षेत्र है, 8 चीफ इंजीनियर का जोन है, आठ उड़दस्ता का टीम हमने गठित कर दिया है । उड़नदस्ता को एक-एक परिक्षेत्र का जिम्मा दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि रैन्डमली, बिना किसी को बताये हुये जिस योजना का मन करे उसकी जांच करें, जांच कर रिपोर्ट लाकर दीजिए और उस रिपोर्ट पर हमलोग कारवाई करेंगे । मैं माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि जो एन्टी इरोजन का काम है, वह एन्टी इरोजन का काम पूरी निष्ठा के साथ और पूरी इमानदारी के

साथ करना पड़ेगा, लोगों को इसके लिए जो व्यापक व्यवस्था हो सकती है और जो भी होल को बंद करने का, प्लग करने का जो उपाय हो सकता था उसको हमलोगों ने किया है और उस पर हमलोग सतत् मॉनेटरिंग कर रहे हैं । अगर कोई आवश्यकता होगी आगे कोई काम करने की, उस पर कार्रवाई करने की तो उसको भी हमलोग आगे की कार्रवाई करेंगे । आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो एन्टी इरोजन का काम है उसमें पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी बरतनी होगी - यह साफ-साफ मैंने बता देने का काम किया है । इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह है गाद प्रबन्धन का, गाद के कारण मैंने पहले भी बताया है कि गााद के कारण टेल एण्ड तक हमारा पानी नहीं पहुंच पाता है, शिपेज होता है, हमलोगों ने विभाग में कहा है गााद को समाप्त करने के लए, गाद की जो समस्या है, सिल्टेशन की जो समस्या है, इसका मैनेजमेंट (व्यवधान) इसलिए मैंने गााद के बारे में कहा, विभाग को मैंने कहा है कि आप लाईनिंग करने का भी व्यवस्था करिए ताकि शिपेज की समस्या से आप दूर हो सकें और फेजवाईज हमलोग, जो हमारा कैनाल है, डिस्ट्रीव्यूट्रीज है, जो मैन कैनाल है उसको हमलोग चिन्हित करके और फेजवाईज करके, उसका लाईनिंग करने का भी काम करेंगे। यह हम सदन को बतलाना चाहते हैं और सिल्टेशन को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट हो सकता है या सिल्ट को हटाने के लिए क्या मैनेजेमेंट हो सकता है, इस पर भी हमने कहा है ।

अब महोदय, दो-तीन मिनट के अन्दर । जो भारत सरकार के- अभी माननीय सदस्य डा0 रवीन्द्र यादव जी चले गये, उन्होंने भाषण दिया और कहा कि 20 हजार करोड़ बजट भाषण में, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जल संसाधन को दिया है, बजट भाषण की किताब वे दिखा रहे थे, इसलिए हमने मंगवाया और जो बजट भाषण में है- कृषि को दुगना आवंटन, कृषि क्ष्त्र और किसान के कल्याण की राशि इतना करोड़ कर दिया गया है, सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ की लम्बी अवधि का फंड तैयार किया गया है, लम्बी अवधि का मतलब होता है दस साल या बीस साल, ये आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं । हम आपको बतलाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि ए.आई.बी.पी. की जो योजना है, एक्सीलिरेटेड एरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम - जो ए.आई.बी.पी. की योजना है वह पहले भारत सरकार का हिस्सा हुआ करता था 75 प्रतिशत और राज्य सरकार का हिस्सा हुआ करता था 25 प्रतिशत और बाढ़ और सुखाड़ के इलाके में 75 प्रतिशत केन्द्र का

हिस्सा होता था और 25 प्रतिशत हिस्सा होता था राज्य का । ट्वेलभ्थ फाईव ईयर प्लान जब शुरू हुआ, उस समय केन्द्र सरकार ने नीति बना दी कि ए.आई.बी.पी. में अगर पुरानी योजना कम्पलिट नहीं करेंगे तो हम कोई नई योजना नहीं लेंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि जितना ए.आई.बी.पी. में योजना है, उसका 50 प्रतिशत पहले खर्चा कर लीजिए तब हम पैसा देंगे - वाह रे योजना- ऐसा योजना करने के बाद ही पैसा देंगे, पैसा तो देंगे नहीं । अभी हमारा दो योजना- एआरएम कोशी और वेस्टर्न गंडक, ये दो योजना हमारा पोस्ट है, पोस्ट है यह ए.आई.बी.पी. में, कान में जू तक नहीं रेंग रहा है । उसी तरह फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम में है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम में इतना न लम्बा प्रक्रिया है कि आज तक - पहले था 75 और 25, अब इसको इन्होंने कर दिया है 50-50, पहले 75 उनको देना था अब कहते हैं 50 आप दीजिए और 50 हम देंगे । फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऐसी लम्बी प्रक्रिया है, पहले इसको जी.एफ.सी.सी. का पटना यहां एप्रूभ करेगा तब दिल्ली जी.एफ.एसी.सी. में जायेगा तब जी.एफ.सी.सी. उसपर सहमति देगा, तब एडभाईजरी कमिटी में जायेगा, जहां टेक्नो इकोनॉमिक एप्रेजल मिलेगा और तब उसके बाद इन्टर मिनिस्ट्रीयल कमिटी में वह जायगा । ... क्रमशः...

टर्न-29-08-03:2016-ज्योति

श्री राजीव रंजन सिंह : ... क्रमशः ... इसके बाद वह इन्टरनल मिनिस्ट्रीयल कमिटी की बैठक में जायेगा। इसकी बैठक साल में एक दो बार होती है कि नहीं यह भी पता नहीं । आज भी फ्लड मैनेजमेंट की चार योजनायें केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं लेकिन केन्द्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है फिर भी जो हमारी योजनायें हैं राज्य सरकार अपने बल बूते पर उन योजनाओं को चला रही है । यह हम आपको बताना चाहते हैं । एक और योजना है जिसकी चर्चा रामदेव बाबू कर रहे थे रिवर मैनेजमेंट ऐण्ड वर्क रिलेटेड टू बौर्डर एरियाज या कोई और माननीय सदस्य कर रहे थे । यह 100 प्रतिशत भारत सरकार की योजना है । इसमें 100 फीसदी भारत सरकार को देना है। बौर्डर से जो नेपाल से नदियॉं आ रही हैं पिछले तीन साल में हमारा बकाया जो है जो हम खर्चा कर चुके हैं योजनाओं को पूरा करने में लगभग 75 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार पर बकाया है, वह बकाया आजतक हमको भारत सरकार नहीं दे रही है।

यह हम आपको बताना चाहते हैं । लेकिन हमने उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है।

अध्यक्ष : समय भी लगभग समाप्त हो रहा है ।

श्री राजीव रंजन सिंह : दो तीन मिनट में अध्यक्ष महोदय । दो बात हम खाली करना चाहते हैं। एक गंगा नदी पर एक राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने का केन्द्र सरकार ने फैसला किया है। हम माननीय सदस्यों को कंफीडेंस में लेना चाहते हैं । यह योजना हमारे राज्य के हित के विपरीत है क्योंकि इलाहाबाद से हलदिया तक ड्रेनेज करके और गाद हटाकर कई जगह पोर्ट बनाना चाहते हैं । वह पोर्ट अगर बनेगा तो फरक्का बनने के बाद हमारा जो एरिया है उसमें ऐसे ही कमी है और यह अगर बनेगा तो सिल्टेशन गंगा नदी में इतना होगा कि पूरे जो गंगा नदी के किनारे में शहर हैं उन सभी शहरों पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जायेगा । जब इन्होंने इस नीति की घोषण की तो राज्य सरकार ने उसपर आपत्ति की । ग्रीन ट्रिब्यूनल में कुछ एन0जी0ओ0 और कुछ दूसरे संगठन भी गए । उनलोगों ने वहाँ आपत्ति दी है । वहाँ मुकदमा दर्ज किया है । लेकिन इधर सुना है हमलोगों ने कि कुछ योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं । हम सदन को यह बताना चाहते हैं कि हम उसपर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करके अगर कानून अनुमति देगा तो राज्य सरकार भी केन्द्र के खिलाफ जायेगी अदालत में और अदालत में जाकर हम अपनी बात रखेंगे। इसके बाद एक अंतिम बात कह कर समाप्त करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, एक हमलोग चाहते हैं कि आज की तारीख में जो हमारे राज्य के अंदर जितनी नदियाँ हैं , हमारे राज्य में नदियों की कमी नहीं है, हमारे राज्य में पानी की कमी नहीं है । जरुरत है उसके बेहतर मैनेजमेंट की । आज हमारे राज्य में जो नदियाँ हैं उससे हम पाँच कयूसेक भी पानी नहीं ले सकते हैं । पाँच क्यूसेक अगर पानी लेंगे तो केन्द्र सरकार कहेगी कि वाणसागर एग्रीमेंट के तहत जो आपको पानी मिल रहा है उससे हम पाँच परसेंट घटा देंगे । हमारी नदियाँ और हमारे बिहार से निकल रही नदियाँ हैं और बिहार में ही एन्ड कर रही हैं । हम चाहेंगे और लिखेंगे केन्द्र की सरकार को कि जो रिपेरियन ऐक्ट है उस ऐक्ट को लागू करें और जो हमारी नदियाँ हैं जो बिहार की नदियाँ हैं उसपर बिहार का अधिकार हो । उसके जल पर बिहार का अधिकार हो । इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया और मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिन्होंने अपनी बातों रखी और अपना भाषण समाप्त

करने के पहले माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :

'' जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 22, 79, 06, 13, 000/- (बाइस अरब उनासी करोड़ छः लाख तेरह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 8 मार्च 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई ।)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनॉक 9 मार्च 2.016 के 11 बजे पर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।